वैचारिकी

VAICHARIKI

[k.M % 1 vad % 1 vçy&tu 2022

Dr. R. S. Tolia Uttarakhand Academy of Administration, Nainital

Mk0 vkj0 ,l0 Vkfy;k mÙkjk[k.M ç'kklu vdkneh] uainhrky

dkihjkbV % Mk0 vkj0 ,l0 Vkfy;k mÙkjk[k.M ç'kklu vdkneh]
uuhrky

2022

[k.M % 1
vad % 1

vçSy&twu 2022

laj{kd % ch-ih-ik.M;] vkbZ,-,l-
¼vodk'k çkIr½

lEiknd e.My % leLr ladk; lnL;

ok.kfjdh Mk0 vkj0 ,l0 Vkfy;k mÙkjk[k.M ç'kklu vdkneh]
uuhrky }kjk çdkf'kr =Sekfld if=dk gSA

ok.kfjdh esa yss[k rFkk lehf{kkvksa vkfn ds fo"k; esa i= 0;ogkj lEiknd] ok.kfjdh] Mk0 vkj0 ,l0 Vkfy;k mÙkjk[k.M ç'kklu vdkneh] uuhrky&263001 ls djsaA

okf"kZd pUnk : 0 1000-00 ¼laLFkkvksa ds fy,½
: 0 500-00 ¼0;fDrxr½

vkoj.k i"B fp= gjh'k pUæ flag fiy[kokyk

वैचारिकी

VAICHARIKI

[k.M % 1 vad % 1 vçy&tu 2022

Disclaimer¼vLohdj.k½

oSpkfjdh esa çdkf'kr ys[k rFkk mlesa çLrqr fopkj ys[kd ds futh fopkj gSa blls Mk0 vkj0 ,l0 Vkfy;k mÙkjk[k.M iz'kklu vdkneh] uSuhrky dk dksbZ lEcU/k ugha gSA

*lEikn*d

çLrkouk

उत्तराखण्ड शासन द्वारा 'डॉ0 आर0 एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल' कोराज्य के शीर्षस्थ संस्थान के रूप में मान्यता प्रदानकी गई है। वर्तमान समय में, अकादमी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में प्रशिक्षण के माध्यम से गुणवत्ता विकास हेतु निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि, उत्तराखण्ड शासन की प्राथमिकताओं एवं जनसामान्य की अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु, उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत कार्यरत् अधिकारियों एवं कार्मिकों को दक्ष बनाने के उद्देश्य के साथ, अकादमी में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों व अन्य गतिविधियों में तद्नुसार परिवर्तन किए जाने के प्रयास अकादमी स्तर पर किये जा रहे हैं, जिससे कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और सार्थक बनाया जा सके।

पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में तत्कालीन उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल द्वारा ''वैचारिकी'' पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा था अपरिहार्य कारणें से 1998 के बाद इसका प्रकाशन बन्द हो गया था। वैचारिकी पत्रिका की उपयोगिता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि इसका पुनः प्रकाशन प्रारम्भ किया जाय। इसी क्रम में अकादमी पत्रिका वैचारिकी को नवीन कलेवर के साथ प्रथम खण्ड के रूप में *[k.M 1 vad 1] tuk 2022* प्रकाशित किया जा रहा है।

इस अंक में विविध विषयों के साथ–साथ उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदों में हुए उत्कृष्ट कार्यों/नवाचारीकार्यों को लेखों के माध्यम से समस्त उत्तराखण्ड राज्य

के अधिकारियों तक पहुँचाने के लिए प्रस्तुत किये जा रहे हैं। आशा है कि ''वैचारिकी'' का यह अंक प्रदेश शासन के अधिकारियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

वास्तवमें ''वैचारिकी'' अनुभव आधारित विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम भी है और चिन्तन का उत्प्रेर कभी। इस दृष्टि से विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे अधिकारियों के अनुभव का लाभ सभी तक पहुँचाने का प्रयास इस पत्रिका के माध्यम से किया जाता रहा है। अधिकारियों को शासकीय नियमों की जानकारी की जितनी अधिक आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता नवाचारी कार्यो एवं विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों से अवगत होने की भी है। इसी परिप्रेक्ष्य में विषयों/लेखों का चयन किया गया है।

आज के संदर्भ में शासकीय अधिकारियों की व्यस्तता और समय की कमी आम हो गई है। फिर भी अनुभवों के आधार पर अपनी बात अभिव्यक्त करने की इच्छा तो रहती ही है। हमारा अनुरोध है कि आप कुछ समय निकाल कर अपने अनुभवों पर आधारित लेख पत्रिका में प्रकाशनार्थ अवश्य भेजें जिससे कई वर्षों के परिश्रम से आपके द्वारा अर्जित ज्ञान का लाभ अन्य अधिकारियों को भी हो सके।

आप से अनुरोध है कि इस अंक के बारे में अपनी प्रतिक्रिया भेजकर और अपने अनुभव पर आधारित लेख भेजकर आप भी इस पत्रिका को और अधिक उपयोगी बनाने में योगदान करें।

ch-ih- ik.M;]
महानिदेशक
डॉ. आर. एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी,
नैनीताल।

fo"k; l|ph

1.	ऋषिगंगा जल प्रलय,	नन्दन सिंह रावत असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जोशीमठ, चमोली	1—4
2.	आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,	डॉ0 पूनम रौतेला, राजकीय महाविद्यालय, काण्डा, बागेश्वर	5—15
3.	योग और इसका बढ़ता महत्व,	अंकित चमोली, अपर निजी सचिव, देहरादून	16—19
4.	पलायनः पहाड़ का सन्नाटा,	नीरज प्रसाद, ग्राम्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल	20—22
5.	पर्यटन और पंचकर्मः उत्तराखण्ड की जरूरत,	डा0 आलोक कुमार शुक्ला, प्रभारी चिकित्साधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, काशीपुर	23—27
6.	पारिस्थिति की संकटः एक दार्शनिक विमर्श,	राहुलसचान, जिला कमाण्डेन्ट होम गार्डस	28—31
7	प्रदेश मे केशर कृषिकरणः एक अभिनव पहल	डा0 डी.एस. बिष्ट, वैज्ञनिक प्रभारी, उत्तरकाशी	32—34
8.	अनुशासनिक कार्यवाही, प्रक्रिया एवं सम्भावित त्रुटियाँ,	जगदीश चन्द्र काण्डपाल, उप निदेशक, डा. आर.एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल	35—57
9.	उत्तराखण्ड में चाय आधारित पर्यटन : एक संकल्पना	प्रकाश चन्द्र, संयुक्त निदेशक, डा. आर.एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल	58—66
10.	Harbingers Change in Remote Uttarakhand Village: Solar Powered Water Lifting for Irrigation,	Dr. S.K. Upadhyaya, Deputy Project Director, PMKSY-WDC 2.0, Almora and Mr. Deepak Shah, Horticulture Officer, PMKSY-WDC 2.0, Almora.	67—72

11.	Kumaon Commissionery: a peep in to the past,	Dr. Ajay Rawat, Professor, (Rtd) Kumaon University, Nainital	73—92
12.	महत्वपूर्ण शासनादेश		93—108

1

''ऋषिगंगा जल प्रलय''

नन्दन सिंह रावत
असिस्टेंट प्रोफेसर
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जोशीमठ
जनपद चमोली

हम सभी जानते है कि मानव अपनी उत्पत्ति काल से प्राकृतिक आपदाओं से संघर्ष करता आया है। आपदाऐं प्रकृति में अपने आप उत्पन्न होती हैं। ये आपदायें प्रकृति के उथल पुथल का परिणाम होती है। इन्हीं उथल पुथल के परिणाम स्वरूप अन्नत जन–धन की भारी हानि होती है। यें नैसर्गिक रूप से होने वाली वो घटनाएं है, जो कभी कभार आपदा का कारण बन जाती है। समूचा उत्तराखण्ड आपदा की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है। भूकम्पीय परिपेक्ष्य से उत्तराखण्ड जोन 5 एवं 4 में शामिल है, तो अतिवृष्टि, भूस्खलन, ग्लेश्यिरों का टूटना जैसे कारणों से यह राज्य अक्कसर आपदा का दंश झेलती आ रही है। वैज्ञानिकों के मुताबित उत्तराखण्ड के पहाड़ भी अभी बनने की प्रक्रिया में है। ऐसे में आपदाओं में पहाड दरकने का क्रम अक्सर बना रहता है। की करीब 400 शोध अब तक आपदा के लिहाज से संवेदनशील घोषित किए जा चुके है।

7 फरवरी 2021 को नीति घाटी के रैणी गांव में ऋषिगंगा नदी से जो जलप्रलय निकली उसके संकेत करीब 37 साल पहले से मिलने लगे थे। भू–विज्ञानी डा0 एम0पी0एस0 बिष्ट वर्तमान में यूसैक निदेशक व वाडिया हिमालयन भू–विज्ञान संस्थान ने अपने एक शोध में स्पष्ट कर दिय था कि ऋषिगंगा कैचमेंट क्षेत्र के 8 से अधिक ग्लेशियल सामान्य से अधिक रफतार से पिघल रही है। जाहिर है, इससे अधिक जल प्रवाह होगा और एवलांन्च की घटनाएं भी अधिक होगी। इतना ही नही इन ग्लेशियरों के पानी का दबाव भी अकेले ऋषिगंगा पर पड़ता है, जो आगे चलकर धोलीगंगा/अलकनंन्दा/भागीरथी के

पानी को प्रभावित करता है। ऋषिगंगा जल प्रलय घटना क्रम के प्रत्यक्ष दर्शियों के मुताबित जिसमें श्री रतनसिह राणा, एवं श्री दरमान सिंह राणा एवं ग्राम सभा रैणी के प्रधान आदि लोगो का कहना है कि जिस प्रकार का जल प्रलय इस बार आया, हमने जीवन में कभी ऐसा भयानक रूप ऋषि गंगा का नहीं देखा। बेसक भू–स्खलन, अतिवृष्टि, बाढ़ ग्लेशियरों टूटना इस क्षेत्र की सामान्य घटना हुआ करती थी जिससे आम जनमानस हमेशा रूबरू होता रहता था, परन्तु इस बार के घटना ने स्थानीय लोगों को बड़ी माता में जन–धन की क्षति पहुचाई है। रैणी से किमाणा गांव तक 28 स्थानीय लोग इस आपदा के काल में समा गये। ऋषिगंगा पावर प्ररियोजना कें 70 एवं तपोवन में निर्माणाधीन एन0टी0पी0सी0 की 520 मेगावाट परियोजना 176 कर्मचारी हताहत हुए है। कई परिवारों के मवेशियां इस आपदा के भेंट चढ़ गयी। जिसमें गाय, बैल, घोड़ें, बकरी आदि शामिल है। इस आपदा के दौरान लौग, फागती, तोलमा, सूकी, सूराईथोटा, भलगांव, लाता रैणी पल्ली, पैंग, रैणी, मुरण्डा, जूग्जू, जूवाग्वाड, एवं भंग्यूल गाँव के लगभग 3500–4000 लोग आपदा से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित हुए है। रैणी एवं पैग गांव के आपदा प्रत्यक्ष दर्शी/स्थानीय लोग आशंकित है, इसजल प्रलय को भुले नही भूला पा रहे है। चिन्तित है आगे भविष्य मे क्या होगा। अपने ईष्ट देवता को याद करते हुए कहना है कि शुक्र है आपदा दिन में आयी लोग अपने जान–मान की रक्षा करपाये, यदि घटना रात के अंधेरे में होती और अधिक जान–मान का नुकसान होता।

ऋषिगंगा जल प्रलय के लिए स्थानीय लोग जहां एवं तरफ प्राकृतिक घटना क्रम को मानते है कि ऋषिगंगा कैचमेंन्ट क्षेत्र में अवस्थित रौंथी ग्लेशियर से निकले एवलांन्च के कारण ऋषिगंगा नदी के पानी बहाव किसी स्थान पर रूक गया, उससे झील बनी और फिर अचानक झील टूटकर जलप्रलय का कारण बन गई। जो कि कहीं ना कहीं विश्वसनीय लगता हैं कि इस प्रकार की घटना से आपदा आयी होगी। दूसरी तरफ घाटी के जनसामान्य का मानना है कि जब से रैणी में ऋषिगंगा पावर परियोजना ने प्रोजेक्ट पर काम आरम्भ किया तभी से क्षेत्र मे कुछ न कुछ अनिष्ठ होता रहा है। अभी 5–6माह पूर्व नीतिघाटी की रक्षपाल देवी मां भगवती काली द्वारा ऋषिगंगा पावर परियोजना को कुछ अनिष्ठ के लिए आगाह भी किया था। हुआ यूं कि कोविड 19 करोना

काल में रैणी के कुछ नौजवानों द्वारा मां भगवती काली का मंन्दिर रैणी वल्ली, गौरा देवी स्मृति संग्रालय के समीप एन0एच0 58 के सडक किनारे पर बनाया गया, जहां पर नीतिघाटी में आने जाने वाले लोग अक्सर देवी भेंट अर्पित करते रहते है।क्योंकि सिद्वपीठ मां का मन्दिर जुग्जु गांव स्थित है जो कि सड़क से लगभग 2 किमी दूर स्थित है, साथ ही धौलीगंगा एवं ऋषिगंगा के संगम पर मां का अतिरिक्त मन्दिर, जहां पर देवी भक्त अपनी ओर से पूजा पाठ अनुष्ठान किया जाता है,दोनो मंन्दिर धौली गंगा के पार अवस्थित है। लिहाजा देवदर्शनी स्थल पर प्रतीकात्मक मन्दिर रैणी के नौजवानों द्वारा श्रमदान से बनाया गया, जिससे ऋषिगंगा पावर परियोजना द्वारा तोड़ दिया गया और मन्दिर में पूजा पाठ सम्बन्धी सामग्री सब अपने परियोजना परिसर के मन्दिर में रख दिया। स्थानीय लोगो का कहना है कि मन्दिर ध्वस्त किये जाने पर मां भगवती रूष्ट हो गयी और गाँव की महिला पर अवतरित हो कर परियोजना के कर्मचारियों को तुरन्त ही अपने चिन्हित एव पूजा पाठ के सामग्री यथा स्थल पर रखने को कहा, जिस पर परियोजना के कर्मचारियों द्वारा माफी माँगते हुए, दण्ड देने को सहमत हुए थे, देवी माँ ने समय सीमा पर कार्य नहीं होने पर कुछ अनिष्ठ होने के संकेत परियोजना का तभी दे दिये थे।ऐसे में कुछ स्थानीय लोगो का मानना है, कि यहजल प्रलय देवी प्रकोप का प्रतिफल हैं। जिसके कारण क्षेत्र में इस प्रकार की त्रासदी हुई है।

अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र जो कि हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों, ग्लेशियरों और नदियों पर सेटेलाइट के जरिये नियमित नजर रखता है। इसके अलावा उनकी लगातार मैपिंग भी करता है, के अनुसार सात दिन पहले तक क्षेत्र में कोई झील नहीं बनी थी। अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र के डाटा के अनुसार भूस्खलन, बहाव रूकने या बर्फ का पहाड़ गिरना आपदा के कारण हो सकता है। आपदा ग्रस्त क्षेत्र यूनेस्को संरक्षित नंदा देवी बायोरिजर्व के तहत आता हैं, और यहां की चोटियों की उंचाई 6500मीटर खड़ी है। इन पर जो ग्लेशियर है उनके एवलांन्च भी खड़ी चोटी होने के चलते अधिक मारक साबित होते है। ग्लेशियरों की स्थिति को लेकर वर्ष 1970 से वर्ष 2017 तक अध्ययन किया गया था। जिससे पता चला है कि यहां के आठ ग्लेशियर 37 साल में 26 वर्ग किमी कुल क्षेत्रफल का 243.07 वर्ग किमी पीछे खिसके है। अध्ययन सेटेलाइट चित्रों के अलावा

फील्ड सर्वे द्वारा किया गया। जिसके मुताबित ग्लेशियर प्रतिवर्ष 5 से 30 मीटर तक की दर से पीछे खिसक रहे है। इन ग्लेशियरों का जितना आकार है, उनमें से 1.69 वर्ग किमी से 7.7 वर्ग किमी भाग अब तक पिघल चुका है। जैव विविधता के लिहाज से यह क्षेत्र काफी समृद्व है। इस क्षेत्र में बहुमुल्य पेड़–पौधें जैसे– देवदार, थुनेर, अखरोट, कबासी, चीड़, रागा, स्यान, खडीक, सुराई, अगोड, भोजपत्र, आदि तथा वन्य जीवों में थार, भरल, भालू, हिम तेदूआ, ध्वेड, बाहरासिघा, मोनाल, चकोर, आदि के साथ ही विभिन्न प्रकार के जडी बूटी (कटुकी, चोरू, छीपी, अतिस, हत्थाजड़ी, धूपकेश, भूतकेश, शंक जड़ी, सतूवा, लहसन जड़ी, फरण, कालाजीरा एवं कीड़ाजड़ी आदि)के लिए भी यह क्षेत्र विशिष्ट स्थान रखता है। स्थानीय लोगो का आजिविका का आधार इस क्षेत्र की जल, जंगल एव0 जमीन पर निर्भर हैं। रैणी से नीति घाटी के समस्त गांव के लोगों का काश्तकारी अधिकार इस क्षेत्र में अवस्थित वन पर है। वर्ष 1974 ई0 में गौरादेवी ने अपने 27 सहयोगी महिलाओं के साथ इसी क्षेत्र के जंगल/वन की सुरक्षा हेंतु विश्व प्रसिद्व **''चिपको आन्दोलन''** का सूत्रपात किया। आपके इस उत्कृष्ठ कार्य के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय राजीव गाँधी जी द्वारा **''इन्द्रिराप्रियदर्शनी वृक्षमित्र''** पुरस्कार तथा 9 नवम्बर 2016 को उत्तराखण्ड शासन द्वारा **''उत्तराखण्ड गौरव''** सम्मान दिया गया।

नीति घाटी के रैणी गांव के शीर्ष भाग मे ऋषिगंगा के मुहाने पर 7 फरवरी सुबह करीब 9.45बजे उत्पन्न जल प्रलय चाहे प्राकृतिक कारण या मानवीय कारण, वर्तमान समय में मौसम मे हो रहे बदलाव को न समझना और उसके प्रभाव को कम करने के लिए काम न होना भी भारी पड़ रहा है। 16–17 जून 2013 की केदारनाथ आपदा का पहला सबक ही यह था कि प्रदेश में खतरे की पूर्व चेतावनी का तंत्र विकसित किया जाए। इससे पहले 2006 मे स्वर्गीय डॉ आर0एस0 टोलिया की अध्यक्षता में बनी माउंटने टास्क फोर्स ने उच्च हिमालय का जानकारी के हिसाब से अंधकार युग का बताया था और ग्लेशियरों की पूरी जानकारी जुटाने की संस्तुति की थी। केदारनाथ आपदा के बाद इसे शद्दत से महसूस किया गया। उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र और आई.सी.आई.मोड ने ग्लेशियर की जानकारी जुटानी भी शुरू की है लेकिन अब भी बहुत कुछ पता नहीं है।

2

आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

डॉ0 पूनम रौतेला
राजकीय महाविद्यालय
काण्डा, बागेश्वर

आदिकाल से ही मानव ने प्राकृतिक आपदाओं के बीच रहकर स्वंय को सुरक्षित करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया है। आपदाओं के विनाशकारी प्रभावों से बचने के लिये मानव वैदिक काल से ही जल, वायु, अग्नि, सूर्य, पेड़–पौधों की पूजा करता आ रहा है। बाढ़, भूकम्प, अकाल, महामारियां, सूखा आदि आपदायें मानव जाति के लिये कोई नयी बात नहीं है। मानव जाति के उद्‌भव से पूर्व पृथ्वी पर विचरण करने वाले प्राचीन हाथी, डायनासोर, साइबेरियन बाघ आदि के विनाश में कोई आपदा ही थी। जैसे जलवायु परिवर्तन, निवास स्थल का लोप होना, अकाल पड़ना, महामारी का फैलना, नदी में बाढ़ का आना, बादल फटना आदि। आपदाओं के कारण सामाजिक कार्यक्षमता तथा संसाधन वहन क्षमता तहस–नहस हो जाती है तथा संसाधनों का विनाश हो जाता है, जिन्हें मापा नहीं जा सकता। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में निम्न प्रभाव दिखाई देते हैं–

1. सामान्य दैनिक जीवन छिन्न–भिन्न हो जाता है।
2. दैनिक जीवन की आवश्यकताऐं जैसे– आवास, भोजन, स्वास्थ्य तथा पेयजल का संकट पैदा हो जाता है।
3. आपातकालीन सेवाओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

आपदा प्रबन्धन, आपदाओं के प्रभाव को रोक तो नही सकता, परन्तु उसके प्रभाव से होने वाली क्षति का न्यूनीकरण कर सकता है। यह न्यूनीकरण कार्य आपदा प्रबन्धन कार्य योजना में तीन प्रमुख अवस्थाओं (पूर्व अवस्था, आपदा के समय तथा आपदा के पश्चात्) में किया जाता है। आपदा प्रबन्धन क्रियान्वयन

एक क्रमिक व निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें अनके सरकारी व गैर सरकारी संगठन इस आपदा व विनाश का सामना करने की तैयारी करते हैं। आपदा द्वारा अव्यस्थित हुए जीवन को व्यवस्थित करने का चरणबद्ध प्रयास व कार्य ही आपदा प्रबन्धन कहलाता है।

भारत सरकार ने आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 में आपदा प्रबन्धन को इस प्रकार परिभाषित किया है "आपदा प्रबन्धन का तात्पर्य नियोजन, आयोजन, समन्वय एवं क्रियान्वयन की सतत् एवं समान्वित प्रक्रिया से है"।

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005

यद्यपि हमारे देश में विनाशकारी आपदाये आती रहती हैं किन्तु आपदा प्रबन्धन के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन 26 दिसम्बर, 2004 को हिन्द महासागर में सुनामी के समय आया। परिणामस्वरूप 09 जनवरी, 2005 को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक एंव मानवकृत आपदाओं से निपटने के लिये जो दिया गया। सरकार के विभिन्न पक्षों द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के न्यूनीकरण और निवारण के लिये उपाय करने और इस सम्बन्ध में किसी भी स्थिति से निपटने के लिये समग्र, समन्वित और अविलम्ब तरीके से निपटने के लिये कार्यवाही की आवश्यकता बताई। 11 मई, 2005 को राज्यसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया, तत्पश्चात् 23 सितम्बर, 2005 को संसद के दोनों सदनों में आपदा प्रबन्धन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ तथा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना की गयी और यह व्यवस्था की गई कि आपदाओं के समय केन्द्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तरों पर कानूनी, वित्तीय समन्वय तन्त्र बनाये जायेंगे, जो एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर कार्य करेंगे।

आपदा प्रबन्धन की संस्थागत संरचना :

वर्ष 2005 में भारत सरकार ने देश में आपदा प्रबन्धन के लिये आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के तहत् निम्न संस्थागत ढाँचा तैयार किया जो निम्नवत् हैः–

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA) -

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण भारत में शीर्ष वैधानिक निकाय है। इसका औपचारिक रूप से गठन 27 सितम्बर, 2006 को आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के तहत् हुआ।

उद्देश्य– इसका प्राथमिक उद्देश्य प्राकृतिक व मानव जनित आपदाओं के दौरान प्रतिक्रियाओं में समन्वय कायम करना और आपदा–प्रत्यास्थ आपदाओं की लचीली रणनीति व संकटकालीन प्रतिक्रिया हेतु क्षमता निर्माण करना है। आपदाओं के प्रति समयच पर और प्रभावी, प्रतिक्रिया के लिये आपदा प्रबन्धन हेतु नीतियाँ, योजनाऐं और दिशा–निर्देश तैयार करने हेतु यह एक शीर्ष निकाय है।

विजन– एक समग्र, अग्रसक्रिय तकनीक संचालित और सवहनीय विकास रणनीति के द्वारा एक सुरक्षित और आपदा–प्रत्यास्थ भारत बनाना, जिसमें सभी हितधारकों की मौजूदगी हो तथा जो रोकथाम, तैयारी और शमन की संस्कृति का पालन करती हो। भारत में आपदा प्रबन्धन की संस्थागत संरचना निम्न प्रकार से स्पष्ट है–

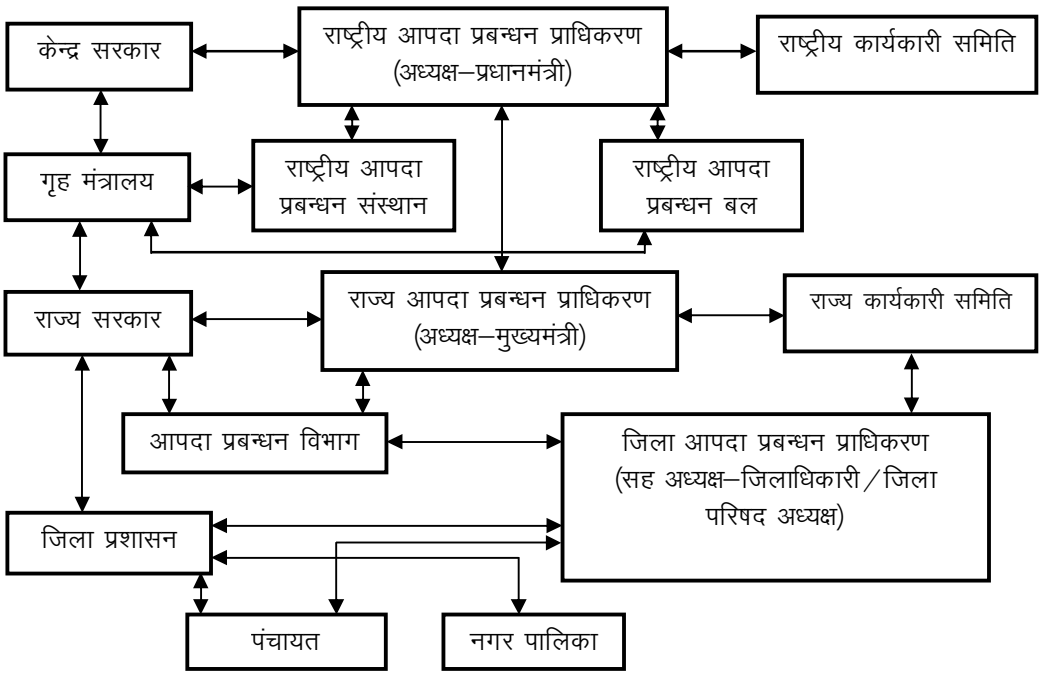

भारत में आपदा प्रबन्धन की संस्थागत संरचना

उपर्युक्त चित्र से स्पष्ट है कि आपदा प्रबन्धन हेतु कानूनी और संस्थागत संरचना का प्रावधान राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर किया जाता है। केन्द्र सरकार योजनाऐं, नीतियाँ और दिशा–निर्देश तैयार करती है, जबकि जिला प्रशासन केन्द्रीय व राज्य स्तर की एजेंसियों के साथ मिलकर अधिकांश कार्यों को सम्पन्न करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्य–

राष्ट्रीय आपदा अधिनियम की धारा 6 द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को निम्नवत् उल्लिखित किया है–

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन योजना को स्वीकृति देना।
2. आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित नीतियों का निर्धारण।
3. राष्ट्रीय योजना के अनुरूप भारत सरकार के मंत्रालय व विभागों द्वारा तैयार की गयी योजनाओं का अनुमोदन।
4. राज्य प्राधिकरणों को राज्य की आपदा प्रबन्धन योजना बनाये जाने हेतु मार्ग निर्देश।
5. भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व विभागों को उनकी विकास योजनाओं व कार्यक्रमों में आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण सम्बन्धित पक्षों के समायोजन हेतु मार्गनिर्देश।
6. न्यूनीकरण सम्बन्धित परियोजनाओं हेतु संसाधनों की संस्तुति।
7. आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित योजना व नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समन्वय।
8. आपदा प्रभावित राष्ट्रों को केन्द्र सरकार के निर्धारण के अनुरूप सहायता उपलब्ध करवाना।

9. आपदा अथवा भयावह आपदा की स्थितियों को समाना करने की दृष्टि से आवश्यकतानुसार आपदा रोकथाम, न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी एंव क्षमता विकास हेतु उपयुक्त कार्यों का सम्पादन।
10. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संस्थान के क्रियान्वयन हेतु नीति निर्धारण।

राष्ट्रीय कार्यकारी समिति–

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरण को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता देने के लिये एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन किया जाता है। केन्द्रीय गृह सचिव इसका पदेन अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति को आपदा प्रबन्धन हेतु समन्वयकारी और निगरानी निकाय के रूप में कार्य करने, राष्ट्रीय योजना बनाने और राष्ट्रीय नीति का क्रियान्वयन करने का उत्तरदायित्व दिया गया।

2. राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण–

यह सम्बन्धित राज्य के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य में आपदा प्रबन्धन के लिये नीतियाँ तैयार करता है। सभी राज्यों में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है।

राज्य कार्यकारी समिति–

इसका नेतृत्व राज्य का मुख्य सचिव करता है। राज्य कार्यकारी समिति आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत प्रावधानित राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना के क्रियान्वयन में समन्वय और निगरानी के लिये उत्तरदायी है।

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्य–

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 18 व 19 द्वारा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की शक्तियों व कार्यों को निम्नवत् परिभाषित किया गया है–

- राज्य आपदा प्रबन्धन नीति का प्रतिपादन।
- राज्य आपदा प्रबन्धन योजना का अनुमोदन।
- विभागीय आपदा प्रबन्धन योजनाओं का अनुमोदन।

- राज्य सरकार के विभागों को आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण उपायों को सम्बन्धित विभागीय/योजनाओं में सम्मिलित किये जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।
- राज्य आपदा योजना का क्रियान्वयन।
- न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी उपायों हेतु वित्तीय संसाधनों की संस्तुति।
- आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण उपायों का विभागीय कार्यक्रमों/योजनाओं में समावेश सुनिश्चित करने हेतु विभागीय योजनाओं की समीक्षा।
- आपदा न्यूनीकरण, क्षमता विकास एवं पूर्व तैयारी हेतु विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा एवं आवश्यक दिशा–निर्देश।

3. जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण–

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 25 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के सभी 13 जनपदों में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना की गयी है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट/डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर प्रमुख होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष, सह अध्यक्ष के रूप में सामूहिक कार्य करते हैं। सह–अध्यक्षता सम्बन्धित जिला परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधि भी करेंगे, जिसका प्रशासन तथा स्थानीय निकायों की मदद लेंगे। प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास, पुनर्निर्माण एवं विकासात्मक गतिविधियाँ चलाने की जिम्मेदारी स्थानीय अधिकारियों की होगी।

आपदा की स्थिति में जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्य–

- जिला आपदा योजना को शामिल करते हुए आपदा प्रबन्धन योजना बनाना।
- जिला योजना, राज्य योजना, राष्ट्रीय नीति तथा राज्य नीति को बनाने में सहयोग तथा देख–रेख करना।

- यह निश्चित करना कि आपदा सम्भावित क्षेत्रों की पहचान तथा ऐसे कदम उठायें, जिससे आपदा रोकी जा सके तथा इसके प्रभावों को न्यून किया जा सके।
- यह सुनिश्चित करना कि आपदा न्यूनीकरण तथा उसके प्रभावों में कमी लाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी तथा प्रतिक्रिया हेतु सुझाव तैयार किये जाये और जिला स्तर पर सभी विभाग इसका पालन करें।
- जिला स्तर एवं स्थानीय स्तर पर ऐसे अन्य सुझाव जिससे आपदा न्यूनीकरण व उसके प्रभाव को कम कर सकें, निर्गत करना।
- आपदा विभाग द्वारा आपदा प्रबधन हेतु जिला और स्थानीय पर सुझाव देना।
- विभाग द्वारा आपदा प्रबन्धन योजना का जिला स्तर पर क्रियान्वयन की देख–रेख।
- सभी सरकारी विभागों को जिला स्तर पर समग्र संसाधनों एंव कार्ययोजना हेतु तकनीकि मागदर्शन देना।
- आपदा सुरक्षात्मक तथा न्यूनीकरण कार्यों को क्रियान्वयन की देखरेख करने को निर्देश देना।
- किसी भी जिला स्तरीय आपदा में प्रतिक्रिया की स्थिति का पुनर्विलोकन करना एवं सम्बन्धित विभाग को निर्देशित करना।
- जिला स्तर पर आपदा न्यूनीकरण हेतु तैयारी का पुर्नविलोकन करना तथा निर्देशित करना कि सम्बन्धित विभाग किस प्रकार की नीति से प्रभावी कदम उठा सकता है।
- स्थानीय, सरकारी और गैर सरकारी संस्थान, लोगो को प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम उपलब्ध करना।
- किसी भी आपदा सम्भावना वाली स्थिति में सहयोग करना।

- जिला स्तरीय आपदा प्रतिक्रिया योजना हेतु सुझाव देना एंव समीक्षा करना।
- आपदा पूर्व सूचना एवं सही सूचना को लोगों तक पहुँचाने हेतु मजबूत सूचना तंत्र स्थापित करना एवं उसकी समय–समय पर समीक्षा करना।
- आपदा सम्भावित या प्रभावित क्षेत्रों में यातायात नियंत्रण एवं प्रतिबन्धित करना।
- आपदा प्रभावित क्षेत्रों में, आश्रय स्थलों में, भोजन, पेयजल, आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करना।
- आपदा प्रभावित क्षेत्र में संचार व्यवस्था की स्थापना करना।
- आपदा में मारे गये लोगों के शवों का धार्मिक रीति से अंतिम संस्कार करना।
- आपदा प्रभावित क्षेत्र में सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा दी जा रही सेवाओं में किसी प्रकार का भेदभाव न हो।

4. तहसील आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण–

जनपद की आपदाओं के प्रति संवेदनशीलताओं तथा विभीषिकाओं के दृष्टिगत् विभिन्न आपदाओं से पूर्व किये जाने वाले न्यूनीकरण, उपायों, रोकथाम, पूर्व तैयारी, खोज एवं बचाव, सूचना हस्तान्तरण हेतु आपदा प्रबन्धन के अधिनियम 2005 के अन्तर्गत उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समस्त तहसीलों में तहसील आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया जाता है। जिसमें संयोजक उप जिलाधिकारी व तहसीलदार, थानाध्यक्ष, चिकित्साधिकारी, पशुचिकित्साधिकारी, अग्निशमन अधिकारी, सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0, सिंचाई विभाग, पेयजल निगम, बी0एस0एन0एल0, खण्ड विकास अधिकारी, जिला पूर्ति विभाग, अधिशासी नगर पालिका, नगर पंचायत, खण्ड शिक्षा अधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी तथा तहसील के अन्तर्गत स्वंयसेवी संगठन के प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं।

तहसील आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की महत्वपूर्ण कार्यवाहियाँ–

तहसील स्तर में किसी भी प्रकार की आपदा से होने वाले नुकसान तथा आवश्यक कार्यों के लिए निम्न कार्य किये जाते हैं–

- किसी भी विभागीय क्षति की सूचना सम्बन्धित विभाग द्वारा 24 घंटे के भीतर तहसील मुख्यालय में स्थापित कन्ट्रोल रूम में देना आवश्यक होता है।
- सड़क मार्ग अवरूद्ध होने पर यातायात को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु लगायी गयी मशीनरी की समीक्षा करना।
- साप्ताहिक रूप से प्रत्येक शुक्रवार की सांय 5 बजे तक तहसील कन्ट्रोल रूम में पंजीकरण पंजिका का सत्यापित क्षति के विवरण सहित उपलब्ध कराना।
- कार्यक्षति स्थल से प्राप्त फोटोग्राफ को जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- विभागों द्वारा क्षतिग्रस्त कार्ययोजना में से सम्बन्धित प्रस्तुत प्रस्ताव जिलाधिकारियों के माध्यम से ही साप्ताहिक रूप से संकलित कर कार्यालय को उपलब्ध करवाया जायेगा।

5. ग्रामीण आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण–

ग्रामीण स्तर पर आपदा प्रबन्धन समिति का गठन का राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिया गया है। इससे आपदा के समय राहत व बचाव कार्य सुनियोजित ढंग से चलाया जा सकता है। आपदा की चेतावनी भी ग्रामीण प्रबन्धन समिति अधिक सक्षम रूप से प्रत्येक परिवार को दे सकता है। इस समिति में अध्यक्ष ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत तथा राजस्व उपनिरीक्षक, सह अध्यक्ष होते हैं। ग्राम विकास अधिकारी, प्रधानाचार्य, महिला स्वंय सहायता समूह अध्यक्ष, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ए.एन.एम. आशा कार्यकर्ता, ग्राम प्रहरी, ग्राम स्तरीय स्वंयसेवी संगठन के प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं।

ग्रामीण आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्य–

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के नियमों तथा प्राविधानों के अनुसार इसके कार्य निम्नवत् हैं–

- ग्रामीण स्तरीय क्षति का आंकलन करना।
- गाँव की आपदा संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करके उसकी सूचना जिला आपदा केन्द्र में पहुँचाना।
- ग्रामीण आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना तैयार कर तहसील कार्यालय में उपलब्ध कराना।
- ग्राम स्तर पर युवाओं, महिला मंगल दल के सदस्यों को आपदा का सामना करने के लिये तैयार करना।
- आपदा से हुई क्षति का आंकलन कर तहसील एंव जिला मुख्यालय में सूचना भेजना।
- आपदा प्रभावित ग्राम में अस्थायी पुलों, सड़क मार्ग, पैदल मार्ग का निर्माण करना।
- ग्रामीण जनता को आपदा के प्रति जागरूक करने का कार्य तथा आपदा से निपटने के लिये तैयार करना।
- आपदा प्रभावित लोगों को तत्काल आपदा राहत सामग्री पहुँचाना तथा उसका वितरण करना।
- अवस्थापना सम्बन्धी यथा– बिजली, पानी, सड़क, पुल, पैदल मार्ग, राजकीय तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति की क्षति का आंकलन कर सूचना तहसील मुख्यालय में भेजना।

उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर स्पष्ट है कि आपदाओं से निपटने व उसके प्रभाव को कम करने के लिये राष्ट्रीय, राजकीय, तहसील व स्थानीय स्तर पर चरणबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता होती है। आपदाओं से हाने

वाली मानव और प्राकृतिक क्षति को कम करने के दृष्टिकोण से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1999–2000 को अन्तर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दशक घोषित किया था। भारत में आपदा निवारण के लिये अनेक कदम उठाये हैं, इसमें नीति–निर्धारण कानून पास करना भी सम्मिलित है। आपदा प्रबन्धन केवल एक ही क्षेत्र में तथा एक ही दिशा में किया जाने वाला कार्य नहीं है अपितु यह बहुक्षेत्रीय एवं बहुआयामी विषय है।

सन्दर्भः–

1. सिंह, सविन्दर (2015) पर्यावरण भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद
2. योजना मासिक पत्रिका, मई 2006
3. आरती (2015), भिलंगना नदी प्रभाव, रूहेलखण्ड शोध पत्रिका, अंक 18वाँ, पृ0 143–150
4. उत्तराखण्ड में आपदा प्रबन्धन कार्य योजना, रूहेलखण्ड शोध पत्रिका, अंक XXIII पृ0 185–193
5. WWW. Uttarakosh.gov.in
6. http://egyankosh.ac.in
7. http://www.drishtiias.com
8. आपदा प्रबन्धन, पी.एस.नेगी, देहरादून

3

योग व इसका बढ़ता महत्व

''संयोगो योग इत्युको परमात्मनों।''

अंकित चमोली
अपर निजी सचिव
सचिवालय, देहरादून।

अर्थात इस श्लोक द्वारा योग की आध्यात्मिक व्याख्या की जा रही है, जो आत्मा व परमात्मा के मिलन योग में प्रतीत होती है।

आज विश्व भर में योग अपनी चरम अवस्था पर है। प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ जीवन व बीमारियों से दूर रहने के लिए योग को अपने दैनिक जीवन के नियम में अनुसरण करता है। आज विश्व योग के महत्व को जान चुका है कि यह वह पद्धति है जिसके द्वारा आधुनिक जीवन को सुखी अनुभव के साथ व्यतीत किया जा सकता है। योग का शाब्दिक अर्थ निकालने पर यह संस्कृत के ''युज'' शब्द का अपभ्रंश रूप है, अर्थात् यह 'वस्तुओं को सम्मिलित करना' होता है। जबकि गणित शास्त्र में 'किन्हीं दो या अधिक वस्तुाओं के जोड़ को योग' कहा जाता है। धार्मिक जीवन में यह शरीर और मन का एकात्म होना है, अर्थात यह ईश्वर और मनुष्य को जोड़ता है। आसान शब्दों में परिभाषित करने पर योग मन, वचन और क्रम का संतुलन है।

स्वास्थ्य की दृष्टि से देखने पर यह प्रकृति और मनुष्य के बीच समन्वय है। इस पद्धति द्वारा मनुष्य अपने शरीर के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करता है और अपने शरीर को प्रकृति के सबसे करीब होने की अनुभूति प्राप्त करता है। यह प्रकृति द्वारा उपलब्ध संसाधनों का शरीर के अनुकूल उपयोग करना है। योगा का अर्थ 'आसन' से भी लगाया जाता है, जिसमें शरीर के विशिष्ट भाव–भंगिमा को व्यायाम के रूप में सम्मिलित किया जाता है।

विश्व में योग का सबसे प्राचीन उदाहरण सिन्धु घाटी सभ्यता में मिलता है, जिसके अवशेषों में ध्यान मुद्रा में बैठे साधु अर्थात ''शिव'' की मूर्ति प्राप्त की गई है। इससे स्पष्ट है कि भारत ही योग की जन्मभूमि है। वैदिक काल में भी इसका प्रयोग चित्त को एकाग्र करने में और शरीर को 'कठिन साधना' में लीन करने के लिए किया जाता था। वहीं भगवत गीता में कृष्ण द्वारा अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं (ज्ञान, भक्ति और कार्य) के समन्वयन को ''समत्व'' अर्थात योग कहा गया है। उपनिषद् काल में ''छान्दोग्योपनिषद'' तथा ''अथर्ववेद'' में विभिन्न शारीरिक मुद्राओं के लिए योग का प्रयोग हुआ है। हालांकि वर्तमान में प्रचारित योग की नींव ''पतंजली'' के ''योग–सूत्र'' द्वारा डाली गई थी। इनके द्वारा इन्होंने अपने आष्टांगिक योग का प्रतिपादन किया गया था।

यद्यपि इसी आष्टांगिक योग के माध्यम से गौतम बुद्ध व महावीर स्वामी द्वारा ज्ञान की प्राप्ति की गई थी और कालान्तर में बौद्ध धर्म की महायान शाखा में योगाचार, हठयोग, इत्यादि में भी योग का प्रभाव बना रहा यहाँ तक कि मुख्यतः बुद्ध का अनुसरण करने वाले कई देशों में कई फुरतीली कलाओं जैसे जूडो–करांटे व मार्शल आर्ट्स में भी योग का प्रभाव व ध्यान प्रथम चरण होता है। मध्यकाल में योग की यात्रा में निजामुद्दीन औलिया जैसे सूफी संत सम्मिलित हुए और ''योग सिद्ध'' कहलाए।

आधुनिक काल में यह यात्रा स्वामी विवेकानन्द द्वारा 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन के माध्यम से पूरे विश्व में पहुँचाई गई, जिसे बाद में अरबिन्दो घोष ने 'इन्टीग्रल योग', महेश योगी का 'ट्रान्सडेंटल ध्यान' व ओशो का 'समाधि योग' द्वारा पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया गया। इस यात्रा को आज स्वामी रामदेव ने एक नई ऊँचाई को प्राप्त करा दिया है और पूरे विश्व में आधुनिक ''योग गुरू'' के नाम से विख्यात हो गए हैं। उन्होंने तो इसे आधुनिक जीवन पद्धति का अनिवार्य भाग बना दिया है। प्राणायम, अनुलोम–विलोम व कपालभाती जैसे प्रमुख योगासन व इनकी सरल क्रियाओं ने इसे प्रसिद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

पिछले 3–4 दशकों में योग के साथ कई आयाम जोड़कर देखे गए हैं, मुख्यतः यह एक निरोधात्मक व उपचारात्मक पद्धति है। जब यह निरोधात्मक रूप में अनुसरण की जाए, तो यह एक जीवन पद्धति का रूपदिखाई पड़ती है, और जब यह किसी असाध्य अथवा दुसाध्य बीमारियों के लिए अनुसरण की जाए तो यह अचूक रामबाण पद्धति उपचारात्मक सिद्ध होती है, साथ ही इसका कोई नकारात्मक प्रभाव भी नहीं होता। योग की पद्धति में किसी प्रकार के भी पूर्व परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती और इतनी सरल कि नाममात्र की धनराशि खर्च करने पर ही यह सबकी पहुँच में आ जाती है।

अगर सकारात्मक रूप में बात की जाए तो स्वास्थ्य लाभ के अतिरिक्त यह देवभूमि उत्तराखण्ड प्रदेश को कई तरह से लाभान्वित करती है और भविष्य में इससे भी कई अधिक संभावनाओं के साथ करेगा। आज ऋषिकेश व हरिद्वार जैसे नगरों को योग द्वारा नई पहचान प्रदान की गई है और यह विश्व में 'योग की राजधानी' के रूप में विख्यात हुए हैं। ऋषिकेश में तो वर्ष 2014 के उपरान्त हर वर्ष ''विश्व योग महोत्सव'' का आयोजन किया जाता है जहाँ देश–विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक इस पद्धति को सीखने आते हैं। योग ने नेचुरलोपैथी के साथ मिलकर राजस्व का एक बड़ा स्त्रोत विकसित किया है। उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था मुख्यतः पर्यटन पर निर्भर होने के कारण, योग द्वारा भी राज्य की आय में अतिरिक्त लाभ अर्जित किया जा रहा है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य व स्वास्थ्य के अनुकूल वातावरण योग साधकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। साथ ही साथ कई योग संस्थानों की स्थापना द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर की उपलब्धता प्रदान की जा रही है। यह अंततः पहाड़ी राज्य में पलायन को रोकने में मील का पत्थर साबित हो सकता है।

आज भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि काफी मजबूत हुई है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 21 जून को ''विश्व योग दिवस'' के रूप में घोषित किया गया है, जो इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति को भी प्रदर्शित करता है। इसके माध्यम से भारतीय संस्कृति का भी पूरे विश्व में प्रचार–प्रसार हुआ है। साथ ही यह भारत के प्राचीन ज्ञान व विज्ञान के महत्व को भी पुष्ट करता है। संयुक्त राष्ट्र ही नहीं अपितु यूनेस्को द्वारा भी इसे वर्ष 2016 में ''अमूर्त सांस्कृतिक विरासत'' में

सम्मिलित किया गया है। इसके महत्व को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के नजरिये से देखा जाए तो ''योग आध्यात्मिक क्रियाओं की वैश्विक भाषा है''। 'अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्टस मेडिसिन' द्वारा इसे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक जागरूकता का स्त्रोत माना है।

आज योग के नए–नए स्वरूप देखने को मिलते हैं जिसमें श्री श्री रविशंकर का ''आर्ट ऑफ लीविंग'' तथा 'सुदर्शन क्रिया'', गुरू विक्रम का ''हॉट योगा'' और जग्गी गुरू व शिल्पा शेट्टी द्वारा इसे ''ऐरोबिक्स'' की क्रिया से जोड़ दिया गया है। इसी लोचनशीलता के कारण वर्ष 2001 में इसके 4 मिलियन, 2011 में 20 मिलियन व 2015 में 30 मिलियन तक अनुयायों की वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई। इसके बावजूद कुछ कट्टरपंथी सामाजिक तत्वों द्वारा इसे धार्मिक चश्मे से देखा जाता है और इसे धर्म विरोधी कहकर इसकी आलोचना व विरोध किया जाता है। उनके लिए यह भाव धार्मिक क्रियाओं का ''म्यूट वर्जन'' है।

स्पष्ट है कि ''सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया'' की भावना से जो यात्रा हमने वैदिक काल से प्रारम्भ की थी, उसमें विश्व का हर देश, हर महाद्वीप और वहाँ के निवासी सम्मिलित हो रहे हैं। यह योग ही है जो संतुलन और सर्वांगीणता पर बल देता है और इसलिए यह समावेशी विकास व धारणीय विकास में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

4

पलायन : पहाड़ का सन्नाटा

श्री नीरज प्रसाद
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
टिहरी गढ़वाल
उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन, जी हॉ 90 का वो दशक सैकड़ों की शहादत, अनगिनत क्रांतिकारी घायल, छोटे बड़े गाँव, शहर में आन्दोलन, हड़तालें! कठोर संघर्ष के बाद आखिरकार सन् 2000 में हमें मिला उत्तराखण्ड, अब जनता ने आस लगाई थी कि अब तो यहाँ के पानी और जवानी का उपयोग पहाड़ों के हित में होगा, पहाड़ की पूरी जवानी समर्पित किए वह बुजुर्ग अब इस आस में थे कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधायें अब यहीं मिल जाया करेंगी। असीमित सपने लिए वह माँ–बाप ये सोचकर खुश थे कि शिक्षा भी अब उन्हें यहीं पहाड़ों पर मिल जायेगी और न जाने क्या–क्या।

सच तो यह है कि 19 साल बाद भी अभी स्थायी राजधानी पर मतभेद है, यहाँ समस्या आए दिन आन्दोलन का रूप ले लेती है। स्थायी राजधानी के लिए दीक्षित आयोग तो बना कई बार विस्तार हुआ, परिणाम हमारे सामने है अगर पहाड़ की समस्या की बात की जाए तो वह किसी पहाड़ से कम नहीं है। मई–जून तक तो ठीक है परन्तु बाकि महिनों में पहाड़ सन्नाटे में अगले जून का इन्जार करता है। जो बच्चे गाँव में हैं स्कूल से यह सपने देखने शुरू कर लेते हैं कि हमें तराई–भॉवर–दून में जाकर नाम कमाना है, पहाड़ में रोजगार की स्थिति तो ईश्वर के भरोसे है। स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलने के लिए किसी भी दिन का एक न्यूज पेपर काफी है। गर्भवती महिला ने रास्तें में दिया बच्चे को जन्म, अस्पताल ले जाने से पहले रास्ते में बुजुर्ग ने तोड़ा दम, और न

जाने क्या–क्या। यही स्थिति शिक्षा की है न चाहते हुए भी पनलायन को मजबूर हैं पहाड़ के युवा। आपदा प्रबन्धन हो या यातायात हर क्षेत्र में हम 19 साल बाद भी विफल रहे, अब सरकार का तो बोलना है कि हम तो पूरा बजट भेज रहे हैं। वास्तविकता यह है कि एक ऐवरेज गाँव–गाँव में 2 या 4 से ज्यादा युवा नहीं दिखाई देंगे, खेतों में अब फसल बहुत कम हो गई, जो होती है उसे जंगली सुंवर हानि पहुँचाते हैं और बाकि का काम बन्दरों का। कहीं गुलदार आंगन से बच्चों को उठा लेता है तो कहीं भालू गाँव में घुस जाता है। बसन्त के बाद तो जंगलों पर आग का हमला हो जाता है। समस्याओं से घिरे इन पहाड़ों से तभी यह समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। सोशल मीडिया के इस जमाने में ग्लैमर तो शहरी क्षेत्रों में ही मिलेगा सभी चाहते हैं क्यों न हम भी एक अच्छी लाइफ स्टाइल के साथ शहर में ऐश की जिन्दगी जिएं।

आंकड़े भयभीत कर देने वाले हैं राज्य के 3946 गाँवों से लगभग 1,81,981 लोगों ने स्थायी रूप से पलायन कर लिया है। वहीं 6338 गाँवों के लगभग 3,83,726 लोग अस्थायी रूप से काम धंधे और पढ़ाई लिखाई के लिए राज्य छोड़ने को मजबूर हुए हैं। आलम यह है कि हर दिन औसतन 33 लोग गाँव से पलायन कर रहे हैं। हजारों की संख्या में गाँव पूरी तरह खाली हो चुके हैं, वहीं 400 से अधिक गाँव ऐसे है जहाँ 10 से भी कम नागरिक हैं। 2018 तक 1738 गाँव पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, जिसमें मुख्यमंत्री जी के जिले में सर्वाधिक हैं।

सूबे में पलायन को देखते हुए मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में अक्टूबर, 2017 को पलायन आयोग का गठन किया गया, जिसमें उपाध्यक्ष डॉ. शरत सिंह नेगी को बनाया गया, आयोग ने 13 जिलों में 7950 ग्राम पंचायतों की रिपोर्ट तैयार की जिसमें रोजगार के कारण 52 प्रतिशत युवाओं का पलायन हुआ, इसके बाद शिक्षा के लिए लगभग 15 प्रतिशत तथा 8 प्रतिशत चिकित्सा के लिए पलायन हुआ। 2344 प्राथमिक व जूनियर स्कूल बंदी की कगार पर हैं। 3. 5 लाख घर वीरान पड़े हैं। इसमें पौड़ी और अल्मोड़ा शीर्ष पर हैं। पहाड़ के घरों में लटकते ताले, गाँव में दूर–दूर तक फैला सन्नाटा इसकी ओर भी इशारा करता है कि भौगोलिक संरचना भी कहीं न कहीं जिम्मेदार है।

समाधान कैसे हो राज्य हित के लिए एकजुट होकर मंथन करने की जरूरत है। कृषि और गैर कृषि आय में बढ़ावा, पशुपालन के लिए विशेष व्यवस्था, पर्यटन जो कि मील का पत्थर साबित हो सकता है, मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता, अनिवार्य स्वरोजगार, सूक्ष्म लघु उद्योग को बढ़ावा और सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं की भूमिका व बेहतरी पर विशेष ध्यान दिया जाए तो बाकी बचे गाँव खण्डहर होने से रोके जा सकते हैं।

जनता का दर्द यह है कि पहाड़ पर न तो रोजगार है न ही उपजाऊ जमीन। जन प्रतिनिधि तथा सरकारों को एक दूसरे को कोसने से फुर्सत नहीं। पहाड़ पर पहाड़ जैसा जीवन जीने को मजबूर लोगों की समस्यायें समझने के प्रयास के दावे करते–करते सरकारें आती हैं जाती हैं लेकिन लोगों के सामने रह जाता है तो विकट पहाड़।

5

पर्यटन और पंचकर्मः उत्तराखण्ड की जरूरत

डॉ. आलोक कुमार शुक्ला
चिकित्साधिकारी
पूर्व सदस्य, भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड,
प्रभारी चिकित्साधिकारी
राजकीय चिकित्सालय, काशीपुर।

पंचकर्म आयुर्वेद का एक प्रमुख शुद्धिकरण उपचार है। पंचकर्म का अर्थ पाँच विभिन्न चिकित्साओं का संमिश्रण है। इस प्रक्रिया का प्रयोग शरीर को बीमारियों एवं कुपोषण द्वारा छोड़े गये विषैले पदार्थों से निर्मल करने के लिये होता है। आयुर्वेद कहता है कि असंतुलित दोष अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करता है जिसे 'आम' कहा जाता है। यह दुर्गंधयुक्त, चिपचिपा, हानिकारक पदार्थ होता है जिसे शरीर से यथासंभव संपूर्ण रूप से निकालना आवश्यक है। 'आम' के निर्माण को रोकने के लिये आयुर्वेदिक साहित्य व्यक्ति को उचित आहार देने के साथ उपयुक्त जीवन शैली, आदतें तथा व्यायाम पर रखने, तथा पंचकर्म जैसे एक उचित निर्मलीकरण कार्यक्रम को लागू करने की सलाह देते हैं।

आयुर्वेद प्रदेश उत्तराखण्ड

हिमालय के क्षेत्र में स्थित मध्य हिमालय राज्य उत्तराखण्ड जिसके इस सम्पूर्ण भू–भाग के अन्दर जहाँ पर्वतीय भू–भाग 83 प्रतिशत और 63 प्रतिशत वन आच्छादित क्षेत्र है। उत्तराखण्ड राज्य के अन्दर गंगा, यमुना और शारदा नदियों का उदगम स्थल स्थापित है। राज्य के अन्दर वन औषधियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। इन वनौषधियों के लुप्त होने की संभावना बनी रहती है। इनकी पहचान और अभिलेखीकरण अति आवश्यक है। हिमालय को प्राचीन काल से ही उच्च गुणवत्तायुक्त औषधियों का भण्डार कहा जाता है। दिव्य गुणों से परिपूर्ण ये औषधियां जैसे संजीवनी, इसकी उत्पत्ति भी हिमालय यानि

उत्तराखण्ड में बताई गई है। वर्तमान समय में यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि विश्व के बाजार में वन औषधियों के कुल मांग के सापेक्ष अपने भारत का बाजार में इसका हिस्सा काफी कम है। उत्तराखण्ड के अन्दर इन वन औषधियों की अपार सम्पदा है। इसको बढ़ावा दिये जाने के लिए आयुर्वेद के क्षेत्र में, व्यावसायिक और शिक्षा के क्षेत्र में औषधियों को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की समस्याओं के निदान के साथ–साथ युवकों को रोजगार के नये अवसर प्रदान कर राज्य से पलायन को रोका जा सकता है। इसके माध्यम से आयुर्वेद की ओर यहाँ के युवाओं का रुझान होगा, वहीं यहाँ पर रोजगारों का सृजन भी होगा, साथ ही राज्य के राजस्व में वृद्धि भी होगी। आयुर्वेद के समग्र विकास हेतु राज्य को आयुष प्रदेश घोषित किया गया है।

राजनैतिक इच्छाशक्ति का अभाव

राजनैतिक इच्छाशक्ति के अभाव के कारण उत्तराखण्ड को आयुष प्रदेश का दर्जा देकर राज्य में विभिन्न स्थानों पर खोली गई पंचकर्म यूनिट बंदी की कगार पर हैं। राज्य के कुल 44 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में पंचकर्म ईकाइयों को खुले पांच वर्ष से अधिक हो चुके हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं हैं। इन पंचकर्म इकाइयों को खोलने का मुख्य उद्देश्य सीमांत एवं पर्वतीय जनपदों में लोगों को आयुर्वेद की इस विशिष्ट विधा का लाभ देना था। प्रदेश सरकार के आयुर्वेदिक चिकित्सा के प्रति उपेक्षा का आलम यह है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देने हेतु इन संचालित पंचकर्म इकाइयों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्त करने की जगह वह आयुर्वेदिक चिकित्सकों से एलोपैथिक चिकित्सकों के निर्देशन में अंग्रेजी दवाएं बटवाना चाहती है।

केरलीय पंचकर्म के उत्थान से सबक लेने की जरूरत

आयुष प्रदेश होने के बाद भी यह उत्तराखण्ड आयुर्वेद का दुर्भाग्य ही है कि यहां के आयुर्वेद विशेषज्ञ केरल जाकर पंचकर्म सीखने के लिए मजबूर होते हैं। केरल सरकार की राजनैतिक इच्छाशक्ति का ही परिणाम है कि आज केरलीय पंचकर्म प्रदेश की आय का मुख्य श्रोत होने के साथ ही देश में ही नहीं वरन विदेशों में भी अपनी अमिट छाप छोड़ रहा है। किसी जमाने में केरल के

पंचकर्म का जिक्र इस बात के लिये किया जाता था कि केरलीय पंचकर्म के उपयोग के द्वारा शरीर का सुन्दरीकरण किया जा सकता है, परन्तु आज यह जटिल रोगों के उपचार के लिए देश ही नहीं वरन विदेशों से आए रोगियों के लिए आशा का एक केंद्र बन गया है।

उत्तराखण्डीय पंचकर्म विधा को विकसित करने की जरूरत

उत्तराखण्ड में आयुर्वेद और पंचकर्म को बढ़ावा देने की जरूरत के साथ पंचकर्म की शोधपरक चिकित्सकीय विधियों को पुर्नस्थापित करने की जरूरत है। उत्तराखण्ड में आयुर्वेद प्रतिभाओं की भरमार है, जिनमें पंचकर्म की वैज्ञानिक विधाओं को विकसित करने की अपार क्षमता है।

पंचकर्म को पर्यटन से जोड़ने की जरूरत

उत्तराखण्ड का नैसर्गिक सौन्दर्य एवं वन सम्पदाएं जहाँ एक तरफ लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं वहीं दूसरी तरफ औषधियों से भरपूर होने के कारण आयुर्वेदिक उपचार को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश में आयुर्वेद और पंचकर्म को बढ़ावा देने की जरूरत है। यह पर्यटन की दृष्टि से भी राज्य के लिए लाभकारी होगा। आयुर्वेद एवं पंचकर्म तीन हजार वर्ष पुरानी प्राचीन विधा है आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सा की एक ऐसी विधा है, जिसमें न सिर्फ रोगी का उपचार, बल्कि इस उपचार के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति को लंबे समय तक निरोग रखा जा सकता है। इस प्रकार इस विधा से न केवल मरीजों को सही उपचार मिल सकेगा, बल्कि इस विधि से पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा सकता है।

पंचकर्म चिकित्सा द्वारा जटिल रोगों का उपचार के क्लीनिकल रिसर्च की जरूरत

आयुर्वेद संहिताओं में रोगोपचार की दो विधियाँ बताई गई हैंः प्रथम–शमन चिकित्सा, जिसमें औषधियों द्वारा रोगों का शमन किया जाता है, द्वितीय–संशोधन चिकित्सा, जिसमें विषम हो चुके दोषों को शरीर से औषधियों के द्वारा बाहर निकाल कर शारीरिक दोषों को साम्य अवस्था में लाया जाता है।

शास्त्रों में कहा गया है–

दोषाः कदाचित्कुप्यंति जिता लंघन पाचनैः,
जिताः संशोधनैर्यषु न तेषां पुनरुद्भवः।। (च.सू.–16–20)

अर्थात् शमन चिकित्सा द्वारा चिकित्सित रोग पुनः उत्पन्न हो सकता है, परन्तु शोधन चिकित्सा द्वारा में शारीरिक व्याधियों के कारक दूषित दोषों को शरीर से बाहर निकाल फेंकने से अधिकांश व्याधियां स्वतः ठीक हो जाती हैं और पुनः उत्पन्न नहीं हो पाती हैं एवं उसके बाद किया गया उपचार अधिक प्रभावी होता है। पंचकर्म इसी शोधन विधि का तकनीकी नाम है। इसकी क्रमबद्धता निम्न प्रकार हैः–

पूर्वकर्मः स्नेहन, स्वेदन

प्रधानकर्मः वमन, विरेचन, आस्थापन बस्ति, अनुवासन–बस्ति,शिरो–विरेचन

आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति में प्रायः अधिकांश रोगों में रोगानुसार किसी एक कर्म के द्वारा शोधन कराने के बाद ही औषध के आभ्यंतर प्रयोग का विधान है। इससे कोई भी रोग पूर्ण एवं समूल दूर किया जाता है। बिना पंचकर्म के औषध सेवन से रोगों का शमन हो सकता है किन्तु समूल नाश नहीं हो सकता। अतः रोगों को समूल नष्ट करने एवं शोधन के बाद रसायन सेवन से कायाकल्प (Rejunation)करने में पंचकर्म पद्धति आवश्यक है।

वर्तमान में पंचकर्म चिकित्सा पद्धति काफी लोकप्रिय हो रही है, लेकिन शास्त्र सम्मत तरीके से न करने पर इसके विपरीत प्रभाव भी होते हैं, जो बाद में अधिक जटिलता उत्पन्न कर देते हैं। मानव सभ्यता की किसी भी वस्तु की उपयोगिता को बनाये रखने के लिए वर्तमान आवश्यकताओं और मानकों के अनुरूप बनाना पड़ता है। प्राचीन को यथावत प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसीलिए विश्व के प्राचीन ज्ञान विज्ञान, तकनी, परम्परायें व आस्था समय–समय पर लोक व लोकनायकों द्वारा रुपान्तरित, परिमार्जित, संशोधित होती रहती है। जिससे उसकी उपयोगिता व जीवंतता बनी रहती है। यह विचार भारतीय आयुर्विज्ञान पर भी लागू होती है।

अतः पंचकर्म टैक्निक्स को शोध आधारित रोगानुसार मानकीकृत करने की जरूरत है। आयुर्वेद विश्वविद्यालयों एवं कालेजों की जिम्मेदारी बनती है कि वे पंचकर्म चिकित्सा आधारित क्लीनिकल रिसर्च परियोजनाओं का संचालन वृहद स्तर पर करें और इसमें विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत चिकित्सकों को भी संलग्न करें। इस प्रकार हम शोध आधारित मानकीकृत उत्तराखण्डीय पंचकर्म विधियों का निर्माण कर पायेंगे, लेखक द्वारा वर्ष 2008 से 2011 तक भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड के निर्वाचित संकाय सदस्य के रूप में रहते हुए परिषद से प्रथम बार उत्तराखण्ड में पंचकर्म टैक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स शुरू कराया गया, जिसके पारिणाम अब धीरे–धीरे धरातल पर दिखने लगे हैं।

6

पारिस्थितिकी संकट – एक दार्शनिक विमर्श

डॉ. राहुल सचान
जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स

दर्शन जीवन और जगत के सत्य का अनुसंधान है। जीवन के तत्व अत्यन्त जटिल हैं तथा जगत के रहस्य बड़े गहरे हैं मनुष्य की चेतना युगों से इन तत्वों और रहस्यों के उद्घाटन एवं सामंजस्य के लिए प्रयत्नशील रही हैं। प्राचीनकाल में पारिस्थितिकी का अत्यधिक महत्व था तथा प्रकृति एवं मानव के मध्य पर्याप्त संतुलन था। सम्पूर्ण जीव मण्डल में अभेदवाद अद्वैतवाद व्याप्त था, परन्तु वर्तमान में मानव की अनियमित विकास और सुखभोग की मानसिकता से सम्पूर्ण पारिस्थितिकी सन्तुलन को नष्ट कर दिया है जिससे मानव अस्तित्व स्वयं खतरे में पड़ गया है।

पारिस्थितिकी संतुलन की इस समस्या को ध्यान में रखकर 1869 में फ्रांस के ज्योफ्री सेंट हिलेरी ने जीवों के परिवार तथा समुदाय का व्यवस्थित अध्ययन किया और उनके संबंधों को इथोलॉजी (Ethology) नाम दिया। तत्पश्चात् 1869 में जर्मन जीव विज्ञानी अर्नेस्ट हेकेल ने सर्वप्रथम इकोलॉजी (Ecology) शब्द का प्रयोग किया। 1935 में ए.जी. टेन्सले ने परिस्थितिकी तन्त्र (Eco system)का प्रयोग किया। उनके अनुसार पारिस्थितिकी तन्त्र एक गतिक तन्त्र होता है जिसकी संरचना बायोम और आवास या भौतिक पर्यावरण है। बायोम में सभी जीवों का समूह, वनस्पति तथा प्राणी, जो एक इकाई के रूप में रहते हैं, आते हैं। पारिस्थितिकी तन्त्र में पदार्थ और ऊर्जा का निवेश होता है जिसके द्वारा जैविक संरचना का निर्माण होता है और इसमें पदार्थ तथा ऊर्जा का निगमन भी होता है, ताकि पारिस्थितिकी तन्त्र में समान स्थिति बनी रहे।

परन्तु जब मानव सम्पूर्ण ब्राह्माण्ड के साथ एक्य का अनुभव करता है तो पारिस्थितिकी का यह स्वरूप आध्यात्मिक होता है। विश्व के अनेक धर्मों द्वारा

इस एकत्व का उपदेश दिया गया है। इस प्रकार पारिस्थितिकी दर्शन का उद्देश्य मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले विकास का मानव हित एवं पर्यावरण के संबंध में अध्ययन करना है।

आधुनिक युग में मानव भौतिकवाद एवं एकांगी विकासात्मक क्रियाएं अपनाकर प्रकृति में असन्तुलन उत्पन्न कर रहा है। ज्यों–ज्यों औद्योगीकरण एवं शहरीकरण का विकास हुआ, पारिस्थितिकी संकट बढ़ता गया। मनुष्य ने प्रकृति में अपने आपको केन्द्र में रखा तथा अन्य जीव–जन्तुओं को अपना साधन माना। समाज की नवीन परिभाषा में समाज केवल मानव तक ही सीमित हो गया, भौतिक संसाधन विकास के मानदण्ड हो गये। जिस समाज के पास भोग की वस्तुएं जितनी अधिक होंगी उसे उतना ही विकसित माना जाता रहा है।

वर्तमान में मानव के रहन–सहन व सुख–सुविधाओं ने प्रकृति के कृत्रिम रूप को विकसित कर लिया है। खनिजों का निर्ममता से दोहन, अप्राकृतिक साधनों से जलवायु को परिवर्तित करना, वन एवं जीवों का विनाश, कीटनाशी रसायनों का अत्यधिक प्रयोग, भूमिजल का गिरता हुआ स्तर, कारखानों एवं मोटरवाहनों से फैलता जहरीला धुँआ, सभी ने वायुमण्डल के वातावरण को विषाक्त कर दिया है। इस विषाक्त हवाओं से तथा असमय मौसम परिवर्तन ने मानव जीवन एवं वनस्पतियों को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। वायु मण्डल में 6 लाख अरब टन हवा है। सामान्य व्यक्ति को दिन भर में 22000 बार साँस लेना होता है। उसे लगभग 16 किलो ऑक्सीजन की आवश्यकता प्रतिदिन होती है परन्तु वायु प्रदूषण के कारण इतनी आवश्यकता भी पूरी नहीं हो पा रही है। फलस्वरूप मनुष्य अनेक बीमारियों से ग्रस्त होता जा रहा है। ओजोन के निरन्तर क्षरण से तापमान में निरन्तर वृद्धि हो रही हे जिसका हानिकारक प्रभाव समस्त वायुमण्डल पर दिखायी देने लगा है।

तकनीकी और औद्योगिक विकास ने एक ओर प्रकृति का बड़े पैमाने पर दोहन किया तो दूसरी ओर प्रकृति से उन लोगों का हक मारा गया जिनका प्राकृतिक संसाधनों पर बराबर का अधिकार है। परिणामस्वरूप मानव ही मानव का दुश्मन बनता गया और उनके मध्य की खाई निरन्तर गहरी होती जा रही है। कुछ लोगों के हाथों में तो अथाह सम्पदा है तो लाखों लोग आधारभूत न्यूनतम संसाधनों के अभाव में समयपूर्व ही कालकवलित होते जा रहे हैं।

वास्तव में पारिस्थितिकी एक प्रभावकारी एजेन्सी है जो तकनीकी पर नियन्त्रण करती है। वह केवल एक विज्ञान है जो स्वयं तकनीकी से विकसित हुई है लेकिन यह विकास नैतिक दर्शन, धर्मदर्शन और सौन्दर्यदर्शन के बिना सम्भव नहीं है। मनुष्य के लिए शुभ क्या है– क्या जो वर्तमान में शुभ है वह भविष्य के लिए भी अच्छा ही होगा या बुरा भी हो सकता है। ऐसे नैतिक विचार पारिस्थितिकी दर्शन के केन्द्र बिन्दु हैं, नैतिक दर्शन के अभाव में तकनीकी भस्मासुर हो जाती है परन्तु दुर्भाग्य रहा कि वर्षों से वैज्ञानिक और तकनीकी विद्वान दर्शनशास्त्र के प्रति उदासीन रहे, जिसके कारण पारिस्थितिकी की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। सम्पूर्ण जीवमण्डल का अस्तित्व ही प्रश्नचिन्ह के घेरे में आ गया है और इस समस्या का समाधान नीतिशास्त्र द्वारा ही सम्भव है।

वर्तमान में वैज्ञानिकों और विद्वानों ने पारिस्थितिकी दर्शन पर सहमति जतायी है परन्तु मतभेद इस आधार पर है कि पारस्परिक नीतिशास्त्र को अपनाया जाये या आधुनिकता के साथ उसका समन्वय किया जाये। इस विषय में गाँधी जी द्वारा प्रस्तुत मार्ग अधिक अनुकरणीय तथा प्रशंसनीय है, जिसमें अहिंसावादी नीतिशास्त्र को स्वीकार किया गया है। वर्तमान विचारकों ने भी इसी पर बल दिया है कि **तकनीकी मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य तकनीकी के लिए।** इसलिए आवश्यक है**परिष्कृत तकनीकी विकास की और साथ ही नवीन सामाजिक तथा नैतिक दर्शन की।** क्योंकि पारिस्थितिकी संकट का समाधान किसी एक क्षेत्र में सुधार करके नहीं किया जा सकता है बल्कि अनेक क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करके ही यह कार्य सम्भव है। बुद्धिजीवियों, वैज्ञानिकों और धार्मिक गुरुओं को समाधान के लिए आगे आना चाहिए जिनके सहयोग और निरपेक्ष विचार की अवधारणा से यह कार्य सम्भव हो पायेगा।

इस प्रकार निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मनुष्य को अपनी नैतिकता का पालन करते हुए अतिशय भोगवादी प्रकृति से बचना चाहिए, हमें अपने विचारों पर दृढ़ रहना चाहिए तथा सद्आचरण पर बल देना चाहिए। गाँधी जी ने भी कहा था –**"प्रकृति मनुष्य के आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है परन्तु उसके लालच की नहीं – मूझे अपने देशवासियों की पीड़ाओं के निवारण से भी अधिक चिन्ता मानव प्रकृति के बर्बरीकरण को रोकने की है। इस बर्बरीकरण को**

रोकना मनुष्य के पवित्रता बोध से ही सम्भव है।'' पर्यावरणीय नीतिशास्त्र पारिस्थितिकी सन्तुलन की स्थापना हेतु सम्पोषणीय विकास की अवधारणा का समर्थन करता है जिससे कि भावी पीढ़ी के गुणवत्तायुक्त सुरक्षित जीवन–यापन के लिए स्वस्थ पर्यावरण और समुचित प्राकृतिक संसाधन संरक्षित किये जा सके। इसके लिए हमें अपनी जीवन शैली के अतिरिक्त अपनी मानसिकता, दृष्टिकोण और चिन्तन में भी परिवर्तन लाना होगा। मानव तथा मानवेत्तर प्राणियों के मध्य मैत्रीभाव एवं सामंजस्यपूर्ण संबंध की भावना को विकसित करना होगा। इसी नवीन दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना होगा ताकि यह सुन्दर प्रकृति और भी सुन्दर बनी रहे।

7

प्रदेश में केसर कृषिकरण– एक अभिनव पहल

डॉ. डी.एस.विष्ट
वैज्ञानिक प्रभारी/जनपद समन्वयक
मनेरा उपकेन्द्र उत्तरकाशी

प्रस्तावना

उत्तरकाशी जनपद के उच्च हिमालयी क्षेत्र जैसे हर्षिल, झाला, धराली, जसपुर, एवं सुक्की आदि गांव जलवायु के दुष्टिगत दुर्लभ जड़ी–बूटियों जैसे अतीस, कूठ, कुटकी, जटामांसी, सालम पंजा, सतवा आदि के प्राकृतिक वास एवं कृषिकरण हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। चूँकि केसर प्रजाति का भी अत्यधिक औषधीय महत्व है और यह प्रजाति उच्च हिमालयी क्षेत्रों में उगायी जाती है। इसलिये उक्त क्षेत्रों की जलवायु में केसर की खेती के अनुसंधान हेतु वर्ष 2019 में कृषि विज्ञान केन्द्र, चिन्यालीसौड़, जनपद उत्तरकाशी के वैज्ञानिकों द्वारा केसर के कुछ बल्व (बीज) हर्षिल एवं सुक्खी के कुछ कृषकों को दिये गये थे।

जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान (एच.आर.डी.आई.) जिसका मुख्यालय मण्डल– गोपेश्वर में है तथा जिसका मुख्य कार्य महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ जड़ी–बूटियों का कृषिकरण के माध्यम से संरक्षण करना है तथा जड़ी–बूटी सैक्टर के प्रदेश में विकास हेतु राज्य सरकार की नोडल ऐजेंसी है। वर्ष 2020 में शासन द्वारा उत्तरकाशी में एच.आर.डी.आई. का उपकेन्द्र मरेरा में खोला गया।

एच.आर.डी.आई. उपकेन्द्र मनेरा के वैज्ञानिकों द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र, चिन्यालीसौड़ के केसर में किये गये उक्त अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुये संबंधित कृषकों द्वारा लगाये गये एवं अंकुरित केसर के बल्वों का गहन अध्ययन किया गया।

संभवनायें

उपरोक्त गांवों में अनुकूल जलवायु एवं पूर्व में किये गये अनुसंधान के आधार पर यह देखा गया है कि केसर की खेती हेतु यह क्षेत्र उपयुक्त है। उपरोक्त कृषकों के द्वारा अनुसंधान स्तर पर लगाये गये केसर से यह पाया गया कि यह क्षेत्र कश्मीरी केसर के कृषिकरण हेतु उपयुक्त है। जिसमें भ्रमण, निरीक्षण एवं अनुसंधान के दौरान निम्न तथ्यों का संज्ञान लिया गया हैः–

- क्षेत्र में लगाये गये केसर का अंकुरण समय पर हो रहा है तथा पौधों का साईज सामान्य है तथा कुछ में सामान्य से अधिक अच्छा साईज पाया गया।
- फूलों से ही केसर का उत्पादन होता है तथा फूलों का साईज उतना ही अच्छा पाया गया है जितना कि कश्मीर में उगाये गये केसर का साईज होता है।
- केसर के बल्व का रोपण सामान्यतया माह जुलाई–अगस्त में किया जाता है तथा इसमें तीन माह पश्चात् सितम्बर–अक्टूबर में Flowering होती है। उपरोक्त कृषकों द्वारा तकनीकी ज्ञान के अभाव में माह अक्टूबर में केसर के बल्वों का रोपण किया गया था। इसके पश्चात् भी एक माह के भीतर फूलों का उत्पादन देखा गया, जिससे केसर के कृषिकरण के लिये उपयुक्त जलवायु का पता चलता है।
- उपकेन्द्र द्वारा स्थानीय कृषकों से वार्ता एवं बैठक की गयी तथा केसर के कृषिकरण के लाभ एवं तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराया गया।
- बैठक में सेब के बगीचा धारक कृषकों द्वारा सेब के बगीचों में केसर के कृषिकरण हेतु अपनी सहमति दी गयी।

उत्तरकाशी जनपद में केसर के कृषिकरण की सम्भावनाओं को जिला प्रशासन के संज्ञान में लाया गया तथा सम्भवनाओं को देखते हुये मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा संज्ञान लेते हुये कार्यालय आदेश

1631/वै0सहा0/विविध/2020–21, दिनांक 24.10.2020 द्वारा इस क्षेत्र में केसर का उत्पादन बढ़ाये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं।

केसर कृषिकरण क्षेत्र

कार्ययोजना के अन्तर्गत जिला प्रशासन एवं उद्यान विभाग के वित्तीय सहयोग एवं संस्थान उपकेन्द्र के तकनीकी सहयोग से हर्षिल क्षेत्र में मुखवा, झाला, जसपुर, सुक्खी एवं पुराली गांवों में केसर कृषिकरण कार्ययोजना के अन्तर्गत 39 कृषकों को जुलाई 2021 में केसर के बीज दिये गये। माह अक्टूबर में प्रति कृषक 2 से 5 ग्राम तक केसर का उत्पादन हुआ है।

उपरोक्त क्षेत्र के अतिरिक्त उत्तरकाशी के नौगांव विकासखण्ड के कफनौल गांव में एक कृषक द्वारा 2 नाली क्षेत्रफल (0.04 हे0) में केसर की खेती जुलाई 2020 से की जा रही है। कृषक द्वारा कश्मीर से केसर के 40 किलो बल्व लाकर लगाये गये थे। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 500 ग्राम तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 में 1500 ग्राम केसर का उत्पादन हुआ है। केसर के 1 ग्राम का मूल्य सामान्यतया रू0 500 है।

8

अनुशासनिक कार्यवाही, प्रक्रिया एवं सम्भावित त्रुटियाँ

– जगदीश चन्द्र काण्डपाल
उप निदेशक

उल्लेखनीय है कि राजकीय सेवकों के विरूद्ध की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही अर्द्धन्यायिक प्रकृति की विस्तृत प्रक्रिया है। नियोक्ता एवं राजकीय सेवक दोनों के हितों की दृष्टि से अनुशासनिक कार्यवाही का विहित प्रक्रिया के अनुसार सम्पादित किया जाना आवश्यक है। विहित प्रक्रिया एवं प्रावधानों का अनुपालन न करने पर महिनों तक गतिमान रही सम्पूर्ण अनुशासनिक कार्यवाही की प्रक्रिया शून्य होगी, जिसका लाभ दोषी सेवक को प्राप्त होगा, जबकि नियोक्ता की दृष्टि से समय व संसाधनों की बरबादी है। इसके विपरित जहाँ अनुशासनिक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है, या अनुशासनिक कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए, वहॉ अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना राजकीय सेवक के उत्पीड़न के साथ नियोक्ता के संसाधनों का दुरूपयोग है।

इस लेख का उद्देश्य कुछ ऐसे बिन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया जाना है, जहाँ अनुशासनिक कार्यवाही की प्रक्रिया में इस प्रकार की त्रुटियाँ होती रही हैं जिनके कारण नियोक्ता एवं राजकीय सेवक के लिए उक्तानुसार प्रतिकूल स्थितियाँ उत्पन्न होती है।

अनुशासनिक कार्यवाही का प्रयोजन –

लोक तंत्रात्मक व्यवस्था में लोक नीतियों के क्रियान्वयन में राजकीय सेवक महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं इसलिये प्रशासकीय व्यवस्था में राजकीय सेवकों में अनुशासन एवं उत्साहवर्द्धन के लिये प्राविधान किये जाने का विशेष महत्व है। यह आवश्यक है कि जहाँ एक ओर निष्ठा, ईमानदारी व समर्पण से दायित्वों का

निर्वहन करने वाले राजकीय सेवकों को संरक्षण व प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, वहीं दूसरी ओर उक्त के विपरित कार्य करने वाले सेवकों को अनुशासित रखे जाने के लिए प्राविधान होने चाहिए। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुशासनिक कार्यवाही या विभागीय जॉच/कार्यवाही के प्राविधानों को राजकीय सेवकों के सेवा नियमों का भाग बनाये जाने का संवैधानिक अधिकार संघ या राज्य को प्राप्त है। सरल शब्दों में व्यक्त किया जाये तो राजकीय सेवकों के लिए दण्ड या पुरूस्कार की नीति का पर्याय भी अनुशासनिक कार्यवाही है।

सामान्यतया योग्य, निष्ठावान, समर्पित सेवकों को पुरूस्कार स्वरूप पदोन्नति या अन्य वित्तीय लाभ दिये जाने की प्रत्यक्ष व्यवस्था सेवा प्राविधानों में नहीं है, परन्तु अयोग्य, अनिष्ठावान, अभ्यस्थतः लापरवाह सेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियाँ कर यथोचित दण्ड दिये जाने से योग्य कार्मिकों को समय से पूर्व प्रोन्नति का लाभ देकर अप्रत्यक्ष रूप से पुरूस्कृत किया जा सकता है।

अनुशासनिक कार्यवाही में संवैधानिक संरक्षण –

यद्यपि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 में संघ या राज्य को राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों को विनियमित करने सम्बन्धी प्राविधानों को बनाने का अधिकार प्राप्त है तथापि अनुच्छेद 311 में राजकीय सेवकों को कतिपय संरक्षण भी प्राप्त है। संविधान राजकीय सेवकों को स्पष्ट रूप से यह संरक्षण प्रदान करता है कि संघ या राज्य अनुच्छेद 309 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये भी ऐसा कोई प्राविधान नहीं कर सकते है जो कि संविधान के अनुच्छेद 311 में राजकीय सेवकों को प्राप्त संरक्षण के विपरित हो। संविधान का अनुच्छेद 311 अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान राजकीय सेवक को कतिपय संरक्षण भी प्रदान करता है। जिसके अनुसार दीर्घ दण्ड जैसे सेवा से हटाना (Removal) या पदच्युत (Dismissal) करने का अधिकार वास्तविक नियुक्ति प्राधिकारी में ही निहित करना तथा दीर्घ दण्ड से पूर्व विहित प्रक्रिया के अनुसार विभागीय जॉच एवं राजकीय सेवक को सुनवाई एवं साक्ष्य का युक्तियुक्त अवसर का संवैधानिक अधिकार, कुछ अपवादों को छोड़कर, राजकीय सेवक को प्रदान करता है।

अनुशासनिक जॉच के सम्बन्ध में विधिक प्राविधान –

संविधान के अनुच्छेद 309 व 311 के प्राविधानों के आलोक में एवं प्राप्त शक्तियों के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य में राजकीय सेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की प्रक्रिया के निर्धारण एवं दण्ड हेतु मुख्यतः निम्न विधिक प्राविधान प्रभावी हैं –

- उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003।
- उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील)(संशोधन) नियमावली, 2010।
- उत्तराखण्ड समूह 'ख' सेवा (लघु शास्तियों का आरोपण) नियमावली, 2003।
- उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 2003।
- उत्तर प्रदेश विभागीय जॉच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) अधिनियम, 1976।

किसी भी राजकीय सेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही/विभागीय जॉच कब प्रारम्भ की जानी चाहिए तथा जॉच की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, के सम्बन्ध में विस्तृत प्राविधान उल्लिखित विधियों में वर्णित है। उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर एवं आवश्यकतानुसार शासन द्वारा शासनादेशों के माध्यम से अनुशासनिक कार्यवाही की विहित प्रक्रिया एवं प्राविधानों को स्पष्ट भी किया जाता रहा है साथ ही अनुशासनिक कार्यवाही के समयबद्ध निस्तारण एवं अनुश्रवण के सम्बन्ध में भी दिशा निर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं। जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण शासनादेशों का विवरण निम्न है : –

- शासनादेश संख्या 1988/13/78/83 का–1–88 दिनांक 22 मार्च, 1988 **(विषय–**सरकारी सेवकों द्वारा की गयी शासकीय धन की हानि की सम्पूर्ण वसूली निश्चित करना)

- शासनादेश संख्या 1596/कार्मिक–2(2002) दिनांक 8 जनवरी, 2003 (**विषय**–अनुशासनिक कार्यवाही में दण्ड देने से पूर्व जॉच रिपोर्ट की प्रति अपचारी अधिकारी/कर्मचारी को उपलब्ध कराना)
- शासनादेश संख्या 1626/कार्मिक–2(2002) दिनांक 23 जनवरी, 2003 (**विषय**–सरकारी कर्मचारियों का निलम्बन तथा निलम्बन से सम्बन्धित मामलों का शीघ्र निस्तारण)
- शासनादेश संख्या 466/XXX(2)/2005 कार्मिक अनुभाग–2 दिनांक 05 मार्च, 2005 (**विषय**–उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 में वर्णित लघु शास्तियों में उल्लिखित शास्ति संख्या 3 के अन्तर्गत आर्थिक हानि को पूर्णतः या अंशतः वसूल किया जाना)
- शासनादेश संख्या 1162/XXX(2)/2005 कार्मिक अनुभाग–2 दिनांक 07 मई, 2005 (**विषय**–सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों की अनाधिकृत अनुपस्थिति पर विभागीय कार्यवाही सम्बन्धी नियमों का कड़ाई से अनुपालन)
- शासनादेश संख्या 1243/XXX(2)/2005 कार्मिक अनुभाग–2 दिनांक 12 मई, 2005 (**विषय**–अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों का शीघ्रता से निस्तारण)
- शासनादेश संख्या 1887/XXX(2)/2005 कार्मिक अनुभाग–2 दिनांक 05 जुलाई, 2005 (**विषय**–अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों का शीघ्रता से निस्तारण)
- शासनादेश संख्या 1178/XXX(2)/2005 कार्मिक अनुभाग–2 दिनांक 30 मई, 2005 (**विषय**–आपराधिक मामलों में दण्डित कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही)
- शासनादेश संख्या 1796/XXX(2)/2005 कार्मिक अनुभाग–2 दिनांक 21 जुलाई, 2005 (**विषय**–सरकारी सेवक के विरूद्ध आपराधिक वाद सुनिश्चित होने के फलस्वरूप अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने विषयक)

- शासनादेश संख्या 2317/XXX(2)/2005 कार्मिक अनुभाग–2 दिनांक 16 अगस्त, 2005 **(विषय–**दहेज सम्बन्धी मृत्यु के मामलों में अन्तर्ग्रस्त सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों का निलम्बन)
- शासनादेश संख्या 1543/कार्मिक–2/2005 दिनांक 28 दिसम्बर, 2005 **(विषय–**सरकारी सेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करते समय ध्यान में रखे जाने हेतु मुख्य बातें)
- शासनादेश संख्या 827/कार्मिक–2/2009 दिनांक 23 जुलाई, 2009 **(विषय–**सरकारी कर्मचारियों का निलम्बन तथा निलम्बन से सम्बन्धित मामलों का शीघ्र निस्तारण)
- शासनादेश संख्या 279/कार्मिक–2/2014 दिनांक 16 जून, 2014 **(विषय–**अनुशासनात्मक कार्यवाही के शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में)
- शासनादेश संख्या 216/XLIII(1)/16-46(01)/2016 टी0सी0 दिनांक 24 जून, 2016 **(विषय–**गैर सरकारी व्यक्तियों एवं गैर सरकारी संस्थाओं के विरूद्ध भ्रष्टाचार/अनियमितता के आरोप में अभियोजन दायर करने के सम्बन्ध में)
- शासनादेश संख्या 191/XXX(2)/17-30(12)/2017 कार्मिक अनुभाग–2 दिनांक 28 जून, 2017 **(विषय–**निलम्बनकाल के वेतन भत्तों के सम्बन्ध में)
- शासनादेश संख्या 262/XXX(2)/2017 दिनांक 18 अगस्त, 2017 **(विषय–**लोक सेवकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में)
- शासनादेश संख्या 58/XLIII(11)/18-38(10)18 दिनांक 14 मार्च, 2018 **(विषय–**विभिन्न विभागों में प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों के समयबद्ध निस्तारण के सम्बन्ध में)

अनुशासनिक कार्यवाही/विभागीय जॉच के प्रक्रम –

अनुशासनिक कार्यवाही/विभागीय जॉच एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। इस सम्बन्ध में वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में जो प्राविधान प्रभावी हैं उनके अनुसार

अनुशासनिक प्राधिकारी/नियोक्ता के समक्ष सम्पूर्ण अनुशासनिक कार्यवाही/विभागीय जॉच के क्रमानुसार, मुख्यतः, निम्न चरण/प्रक्रम हैं :–

- प्रारम्भिक सूचना/आख्या, प्राप्त होना या प्रारम्भिक जॉच कराया जाना।
- आरोपों की गम्भीरता के आधार पर राजकीय सेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही/विभागीय जॉच प्रारम्भ कराये जाने का निर्णय एवं तद्नुसार आदेश निर्गत किया जाना।
- आवश्यक होने पर राजकीय सेवक को निलम्बित किया जाना एवं तद्नुसार ही विधिसम्मत आदेश निर्गत किया जाना।
- अवचार/दुराचरण के तथ्यों को निश्चित आरोपों में परिवर्तित कर आरोप पत्र तैयार किया जाना एवं आरोपों के समर्थन में साक्ष्यों का संलकन।
- अपचारी कर्मचारी को आरोपों से प्रतिरक्षा में सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुये आरोप पत्र का तामिला। आरोप पत्र के साथ ही आरोपों के समर्थन में संकलित साक्ष्यों का विवरण दिया जाना एवं साक्ष्यों का उपलब्ध/अवलोकन कराया जाना।
- अपचारी कर्मचारी द्वारा आरोपों को स्वीकार किये जाने की दशा में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आवश्यक साक्ष्यों का परीक्षण कर प्रत्येक आरोप के सम्बन्ध में निष्कर्ष का अभिलेखन एवं दण्ड के निर्णय के साथ दण्ड से पूर्व अपचारी कर्मचारी को अभ्यावेदन का अवसर।
- अपचारी कर्मचारी द्वारा आरोपों को आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकार किये जाने की दशा में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा विवेकानुसार स्वयं जॉच का निर्णय लेना अथवा जॉच अधिकारी की नियुक्ति।
- जॉच अधिकारी द्वारा साक्ष्य एवं साक्षियों का गहनता से परीक्षण करते हुये जॉच किया जाना। जॉच के दौरान आवश्यकता पाये जाने पर, अपना–अपना पक्ष रखे जाने हेतु, अनुशासनिक प्राधिकारी एवं अपचारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का नियुक्त किया जाना।

- जॉच अधिकारी द्वारा प्रत्येक आरोप के सम्बन्ध में स्पष्ट निष्कर्षों के साथ बगैर किसी शास्ति की संस्तुति के जॉच रिपोर्ट का अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।
- जॉच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से अनुशासनिक प्राधिकारी के असहमत होने की दशा में अभिलिखित कारणों के साथ जॉच अधिकारी को पुनः जॉच का निर्देश या नये जॉच अधिकारी की नियुक्ति।
- जॉच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से अनुशासनिक प्राधिकारी के सहमत होने की दशा में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक आरोप के सम्बन्ध में निष्कर्ष का अभिलेखन एवं दण्ड का निर्णय व जॉच रिपोर्ट की प्रति के साथ दण्ड से पूर्व अपचारी कर्मचारी को अभ्यावेदन का अवसर।
- जहाँ विधिक रूप से आवश्यक हो, कोई आदेश पारित किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 2003 के अधीन यथा अपेक्षित आयोग का परामर्श लिया जाना।
- अपचारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में लिये गये निर्णय एवं समस्त सुसंगत अभिलेखों को ध्यान में रखते हुये तथा यथा आवश्यक, यथा अपेक्षित आयोग के परामर्श के अधीन रहते हुये एक या अधिक शास्तियों के अधिरोपण के साथ युक्तिसंगत आदेश का पारित किया जाना।
- पारित आदेश से सम्बन्धित राजकीय सेवक संसूचित किया जाना।

अनुशासनिक कार्यवाही/विभागीय जॉच की प्रक्रिया के मुख्य बिन्दु/जहाँ त्रुटियाँ सम्भावित रहती हैं–

अनुशासनिक कार्यवाही/विभागीय जॉच की सम्पूर्ण कार्यवाही में विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना आवश्यक है, अन्यथा की स्थिति में जहाँ एक ओर जॉच की सम्पूर्ण प्रक्रिया शून्य होगी, वहीं दूसरी ओर राजकीय सेवक को अनावश्यक प्रताड़ना का सामना करना पड़ेगा। राजकीय कार्यालयों में अनुशासनिक कार्यवाही/विभागीय जॉच से सम्बन्धित प्रकरणों की पत्रावलियों को प्रस्तुत करने वाले सम्बन्धित सहायक के द्वारा जानकारी के अभाव में या

उच्च स्तर पर समुचित परीक्षण न किये जाने अथवा ध्यान न दिये जाने के कारण अनुशासनिक कार्यवाही/विभागीय जॉच में सामान्यता निम्न बिन्दुओं/प्रक्रमों में त्रुटियाँ देखी जाती रही हैं।

- अनुशासनिक कार्यवाही/विभागीय जॉच की आवश्यकता का परीक्षण किये बगैर जॉच प्रारम्भ किया जाना।
- राजकीय सेवक का निलम्बन।
- आरोप पत्र का निर्गत किया जाना।
- आरोप पत्र का तामिला।
- आरोप पत्र के साथ साक्ष्यों का दिया जाना।
- जॉच अधिकारी की नियुक्ति।
- दण्ड दिये जाने से पूर्व अनुशासनिक प्राधिकारी के अभिलिखित निष्कर्षों व जॉच रिपोर्ट का दिया जाना एवं अपचारी कर्मचारी द्वारा अभ्यावेदन।
- निलम्बन काल का वेतन।
- आपराधिक अभियोग एवं अनुशासनिक कार्यवाही/ विभागीय जॉच का साथ–साथ चलना।
- विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि का लघु दण्ड होना।

➢ **अनुशासनिक कार्यवाही/विभागीय जॉच की आवश्यकता का परीक्षण किये बगैर जॉच प्रारम्भ किया जाना –**

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 यथा संशोधित नियमावली, 2010 के नियम 3 में लघु व दीर्घ शास्तियाँ (Minor and Major Punishment) परिभाषित हैं। **दीर्घ शास्ति दिये जाने के लिए संशोधित/प्रतिस्थापित नियम 7 में वर्णित विभागीय जॉच की विस्तृत प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना संवैधानिक आवश्यकता है, जबकि लघु दण्ड नियम 10 में वर्णित संक्षिप्त प्रक्रिया के आधार पर भी दिया जा सकता है।**

अनुशासनिक कार्यवाही/विभागीय जॉच वृहद् समय व व्यापक मानव संसाधन के उपयोग से पूर्ण होने वाली विस्तृत प्रक्रिया है। इसलिए यह आवश्यक है कि जॉच गठित किये जाने से पूर्व ही नियोक्ता/अनुशासनिक अधिकारी के स्तर पर यह परीक्षण कर लिया जाना चाहिए कि प्रकरण में राजकीय सेवक के दोषी होने पर कौन सा, दीर्घ अथवा लघु, दण्ड दिया जा सकता है। **प्रारम्भिक जॉच/परीक्षण में यदि राजकीय सेवक पर लगाया गया आरोप लघु दण्ड दिये जाने योग्य हैं, तो अनुशासनिक कार्यवाही/विभागीय जॉच की विस्तृत प्रक्रिया के स्थान पर उक्त नियमावली के नियम 10 की संक्षिप्त प्रक्रिया का ही अनुसरण किया जाना चाहिए।** इससे जहाँ एक ओर समय एवं संसाधनों की बचत होगी वहीं दूसरी ओर राजकीय सेवक को अनावश्यक प्रताड़ना का शिकार नहीं होना पड़ेगा।

➢ राजकीय सेवक का निलम्बन–

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 यथा संशोधित नियमावली, 2010 के नियम 3 में वर्णित लघु व दीर्घ शास्तियों (Minor and Major Punishment) में निलम्बन का उल्लेख नहीं है। यद्यपि विधिक रूप से निलम्बन दण्ड नहीं है, तथापि किसी राजकीय सेवक को यदि निलम्बित किया जाता है तो राजकीय सेवक की सामाजिक, मानसिक तथा पारिवारिक प्रास्थिति में प्रत्यक्ष रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यह प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से, किसी दण्ड से कम नहीं माना जा सकता। उक्त के अतिरिक्त पर्याप्त आधारों के अभाव में राजकीय सेवक को निलम्बित किये जाने एवं जॉच पूर्ण होने पर सवेतन बहाल किये जाने से नियोक्ता/राज्य सरकार को भी प्रत्यक्ष हानि होती है। उक्त कारणों से यह आवश्यक है कि किसी राजकीय सेवक को निलम्बित किये जाने से पूर्व राजकीय सेवक पर लगाये गये आरोपों का गम्भीरता का परीक्षण कर लिया जाना चाहिए।

उक्त के विपरित जहाँ राजकीय सेवक पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रकृति के हैं, और अनुशासन एवं अपील नियमावली, 2003 के नियम 4(2) के अनुसार राजकीय सेवक का निलम्बन किया जाना या नियम 4(3), 4(4), 4(5) या 4(6) के अनुसार राजकीय सेवक को निलम्बित समझा जाना चाहिए, प्रकरण

का यथा आवश्यक परीक्षण उपरान्त राजकीय सेवक को निलम्बित किया जाना भी आवश्यक है।

गम्भीर आरोपों, जिनके सिद्ध होने पर दीर्घ दण्ड देय होगा, से आरोपित राजकीय सेवक को निलम्बित न किये जाने पर राजकीय सेवक द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही/विभागीय जॉच को दीर्घ काल तक लम्बित रखने और अनुशासनिक कार्यवाही/विभागीय जॉच को प्रभावित करने के दूषित प्रयास जैसे बार–बार अनावश्यक एवं वृहद साक्ष्यों की मॉग, जॉच अधिकारी को आक्षेपित कर जॉच अधिकारी को बदले जाने की मॉग, प्रतिरक्षा में लिखित कथन प्रस्तुत किये जाने अथवा जॉच अधिकारी के सक्षम उपस्थित होने हेतु बार–बार समय की मॉग आदि, किया जाना संज्ञानित है।

समय–समय पर मा0 उच्च न्यायालय/ मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा भी राजकीय सेवक के निलम्बित किये जाने के प्राविधानों के सम्बन्ध में विभिन्न व्यवस्थाऐं दी गयी हैं। जिनके आधार पर शासनादेश संख्या 827/कार्मिक–2/2005 दिनांक 23 जुलाई, 2009 भी निर्गत किया गया है और मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्थाओं के आलोक में ही उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2010 के द्वारा निलम्बन सम्बन्धी प्राविधानों को संशोधित किया गया। अनुशासन अपील नियमावली, 2010 के द्वारा प्रतिस्थापित नियम 4(1) निलम्बन के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान करता है –

नियम 4(1) *''कोई सरकारी सेवक जिसके आचरण के विरूद्ध कोई जॉच अनुध्यात है उसकी कार्यवाही चल रही है, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर जॉच की समाप्ति के लम्बित रहने तक, निलम्बन के अधीन रखा जा सकेगा। निलम्बन आदेश में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा कि सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्ध अभिकथन इतने गम्भीर हैं कि उनके स्थापित होने की दशा में दीर्घ शास्ति दी जा सकती है।*

परन्तु निलम्बन तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि सकारी सेवक के विरूद्ध अभिकथन इतने गम्भीर न हों कि उनके स्थापित हो जाने की दशा में सामान्यतः दीर्घ शास्ति का समुचित आधार हो सकता हो,

परन्तु यह और भी कि राज्यपाल द्वारा इस निमित्त जारी आदेश द्वारा सशक्त संबंधित विभागाध्यक्ष समूह 'क' और 'ख' के सरकारी सेवक या सरकारी सेवकों के वर्ग को इस नियम के अधीन निलम्बित कर सकेगा,

परन्तु यह और भी कि समूह 'ग' और 'घ' के किसी सरकारी सेवक या सरकारी सेवकों के वर्ग के मामले में नियुक्ति प्राधिकारी अपनी शक्ति इस नियम के अधीन अपने निम्नतर प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।''

उक्तानुसार प्रतिस्थापित प्राविधान में निलम्बन के **सम्बन्ध में निम्न तीन सिद्धान्त स्पष्ट किये गये हैं–**

- **किसी राजकीय सेवक का निलम्बन नियुक्ति अधिकारी के द्वारा ही या सक्षम स्तर से प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा ही किया जा सकता है।**
- **किसी राजकीय सेवक का निलम्बन उसी स्थिति में किया जाना चाहिए, जबकि सरकारी सेवक के विरूद्ध आरोप इतने गम्भीर हों कि राजकीय सेवक को आरोपों के सिद्ध होने पर दीर्घ शास्ति दी जा सकती हो।**
- **निलम्बन के आदेश में आरोपों की गम्भीरता की उपरोक्त परिस्थिति को स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाना आवश्यक है।**

उपरोक्त सिद्धान्तों का अनुपालन आवश्यक है, **अन्यथा की दशा में निलम्बन का आदेश त्रुटिपूर्ण होगा और यदि निलम्बित राजकीय सेवक निलम्बन आदेश को न्यायालय में चुनौती देता है तो निलम्बन आदेश के निरस्त या स्थगित किये जाने की सम्भावना अत्यधिक होगी।**

➢ **आरोप पत्र का निर्गत किया जाना –**

प्रारम्भिक जॉच के उपरान्त राजकीय सेवक के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की गम्भीरता के आधार पर यदि नियोक्ता द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही/विभागीय जॉच का निर्णय लिया जाता है तो आरोप पत्र इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यदि राजकीय सेवक को विभागीय जॉच के साथ–साथ निलम्बित किये जाने का भी निर्णय लिया गया है तो यथा सम्भव निलम्बन आदेश के साथ ही आरोप पत्र भी निर्गत किया जाना चाहिए।

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2010 के प्रभावी होने से पूर्व विभागीय जॉच अधिकारी के द्वारा ही आरोप पत्र का तैयार किया जाना व अनुशासनिक प्राधिकारी से अनुमोदित आरोप पत्र को जॉच अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कर निर्गत किये जाने का प्राविधान था। वर्ष 2010 में किये गये संशोधन के उपरान्त विभागीय जॉच की प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया।

अनुशासन एवं अपील नियमावली में वर्ष 2010 में संशोधन के उपरान्त प्रतिस्थापित नियम 7(2) यह प्राविधान करता है कि आरोप पत्र अनुशासनिक प्राधिकारी/नियुक्ति अधिकारी के द्वारा ही हस्ताक्षरित किया जायेगा। जहाँ नियुक्ति अधिकारी राज्यपाल हों, वहाँ आरोप पत्र सम्बन्धित विभाग के यथास्थिति प्रमुख सचिव या सचिव के द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकता है।

उक्त के अतिरिक्त संशोधित/प्रतिस्थापित नियम 7(7) व 7(8) के अनुसार आरोपों की प्रतिरक्षा में राजकीय सेवक द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत न किये जाने अथवा लिखित कथन में आरोपों को आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकार किये जाने की दशा में ही अनुशासनिक प्राधिकारी विवेकानुसार जॉच अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है।

उपरोक्त संशोधनों के बावजूद भी कई प्रकरणों में ऐसा देखा गया है कि वर्तमान में भी आरोप पत्र निर्गत किये जाने से पूर्व ही जॉच अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाती है जिस कारण जॉच की सम्पूर्ण प्रक्रिया शून्य होती है।

अवचार/दुराचरण के जिन तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही/विभागीय जॉच किया जाना प्रस्तावित है उन्हें निश्चित आरोपों में परिवर्तित कर आरोप पत्र तैयार किया जाना होता है। यह आवश्यक है कि प्रत्येक आरोप संक्षिप्त एवं स्पष्ट हो। **प्रत्येक आरोप में तीन बातों को समावेशित किया जाना चाहिए :– राजकीय सेवक द्वारा जो भी लापरवाही, त्रुटि अथवा दुराचरण किया जाना परीलक्षित है, वह आरोप में स्पष्ट हो और उक्त के कारण जिन प्राविधानों का या आचरण नियमावली के जिस नियम का उल्लंघन होता हो, को स्पष्ट करने के साथ ही आरोप के समर्थन में जो भी साक्ष्य, अभिलेखीय अथवा मौखिक, प्रस्तावित और उपलब्ध हो, का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।**

➢ आरोप पत्र का तामिला–

अनुशासनिक कार्यवाही/विभागीय जॉच में जब तक अपचारी कर्मचारी को आरोप पत्र विधिसम्मत प्रक्रिया से तामिल नहीं करा दिया जाता, तब तक अनुशासनिक कार्यवाही की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन अपील) (संशोधन) नियमावली 2010 के द्वारा प्रतिस्थापित नियम 7(4) में तामिला की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। जिसमें तामिला के लिए निम्न तीन माध्यमों का उल्लेख :–

- आरोपित सरकारी सेवक को व्यक्तिगत रूप से।
- कार्यालय अभिलेखों में राजकीय सेवक के उल्लिखित पते पर पंजीकृत डाक द्वारा।
- उपर्युक्त रीति से तामिल न कराये जा सकने की दशा में **सम्पूर्ण आरोप पत्र के आलेख** को व्यापक परिचालन वाले किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर।

अपचारी कर्मचारी को आरोप पत्र का समुचित तामिला संविधान के अनुच्छेद 311 में सुनवाई एवं साक्ष्य का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के अपचारी कर्मचारी के संवैधानिक अधिकार के साथ–साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त पर आधारित है। इसलिए यह आवश्यक है कि आरोप पत्र विहित प्रक्रिया के अनुसार अपचारी कर्मचारी को तामिल हो सकें। तामिला की उक्त प्रक्रिया के साथ–साथ सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 नियम 9 में समन की तामिला के सिद्धान्तों/प्रक्रिया, जिनमें इलैक्ट्रानिक डाक सेवा (Electronic Mail) आदि भी सम्मिलित है, का अनुसरण आरोप पत्र तामिल किये जाने में किया जाना भी उपरोक्त कारणों से विधिसम्मत ही होगा। **यह प्रयास किया जाना चाहिए कि अपचारी कर्मचारी किसी भी परिस्थिति में यह कहने की स्थिति में न हो कि उसे आरोप पत्र तामिल नहीं है व सुनवाई एवं साक्ष्य का युक्तियुक्त अवसर प्राप्त नहीं हुआ है।**

➢ **आरोप पत्र के साथ साक्ष्यों का दिया जाना–**

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2010 के द्वारा प्रतिस्थापित नियम 7(4) में ही यह प्राविधान किया गया है कि आरोप पत्र में उल्लिखित दस्तावेजी साक्ष्यों की प्रति और साक्षियों की सूची और उनके यदि कोई कथन हो तो, आरोप पत्र मे साथ ही अपचारी कर्मचारी को उपलब्ध कराये जाने चाहिए। परन्तु दस्तावेजी साक्ष्यों की विशालता होने पर साक्ष्य प्रेषित किये जाने के स्थान पर अपचारी कर्मचारी को साक्ष्यों का निरीक्षण करने की अनुमति दी जायेगी।

अपचारी कर्मचारी के द्वारा प्रतिरक्षा में लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने के लिए आरोप पत्र के साथ दिये जाने वाले अथवा प्रस्तावित दस्तावेजी साक्ष्यों के अतिरिक्त अभिलेख देखने अथवा उनकी प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जा सकता है। इस अनुरोध की पृष्ठभूमि में प्रायः दो कारण रहते हैं। पहला वास्तविक रूप से अपचारी कर्मचारी को कुछ अतिरिक्त साक्ष्यों की आवश्यकता हो। दूसरा, अपचारी कर्मचारी द्वारा अनावश्यक रूप से अनुशासनिक कार्यवाही की प्रक्रिया को लम्बित रखने का प्रयास किया जा रहा हो। इसलिए आवश्यक है कि अपचारी कर्मचारी द्वारा अतिरिक्त साक्ष्यों की मॉग किये जाने पर निम्न बिन्दुओं पर विचार कर लिया जाये :–

- **क्या मॉगे गये अतिरिक्त दस्तावेज/अभिलेख अपचारी कर्मचारी पर लगाये गये आरोपों के सुसंगत नहीं हैं?**
- **क्या मॉगे गये अतिरिक्त दस्तावेज/अभिलेख का अवलोकन कराया जाना अथवा प्रति दिया जाना जनहित में नहीं है?**

यदि मॉगे गये अतिरिक्त दस्तावेजों/अभिलेखों का उपलब्ध कराया जाना/अवलोकन कराया जाना उपरोक्तानुसार आपत्तिजनक नहीं है, तो अपचारी कर्मचारी को मॉगे गये अतिरिक्त दस्तावेजों/अभिलेखों की प्रति को उपलब्ध कराया जाना अथवा अवलोकन कराया जाना चाहिए।

➢ **जॉच अधिकारी की नियुक्ति–**

रिट याचिका संख्या 118/(SB) 2008 श्रीमती ललिता वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा दिनांक 30.06. 2008 को दी गयी व्यवस्था के आधार पर निर्गत शासनादेश संख्या 827/कार्मिक–2/2005 दिनांक 23 जुलाई, 2009 के द्वारा अपचारी कर्मचारी को दिये गये आरोप पत्र के आधार पर प्रतिरक्षा में किये गये अभिकथन में आरोपों को अस्वीकार किये जाने के उपरान्त ही विभागीय जॉच अधिकारी नियुक्त किये जाने की व्यवस्था की गयी हैं। कालान्तर में मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश में दिये गये निर्देशों का समावेश अनुशासन एवं अपील नियमावली में संशोधन कर किया गया।

स्पष्ट है कि वर्तमान में प्रभावी प्रक्रिया के अनुसार अनुशासनिक प्राधिकारी/नियोक्ता के स्तर से आरोप पत्र निर्गत किये जाने एवं अपचारी कर्मचारी द्वारा लगाये गये आरोपों को आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकार किये जाने के उपरान्त ही अनुशासनिक प्राधिकारी/नियोक्ता द्वारा विवेकानुसार जॉच अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। जैसा कि पूर्व में भी उल्लेख किया गया है कि **उक्त व्यवस्था के बावजूद भी प्रायः यह देखा जाता है कि आरोप पत्र दिये जाने से पूर्व ही विभागीय जॉच अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाती है। जिसके कारण अनुशासनिक कार्यवाही/विभागीय जॉच की सम्पूर्ण प्रक्रिया दूषित होने के कारण शून्य होती है।** इस प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृत्ति न हो इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 262/XXX(2)/2017 दिनांक 18 अगस्त, 2017 के द्वारा भी समस्त सम्बधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2010 के द्वारा प्रतिस्थापित नियम 7(8) में यह प्राविधानित है कि जॉच अधिकारी अपचारी कर्मचारी से यथा सम्भव दो स्तर ऊपर होना चाहिए। **यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि यदि किसी कारणवश दो स्तर ऊपर का विभागीय जॉच अधिकारी नियुक्त नहीं किया जा सकता है तो अपचारी कर्मचारी से एक स्तर ऊपर भी विभागीय जॉच अधिकारी नियुक्त किया**

जा सकता है परन्तु किसी भी दशा में प्रारम्भिक जॉचकर्ता अधिकारी विभागीय जॉच अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

- **दण्ड दिये जाने से पूर्व अनुशासनिक प्राधिकारी के अभिलिखित निष्कर्षों व जॉच रिपोर्ट का दिया जाना एवं अपचारी कर्मचारी द्वारा अभ्यावेदन** (Representation)–

अनुशासनिक कार्यवाही/विभागीय जॉच की प्रक्रिया में अपचारी कर्मचारी को लघु या दीर्घ शास्ति में से कोई भी दण्ड दिये जाने से पूर्व अपचारी कर्मचारी पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में अनुशासनिक प्राधिकारी का अभिलिखित निष्कर्ष व जॉच अधिकारी की रिपोर्ट को अपचारी कर्मचारी को उपलब्ध कराया जाना उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के नियम 9(4) व तथा संशोधित नियमावली, 2010 के द्वारा प्रतिस्थापित नियम 7(6) में प्राविधानित हैं।

अपचारी कर्मचारी द्वारा यदि लगाये गये आरोपों को स्वीकार कर लिया गया है तो ऐसी दशा में अनुशासनिक प्राधिकारी/नियोक्ता के द्वारा समुचित साक्ष्यों के आधार पर परीक्षण करते हुये प्रत्येक आरोप के सम्बन्ध में अभिलिखित निष्कर्षों की प्रति अपचारी कर्मचारी को उपलब्ध कराते हुये अभ्यावेदन का अवसर दिया जाना आवश्यक है। इस हेतु अपचारी कर्मचारी को कम से कम 14 दिवस का समय दिया जाना चाहिए।

अपचारी कर्मचारी द्वारा आरोपों को अस्वीकार किये जाने के उपरान्त नियुक्त विभागीय जॉच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट से सहमत होने के आधार पर यदि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अपचारी कर्मचारी को किसी प्रकार का दण्ड दिये जाने का निर्णय लिया जाता है **तो यह आवश्यक है कि अनुशासनिक प्राधिकारी, के अपचारी कर्मचारी पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में, अभिलिखित निष्कर्षों व प्रस्तावित दण्ड के साथ ही विभागीय जॉच अधिकारी की रिपोर्ट की प्रति भी अपचारी कर्मचारी को उपलब्ध करायी जानी चाहिए** ताकि 14 दिन की समय सीमा के अन्तर्गत अपचारी कर्मचारी चाहे तो अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सके। यदि अपचारी कर्मचारी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है तो प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार करते हुये निर्णय लिया जाना

आवश्यक है तथा अपचारी कर्मचारी के विरूद्ध निर्गत आदेश में प्रस्तुत अभ्यावेदन में लिये गये निर्णय का उल्लेख किया जाना चाहिए। **प्रायः उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं होता है और केवल जॉच रिपोर्ट की प्रति ही अपचारी कर्मचारी को उपलब्ध करायी जाती है।**

अनुशासन एवं अपील नियमावली में दण्ड से पूर्व अभ्यावेदन का अवसर दिये जाने के सम्बन्ध में किये गये प्राविधानों के अतिरिक्त मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत संघ व अन्य बनाम मो0 रमजान खाँ (सिविल अपील संख्या 571/1985) में दिनांक 20.11.1990 को दी गयी व्यवस्था के आधार पर अपचारी कर्मचारी को आरोपों के सम्बन्ध में अभिलिखित निष्कर्षों एवं जॉच अधिकारी की आख्या उपलब्ध करायी जाने की प्रक्रिया को शासनादेश संख्या 1596/कार्मिक–2 (2002) दिनांक 8 जनवरी, 2003 के द्वारा भी स्पष्ट किया गया है।

➢ **निलम्बन काल का वेतन–**

अनुशासनिक कार्यवाही/विभागीय जॉच की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त भी प्रायः यह देखा जाता है कि यदि कर्मचारी निलम्बित रहा हो तो निलम्बन काल की अवधि के वेतन आहरण और निलम्बन काल को सेवा काल माना जाय अथवा नहीं, के प्रकरण को या तो अनिर्णित रखा जाता है या फिर विहित प्रक्रिया का/विहित प्राविधानों का पालन किये बगैर ही निस्तारित कर दिया जाता है। अनुशासन एवं अपील नियमावली, 2003 के नियम 5 में इस सम्बन्ध में स्पष्ट प्राविधान किया गया है।

उल्लेखनीय है कि निलम्बन और निलम्बन काल का वेतन अनुशासन एवं अपील नियमावली में परिभाषित लघु या दीर्घ शास्ति की श्रेणी में नहीं है। निलम्बन काल को सेवा अवधि माने जाने और निलम्बन काल का वेतन आहरित किये जाने का निर्णय **वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 54 में विहित प्रक्रिया अनुसरण करते हुये ही लिया जाना चाहिए। शासनादेश संख्या 191/XXX(2)/17-30(12)/2017 कार्मिक अनुभाग–2 दिनांक 28 जून, 2017 के द्वारा भी अनुशासन एवं अपील नियमावली के नियम 5 के प्राविधानों का पालन किये जाने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है।**

➢ आपराधिक अभियोग एवं अनुशासनिक कार्यवाही/विभागीय जॉच का साथ–साथ चलना–

प्रायः यह प्रश्न अनुशासनिक प्राधिकारी के सक्षम आता रहा है कि क्या विभागीय जॉच और आपराधिक अभियोग साथ–साथ चल सकते है अथवा नहीं? इस प्रकार की स्थिति की निम्न दो परिस्थितियाँ हैंः–

- पदीय दायित्वों के निर्वहन में किये गये किसी प्रकार के दुराचरण की प्रारम्भिक जॉच या अनुशासनिक प्रक्रिया/विभागीय जॉच, के दौरान संज्ञान में आये आपराधिक कृत्य के सम्बन्ध में संस्थित आपराधिक अभियोग।

- राजकीय सेवक द्वारा व्यक्तिगत जीवन में किये गये किसी आपराधिक कृत्य के आधार पर संस्थित अभियोग के आधार पर प्रारम्भ अनुशासनिक कार्यवाही/विभागीय जॉच।

प्रथम परिस्थिति के कारण गतिमान अनुशासनिक कार्यवाही/विभागीय जॉच एवं तद्क्रम में संस्थित आपराधिक अभियोग की प्रक्रिया के साथ–साथ चलने में विधिक रूप से सामान्यतः कोई वाद–विवाद नहीं होना चाहिए। इस सम्बन्ध में यह भी स्थापित है कि आपराधिक अभियोग के लम्बित रहते हुये भी अनुशासनिक प्राधिकारी/नियोक्ता द्वारा अनुशासनिक प्रक्रिया/विभागीय जॉच को अन्तिम करते हुये विवेकानुसार यथोचित दण्ड दिया जा सकता है और अनुशासनिक प्राधिकारी/नियोक्ता द्वारा दिये गये दण्ड में आपराधिक अभियोग के परिणाम का कोई प्रभाव नहीं होगा।

उक्त वर्णित परिस्थितियों के सम्बन्ध में समय–समय पर मा0 न्यायालयों द्वारा विभिन्न व्यवस्थायें दी जाती रहीं हैं, जिनसे सम्बन्धित मा0 न्यायालयों के कुछ निर्णयों का विवरण निम्नवत् है :–

- Devendra Pratap Narain Rai Sharma Vs.State of U.P.(AIR 1962, SC 1334)
- Anand Narain Shukla Vs. State of M.P. (AIR 1979, SC 1923)
- B. Balaiah Vs. D.T.O. Karnataka STC (1982 (3) SL, KAR, 675)

- Delhi Cloth and General Mills Ltd. Vs. Kushal Bhan AIR 1960 SC 806
- State of Rajasthan VS. B.K. Meena, IAS and Ors. (1996) 6 SCC 417
- Capt.M. Paul Anthony vs Bharat Gold Mines Ltd. & Anr .(AIR 1999, SC 1416)

कैप्टन M. Paul Anthony प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा 30 मार्च, 1999 को दी गयी व्यवस्था के आलोक में राजकीय सेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही एवं आपराधिक अभियोग के साथ–साथ चलाये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1796/XXX(2)/2005 कार्मिक अनुभाग–2 दिनांक 21 जुलाई, 2005 में मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश में दी गयी निम्न व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है :–

1. *विभागीय कार्यवाही एवं आपराधिक मामले की कार्यवाही साथ–साथ की जा सकती है। यह कार्यवाहियाँ पृथक–पृथक एवं साथ–साथ करने में कोई बाधा नहीं है,*
2. *यदि विभागीय एवं आपराधिक मामले की कार्यवाहियाँ समान एवं समरूपी तथ्यों एवं आरोप पर आधारित हों तथा आपराधिक आरोप गम्भीर प्रकृति का हो, जिसमें तथ्यों एवं कानून का क्लिष्ट प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो तो आपराधिक मामले के निर्णय तक विभागीय कार्यवाही को स्थगित रखने के बिन्दु पर सम्यक् विचारोपरान्त विनिश्चय करके यथोचित आदेश किया जायेगा,*
3. *आपराधिक आरोप गम्भीर प्रकृति का है या नहीं? तथ्य एवं कानून का क्लिष्ट प्रश्न अंतर्गस्त है अथवा नहीं? का विनिश्चय अपराध की प्रकृति, कर्मचारी के विरूद्ध संस्थित मामले की प्रकृति, अन्वेषण के दौरान उसके विरूद्ध एकत्रित साक्ष्य सामग्री एवं अन्य सामग्री जैसा कि आरोप–पत्र में अभिलिखित है, पर विचार करके किया जायेगा,*
4. *विभागीय कार्यवाही के स्थगन पर विचार के लिए उपर्युक्त क्रम संख्या 2 एवं 3 पर वर्णित बातों पर एकाकीपन (आइसोलेशन) में विचार नहीं किया*

जायेगा, अपितु विभागीय कार्यवाही को अनावश्यक विलम्बित न किये जाने के तथ्य पर भी सम्यक् विचार किया जायेगा,

5. *यदि आपराधिक मामले में प्रगति नहीं होता अथवा इसके निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है, तब विभागीय कार्यवाही को, भले ही उसे आपराधिक मामला लम्बित होने के कारण स्थगित किया गया हो, पुनः आरम्भ करके कार्यवाही की जा सकती है।*

उपरोक्त दी गयी व्यवस्था के आधार पर शासनादेश दिनांक 21 जुलाई, 2005 में स्पष्ट किया गया है कि *''आपराधिक घटना पर आधारित अनुशासनिक कार्यवाही को तभी स्थगित किया जा सकता है जबकि आपराधिक वाद की कार्यवाही में आरोप गम्भीर प्रकृति के हों और मामले में जटिल तथ्य व विधि के प्रश्न अन्तर्निहित हों। अन्य मामलों में आपराधिक कार्यवाही के चलने के दौरान अनुशासनिक कार्यवाही भी चलायी जानी चाहिए और उनका शीघ्र निस्तारण भी किया जाना चाहिए। ऐसे अनुशासनिक कार्यवाही के मामले जो आपराधिक वाद की कार्यवाही चलने के कारण स्थगित कर दिये गये हों, को पुनः चालू करने के लिए प्रत्येक 6 माह पर आपराधिक वाद की कार्यवाही निस्तारण की प्रगति की समीक्षा की जानी चाहिए। यदि यह अनुभव हो कि आपराधिक वाद की कार्यवाही अवांछित रूप से विलम्बित हो गयी है और अनुशासनिक कार्यवाही को स्थगित रखना उचित नहीं रह गया है तब अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करके उसे शीघ्रता से निस्तारित कर लिया जाय।''*

➢ विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि का लघु दण्ड होना –

चरित्र पंजिकाओं में वार्षिक प्रविष्टियाँ, सत्य निष्ठा प्रमाण पत्र प्रतिकूल प्रविष्टि संसूचित करने, उसके विरूद्ध प्रत्यावेदन एवं प्रत्यावेदन के निस्तारण के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश शासनादेश संख्या 1712/XXX(2)/2003 कार्मिक अनुभाग–2 दिनांक 18 दिसम्बर, 2003 के द्वारा निर्गत हैं। उक्त शासनादेश के प्रस्तर 16 में विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि का जिक्र है। जिसमें निम्नवत् प्राविधान हैं :–

''विशेष प्रविष्टियाँ देने की प्रक्रिया – *कभी–कभी विशेष अनुकूल या प्रतिकूल प्रविष्टि किसी घटना/कार्य विशेष के सम्बन्ध में दी जाती है। विशेष*

प्रविष्टि अंकित करने के बारे में ठीक वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो सामान्य वार्षिक प्रविष्टि अंकित करने हेतु अपनायी जाती है, किन्तु यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ऐसी विशेष प्रविष्टि किसी घटना/कार्य विशेष के सम्बन्ध में ही हो तथा इसमें सामान्य मूल्यांकन न किया गया हो। यदि ऐसी विशेष प्रविष्टि प्रतिकूल हो तो उसे संसूचित करने तथा उसके विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदन के निस्तारण के सम्बन्ध में वही प्रक्रिया अपनायी जाय तो सामान्य प्रतिकूल प्रविष्टियों के सम्बन्ध में अपनायी जाती हैं। विशेष प्रविष्टियाँ आलोच्य वर्ष में किसी भी समय आवश्यकतानुसार दी जा सकती हैं किन्तु यह प्रयास किया जाना चाहिए ऐसे अवसर बहुत कम और कभी–कभी अत्यावश्यक स्थिति में ही सामने आयें। सामान्य तौर पर ऐसे मामलों का समावेश वार्षिक प्रविष्टि में ही किया जाना अधिक उपयुक्त होगा।''

जबकि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (प्रतिकूल, अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अति उत्तम, उत्कृष्ठ, वार्षिक गोपनीय रिपोर्टो का प्रकटीकरण एवं उसके विरूद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली 2015 के नियम 3 (ङ) में दी गयी ''रिपोर्ट'' व नियम 3 (क) में दी गयी ''समुचित प्राधिकारी'' की परिभाषा निम्नवत् है–

''रिपोर्ट'' ''से किसी सरकारी सेवक के कार्य, आचरण और सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में किसी समुचित प्राधिकारी, जिने उस सरकारी सेवक का काम निरन्तर तीन मास से अन्यून अवधि तक देखा हो, द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए अभिलिखित वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट अभिप्रेत है।''

''समुचित प्राधिकारी'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सरकार द्वारा यथास्थिति प्रतिवेदक प्राधिकारी, समीक्षक प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त हो,

उक्त परिभाषा में विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि का उल्लेख नहीं है। उपरोक्त शासनादेश व नियमावली में उपरोक्त वर्णित प्राविधानों में 'विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि' के सम्बन्ध में स्पष्टता परिलक्षित नहीं है। यह प्रश्न उठता रहा है कि विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि का प्रभाव क्या होगा एवं उसके विरूद्ध प्रत्यावेदन की प्रक्रिया क्या होगी? जब कभी भी किसी राजकीय सेवक को किसी घटना विशेष के लिए विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की जाती है तो सामान्यतया उसकी वही

प्रक्रिया अपनायी गयी होती है जो कि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के नियम 10 में लघु दण्ड दिये जाने की प्रक्रिया वर्णित है, जो कि निम्नवत् है :–

- *जहां अनुशासनिक प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि ऐसी प्रक्रिया को अंगीकार करने के लिए समुचित और पर्याप्त कारण हैं, वहां वह उपनियम (2) के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए नियम 3 में उल्लिखित एक या अधिक लघु शास्तियाँ अधिरोपित कर सकेगा।*
- *सरकारी सेवक को उसके विरूद्ध अभ्यारोपणों का सार सूचित किया जायेगा और उससे एक युक्तियुक्त समय के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी। अनुशासनिक प्राधिकारी उक्त स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, और सुसंगत अभिलेखों पर विचार करने के पश्चात् ऐसा आदेश जैसा वह उचित समझता है, पारित करेगा और जहां कोई शास्ति अधिरोपित की जाय, वहां उसके कारण दिये जायेंगे। आदेश सम्बन्धित सरकारी सेवक को संसूचित किया जायेगा।*

यदि लघु दण्ड दिये जाने की उक्त प्रक्रिया के उपरान्त विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि का उल्लेख करते हुये आदेश पारित किया जाता है या आदेश में उक्त नियमावली के नियम 3 में परिभाषित लघु दण्ड ''परिनिन्दा'' प्रदत्त किया जाता है तो सामान्य या प्रचलित भाषा में ''परिनिन्दा'' के दण्ड को भी विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि कहा जाता रहा है। **इस प्रकार प्रदत्त विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि की प्रास्थिति वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के समतुल्य न होकर अनुशासन एवं अपील नियमावली में परिभाषित लघु दण्ड की है।**

अतः उक्तानुसार विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि, वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि लिखने हेतु सक्षम प्रतिवेदक/समीक्षक/ स्वीकृता अधिकारी के स्थान पर लघु दण्ड दिये जाने हेतु सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा ही दी जा सकती है और ऐसी विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि/लघु दण्ड के विरूद्ध 2015 की उक्त वर्णित नियमावली के अन्तर्गत प्रत्यावेदन के स्थान पर अनुशासन एवं अपील नियमावली के नियम 11 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील योजित की जानी चाहिए।

9

उत्तराखण्ड में चाय आधारित पर्यटन : एक संकल्पना

प्रकाश चन्द्र

उत्तराखण्ड पर्यटन के दृष्टिकोण से हमेशा आकर्षक रहा है, यहॉ पर्यटन के विभिन्न अवयवों में चाय आधारित पर्यटन भी शामिल हो चुका है। बतौर मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल के कार्यकाल के दौरान इस क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिला। इसकी प्रेरणा तत्कालीन मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह सर द्वारा दी गयी। संयोगवश मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल के कार्यकाल के दौरान ही कुन्नूर (तमिलनाडु) तथा जापान में शिजुका के चाय बागानों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। पुनः जनपद नैनीताल के घोड़ाखाल स्थित 12 एकड़ में फैले चाय बागान तथा जनपद के बेतालघाट, धारी में विकसित हो रहे चाय बागानों में ग्रामीणों के निवेश की ललक तथा नैनीताल जनपद में पर्यटकों के आकर्षण हेतु एक अन्य स्थल विकसित कराने की चुनौती भी इसका आधार बनी।

यूँ तो उत्तराखण्ड में चाय की खेती का इतिहास 150 वर्ष से पूर्व का है। यहॉ की जलवायु एवं तीव्र ढलान युक्त पहाड़ तथा 1815 में संग्रौली की सन्धि के उपरान्त अंग्रेजो का प्रशासनिक नियंत्रण इसके आधार बिन्दु कहे जा सकते हैं। अंग्रेजों को पेय पदार्थ के तौर पर चाय बहुत पसन्द थी। अतः वर्ष 1835 में कलकत्ता से 2000 चाय के पौधों की पहली खेप वर्तमान उत्तराखण्ड में पहुँची, जो कि चीन से मंगायी गयी थी। इन पौधों को अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर तथा

भीमताल के पास भरतपुर में रोपित किया गया तथा बाद में धीर–धीरे उत्तराखण्ड के अन्य क्षेत्रों में चाय बागानों का विस्तार हुआ। वर्ष 1837–38 में स्थापित चाय बागानों में से कुछ चाय उपयोग के लिए तैयार हुई। कलकत्ता चैम्बर आफ कॉमर्स द्वारा इस चाय की गुणवत्ता की सराहना की गयी और इस चाय को बाजार में अच्छा भाव प्राप्त करने वाली चाय घोषित किया गया। अंग्रेजी सरकार द्वारा वर्ष 1880 तक इस क्षेत्र में छोटे बडे 63 चाय बागान विकसित किये गये। जिनका क्षेत्रफल लगभग 10937 एकड़ था। उस समय चाय उत्पादक क्षेत्र में लगभग 5000 लोगों को रोजगार मुहैया था।

वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन प्रारम्भ होने से ये बागान अंग्रेजों के निजी बागान होने के कारण देखरेख के अभाव में उजड़ते चले गये, जिसमें मुख्य समस्यायें निर्यात,यातायात व्यवस्था न होना, स्थानीय बाजार की अनुपलब्धता, श्रमिकों की समस्या, स्थानीय रूप से फैक्ट्री की स्थापना न होना था। जिसके परिणाम स्वरूप 1949 तक उत्तराखण्ड में चाय का उत्पादन नगण्य सा हो गया। वर्ष 1994–95 में पुनः चाय बागान स्थापित करने के लिए रोजगार परक योजना उत्तराखण्ड चाय विकास परियोजना स्वीकृत की गयी। इस परियोजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में मुख्य रूप से चाइना हाईब्रिड प्रजाति, दार्जिलिंग क्लोन टी–78, पी–312, व टी–378, RR/17/144 आसाम की AV2 आदि उच्च स्वाद एवं गुणवत्ता वाली प्रजाति के पौधें से पौधा रोपण कार्य वर्ष 1995–96 से प्रारम्भ किया गया।

चाय विकास बोर्ड द्वारा नैनीताल जनपद के घोड़ाखाल चाय डिवीजन में सरकार द्वारा वर्ष 1994–1995 से वर्ष 1999 तक सैनिक स्कूल से लीज पर ली गयी भूमि पर चाय बागान विकसित करने की परियोजना की शुरूआत गयी थी।

वर्ष 2000–01 से वर्ष 2006–07 तक राज्य सरकार द्वारा नैनीताल जनपद में परियोजना बंद कर दी गयी थी। उसके पश्चात् वर्ष 2007 से जनपद में राज्य सरकार द्वारा पुनः चाय विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया, जिसके तहत बोर्ड द्वारा (मार्च, 2017) तक नैनीताल जनपद के रामगढ़ विकास खण्ड में 42.83 है0, धारी विकास खण्ड में 68.776 है0 तथा बेतालघाट विकास खण्ड में 11.921 है0 कुल 128.527 है0 क्षेत्रफल में बागान विकसित किए गए हैं। वर्तमान में यह विस्तार लगातार जारी है।

वर्ष 2017 तक श्यामखेत/घोड़ाखाल चाय बागान के अन्तर्गत रामगढ़, धारी व बेतालघाट विकास खण्डों में लगभग 200 स्थानीय निवासियों/चाय कास्तकारों को रोजगार प्राप्त हो रहा है जिसके अन्तर्गत 70 महिलाओं की भागीदारी है। जिससे उत्तराखण्ड में महिलाओं की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हो रहा है, एवं महिलायें आत्मनिर्भर हो रही हैं, तथा उत्तराखण्ड में युवाओं का पलायन भी कम हो रहा है।

सतत् आजीविका के विकल्प के रुप में मनरेगा

- सतत् रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु बंजर पड़े खेतों में चाय विकास बोर्ड के साथ केन्द्राभिसरण /युगपितीकरण किया जा रहा है।
- तात्कालिक रोजगार के अवसर एवं सतत् आजीविका साधनों का विकास किया गया है।
- ग्रामीणों, विशेषकर अजा/जजा/कमजोर वर्ग/महिलाओं को गॉव में ही रोजगार दिया जा रहा है।
- पलायन में कमी, सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार आया है।

चाय बागानों के बनने से भूमि कटाव को भी रोका जा सकता है। कास्तकारों की निष्प्रयोज्य भूमि को चाय पौंध रोपित करके उपयोगी बनाया जा रहा है। एक है0 भूमि पर 15,000 चाय के पौध रोपित किये जाते हैंवर्ष 2017 मेंचाय के पौध रोपित करने पर लगभग 2,62,000 रू0 का व्यय होता है। पांच वर्ष बाद 1है0 से लगभग 50 किलो0 चाय का उत्पादन किया जाता है, व 25 से 30 वर्ष बाद बागान के पूर्ण विकसित होने पर 1 है0 से लगभग 700 से 800

किलो0 चाय का उत्पादन हो सकता है। अब यह प्रश्न उठता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में चाय के उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता क्यों है? इसको निम्न प्रकार से समझा जा सकता है :–

1. परम्परागत खेती

- परम्परागत खेती मौसमी वर्षा पर निर्भर होती है।
- परम्परागत खेती को ओले आदि से काफी मात्रा में नुकसान होता है।
- परम्परागत खेती को बहुतायत मात्रा में जंगली जानवरों द्वारा नुकसान पहुॅचाया जाता है।
- परम्परागत खेती में बार–बार बुवाई, बीज आदि पर अत्यधिक व्यय होता है।

2. चाय बागान में निवेश

- चाय उपरोक्त सभी पहलुओं का सही विकल्प है। एक बार पौधारोपण के उपरान्त 100 वर्षो तक चाय पौधों से उत्पादन लिया जा सकता है।
- चाय पौधारोपण से क्षेत्र में हरियाली होने के साथ–साथ वायुमण्डल में उत्सर्जित कार्बन का ह्रास करता है।
- चाय पौधोरोपण से भूमि कटाव भी रूकता है।
- चाय के कार्यो में महिलाओं की भागीदारी अधिक रहती है।

चाय बागान श्यामखेत/घोडाखाल में पर्यटन विकास हेतु कार्य योजना

उत्तराखण्ड में चाय बागान आधारित पर्यटन विभाग, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा युगपतिकरण (Convergence) के अन्तर्गत एक अभिनव प्रयास है। चाय

बागान पर्यटन से आय सृजित करते हुए स्थानीय श्रमिको व किसानों की आय को दुगना किये जाने का प्रयास करते हुए राष्ट्रीय व अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर चाय बागान पर्यटन को पहचान दिलाने हेतु सैलानियो को आकर्षित किये जाने की योजना थी। इसके साथ ही चाय बागान पर्यटन विकास हेतु चाय बागान पर्यटन विकास स्वायत्त सहकारी समिति का भी गठन किया गया है, जो भविष्य में पर्यटन से होने वाली आय को पर्यटन व क्षेत्रीय विकास में निवेश करेगी।

इस हेतु जनपद नैनीताल के विकास खण्ड रामगढ़ में चाय बागान पर्यटन विकास स्वायत्त सहकारिता समिति उत्तराखण्ड कॉपरेटिव सोसाईटी एक्ट 2003 की धारा 3 के अधीन पंजीकृत होकर अस्तित्व में आयी। इसके अन्तर्गत कुल 9 सदस्य है जो प्रति माह बैठको का आयोजन कर क्षेत्रवासियो व पर्यटन के विकास हेतु प्रस्ताव पारित करा कर कार्य को मूर्त रूप देते है। खण्ड विकास अधिकारी, रामगढ़ उक्त समिति के पदेन अध्यक्ष है तथा फैक्ट्री प्रबन्धक घोड़ाखाल चाय बागान इसके पदेन सचिव है। समिति चाय बागान में विभिन्न विकास कार्यों के माध्यम से चाय बागान को पर्यटकों के आवागमन का संचालन करती है तथा इससे अर्जित आय का उपयोग समिति के सदस्यों एवं चाय बागान के विकास कार्यों पर व्यय करती है।

वर्तमान में समिति ने अपनी आय से चाय बागान के सौन्दर्यीकरण हेतु कई कार्य करवाये गये है जैसे वॉल पेटिग, टी–गैलेरी निर्माण, डाक्यूमेट्री हेतु दृश्य श्रव्य की व्यवस्था आदि। साथ ही स्थानीय मनरेगा श्रमिकों के परिवारों के सदस्यों को चाय बागान में गाइड के रूप में रोजगार भी दिया गया है।

समिति द्वारा अर्न्तविभागीय समन्वय से किए गये नवाचार कार्य

पर्यटन विकास की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए चाय बागान में पर्यटन विकास की रूपरेखा तय की गयी। तत्कालीन प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार जी की प्रेरणा तथा जिलाधिकारी श्री दीपेन्द्र चौधरी के सहयोग से जिला योजना निधि, जिला नवाचार निधि, मनरेगा व उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा कई विकास कार्य चाय बागान में करवाये गये है।

मनरेगा अन्तर्गत युगपतिकरण (Convergence)

मनरेगा का प्राथमिक उद्देश्य रोजगार सृजन द्वारा श्रमिको की आय सृजन करना है। अतः इस मूल भावना को ध्यान से रखकर वित्तीय वर्ष 2017–18 में चाय बागान आधारित पर्यटन को बढावा देने हेतु जिला योजना अन्तर्गत पर्यटन विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा के युगपतिकरण(Convergence)से लगभग 20.00 लाख की समेकित धनराशि से चाय बागान घोडाखाल फैक्ट्री के आन्तरिक एवं बाहय रूपान्तरण का कार्य सम्पन्न कराया गया। वर्ष 2017– 18 के दौरान जनपद के रामगढ, धारी, एवं बेतालघाट के चाय बागान क्षेत्रों में चाय बागान विकास एवं नर्सरी निर्माण में मनरेगा श्रमिको को 16,855 मानव दिवसो का सृजन हुआ हैं।

उक्त धनराशि से श्यामखेत/ घोड़ाखाल स्थित चाय बागान फैक्ट्री में वित्तीय वर्ष 2017–18 में नवीनीकरण का कार्य किया गया। पूर्व में बागान फैक्ट्री में पर्यटकों के भ्रमण के दौरान कार्य कर रहे श्रमिकों का कार्य बाधित होता था, परन्तु अब पर्यटको के भ्रमण के दौरान परेशानी नहीं होती है। मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशानुसार एक समिति गठित कर खण्ड विकास अधिकारी, रामगढ़ की अध्यक्षता में समिति द्वारा बागान भ्रमण के प्रवेश हेतु प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है, जिससे चाय बागान की आमदनी होती है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में चाय बागान की लगभग 20.00 लाख रू0 तक आमदनी हुई। वर्तमान में यह आय लगभग दुगुनी हो चुकी है तथा श्यामखेत स्थित चाय बागान नैनीताल जनपद के पर्यटन मानचित्र में एक मील के पत्थर के तौर पर स्थापित हो चुका है। यह इसलिए भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में चाय बागान में चाय की बिक्री से अधिक आय बागान के प्रवेश शुल्क से हो रही है।

चाय वीथिका (Gallery)

इसके साथ ही चाय के उद्भव, विकास तथा पर्यटकों में चाय उत्पादन एंव चाय पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु ज्ञानवर्धन के लिये वीथिका (Gallery)का निर्माण किया गया है जहॉ डोक्यूमैंट्री के माध्यम से भारत व उत्तराखण्ड में चाय विकास के इतिहास से लेकर चाय संवर्धन की ज्ञान वर्धक जानकरी प्रद्रर्शित की जा रही है।

बायो टाईलेट व सोखपिट निर्माण

वर्ष 2017–2018 में जिला नवाचार से चाय बागान क्षेत्र में बायो टाईलेट व सोखपिट का निर्माण किया गया जिसे मनरेगा से जोडते हुए श्रमिको को रोजगार उपलब्ध कराया गया। पिट निर्माण कार्य मनरेगा येाजना से किया गया व स्थानीय मनरेगा श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान किये गये।इसके साथ ही बायो टाईलेट निर्माण से महिला बागान श्रमिको व पर्यटको को सुविधा प्राप्त हुई है।

सम्पर्क मार्ग निर्माण

वर्ष 2017–2018 में चाय बागान में 1.00 लाख रू0 से पाथवे का निर्माण किया गया जिसमे मनरेगा श्रमिको को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही क्षेत्र को रमणीय स्थल के रूप में विकासित किया गया।

वर्ष 2017–2018 में चाय बागान में 1.00 लाख रू0 से पाथवे का निर्माण किया गया जिसमे मनरेगा श्रमिको को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही क्षेत्र को रमणीय स्थल के रूप में विकासित किया गया। पूर्व में वर्षा ऋतु में जल भराव के कारण पर्यटको को समस्या का सामना करना

पडता था परन्तु पाथवे निर्माण से समस्या निदान के साथ ही पर्यटक आगमन में भी वद्धि हुई है।

सी0सी0 व टाईल निर्माण कार्य

- सी0सी0 व टाईस निर्माण कार्य वर्ष 2017–2018 –52000 रू0 की लागत से इसका निमार्ण कार्य किया गया
- श्रमांश – 14525
- मानवदिवस– 83
- पर्यटन से रोजगार द्वारा क्षेत्र के किसानो की आय दुगनी करने में सफलता प्राप्त हुई है।

होम स्टे योजना

चाय बागान के क्षेत्रों में होम स्टे योजना के अन्तर्गत नैनीताल में पर्यटन के दबाव को कम करते हुये सैलानियों के ठहरने की उचित व्यवस्था की जा सकती है तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन भी सम्भव है। नैनीताल जनपद के धारी व रामगढ़ विकास खण्ड में कुछ लाभार्थियों को वीरचन्द्र गढ़वाली योजना के अन्तर्गत छोटे–छोटे चाय बागानों में होटल हेतु ऋण भी उपलब्ध कराये गये है। चाय बागान प्रक्षेत्र का वातावरण अत्यन्त ही मनोहारी, स्वास्थ्यवर्धक व शान्तपूर्ण होने के कारण ध्यान व योगा आदि के लिये अत्यन्त ही अनुकूल है। इस प्रक्षेत्र की सुरम्यता एवं नैसर्गिक सौदर्यता के दृष्टिगत फीचर फिल्म एवं डॉक्यूमैन्ट्री फिल्मों की सूटिंग तथा

विवाह पूर्व फोटोग्राफी स्थल के तौर पर आय सृजन व रोजगार की अपार सम्भावनायें हैं।

सुरम्य पर्यटक क्षेत्र नैनीताल में भवाली से रामगढ़, मुक्तेश्वर क्षेत्र अपने विहंगम हिमालय पर्वत श्रृंखला के दर्शन हेतु विख्यात है। गुरूदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कार्यस्थली व सेब के बागानों युक्त क्षेत्र में भवाली से मुक्तेश्वर मोटर मार्ग में यह विचित्र किस्म का सूचना पट्ट पर्यटकों को चौंकाता भी है तथा उन्हें आमंत्रित भी करता है। इसी आमंत्रण को स्वीकार कर चाय बागान श्यामखेत/घोड़ाखाल में रमणीक चाय बागान में प्रकृति के बीच अपने आप को विस्मित पाता है। पर्यटन की दृष्टि से किये गये आंकलन के अनुसार चाय बागान घोडाखाल प्रक्षेत्र में लगभग एक लाख से भी अधिक आगंन्तुक/पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं। उत्तराखण्ड में चाय के इतिहास, उदभव एवं चाय बागान के विस्तार को दर्शाने हेतु घोडाखाल चाय बागान प्रक्षेत्र में वीथिका का निर्माण किया गया है। वर्तमान में इस वीथिका के माध्यम से भारत व उत्तराखण्ड में चाय विकास के इतिहास से लेकर वर्तमान तक चाय संवर्द्धन की ज्ञानवर्धक जानकारी डाक्यूमैण्ट्री के माध्यम से प्रदर्शित की जा रही है।

उत्तराखण्ड में वर्तमान में कौसानी, चौकोड़ी, चम्पावत तथा नौटी (चमोली) में अत्यन्त मनोहारी एवं नैसर्गिक सुन्दरता से परिपूर्ण चाय बागान है। यहां से उच्च हिमालय शिखरों में नंदादेवी, नंदाकोट, पंचाचूली एवं त्रिशूल की पर्वत श्रृंखलायें विहंगम दृश्यों एवं अपनी अनुपम छटा से आगन्तुकों/पर्यटकों को आकर्षित करती है। श्यामखेत/घोड़ाखाल की तरह ही इन क्षेत्रों में भी चाय बागान आधारित पर्यटन की अपार संभावनाएं है।

(सम्प्रति–लेखक उत्तराखण्ड सिविल सेवा के प्रथम बैंच के अधिकारी है। वर्ष 2016–18 के मध्य तक मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल में तैनात रहें है।)

10

HARBINGERS OF CHANGE IN REMOTE UTTARAKHAND VILLAGE: SOLAR POWERED WATER LIFTING FOR IRRIGATION

Dr. S.K. Upadhyaya,
Deputy Project Director,
PMKSY-WDC 2.0, Almora
Deepak Shah,
Horticulture Officer,
PMKSY-WDC 2.0, Almora.

Introduction: Dhaspad is a small village situated 43 km from the district headquarter of Almora in Uttarakhand, at N29^{0}34.43 Latitude and E79^{0}51.01 Longitude; 1847 m AMSL. It's among one of the village in which World Bank aided watershed project U.D. W.D.P(Gramya) is being implemented with an objective to increase the efficiency of natural resource use and productivity of rain fed agriculture by participating communities.

Pre and Post implementation scenario

It's a typical hilly village with sustenance agriculture as its main source of livelihood mainly Rainfed, dominated by cereals and millets, with very low productivity bare enough for home consumption. Due to water scarcity habitats were facing drinking water problems, for which they were dependent mainly on seasonal naulas (seeps) and *dharas* (natural springs). They had scarcely any sources of alternate livelihood and migrations were on a rise.

Project interventions have led to self-sufficiency in availability of drinking water round the year with increased vegetative cover in vicinity, reducing women drudgery in its collection. Installation of Solar water pump downstream has resulted in changed cropping pattern having increasing area

under vegetables, spices, floriculture and medicinal plants and turned agriculture as a profitable venture.

Innovative practices for enhancing ground water.

Spring shed map was generated (superimposing Digital elevation model on contour drainage map) and recharge zone was geographically identified; treatments were undertaken scientifically following spring shed approach.

In recharge zone Dug out ponds with diversion drains (on upper sides, to trap the runoff and guiding it into the ponds), staggered contour trenches (with filter strip of fodder grass in the nether side) were dug by villagers. Plantation of forest/fodder plants on either side below the trenches, promotion of vegetative cover by plantation of fodder grasses through Van Panchayat. Construction of Check dams (brushwood, dry-stone and gabion) and small dug out ponds behind stone check dams in stream course were undertaken to arrest silt and promote recharge. 3113m^3 of water recharge capacity has been created by dug out structures alone.

I. **Community mobilization for adopting of water efficient cropping pattern, and efficient water management practices, and results thereof.**

Social mobilization was done with the help of women motivators who were from among the village families, guided by women facilitators, beside the Multidisciplinary Team of the project.

Gradual but positive development of synergy between 2.0he local inhabitants and social mobilization by staffs of the project was instrumental in defining of water related interventions through community participation and their prioritization during PRA. Community decision of installing **Solar submersible water lifting pump(3HP) downstream to lift water** to Geo membrane tank (118m above) and formulating a rooster through common consensus for conveying water through HDPE pipelines to 18 LDPE tanks at strategic sites in its command area for irrigating 6ha land of 30 households ~~and its implementation~~ has resulted in changed cropping pattern, having increased area under vegetables, spices, floriculture

and medicinal plants. Further, inclusion of **poly mulch in plantation and vegetable cultivation (2.37ha), drip irrigation (4polyhouses), sprinklers (0.4ha), rain-hose pipes (220m), protected cultivation of off-season vegetables and floriculture (Lilium) in polyhouses(19)** giventhrough the watershed project ensured conservation of soil moisture and judicious water use.

The formation of Farmers interest groups (FIGs) and Users' Groups (UGs) with collection of corpus funds at regular interval for collective marketing and O&M of assets created will ensure sustainability.

II. **Water Shed development activities (contour bunding/trenching), and tree plantation.**

2540 staggered contour trenches, contour bunding with 8, 40,740 running meters of Napier plantation of terraced fields. 8.38 ha under homestead plantation of fruit trees (Peach, Pear, Apricot, walnut, Pomegranate, Citrus) and 1.20 ha plantation of forest species (Oak, Rhododendron and Utish)

III. **Mass sensitization and capacity building in water conservation and management, including water budgeting with details of activities and impact thereof.**

The prioritization of the major problems and collectively finding ways to mitigate them through PRA was the initial step in management of the natural resources with water security at its focus. The community sensitization by the MDT staffs and the village women motivators was helpful in creating awareness about dire necessity of taking serious thought and action towards Water management. Measures such as involvement of female social workers, holding *Women Aam Sabhas*, and mandatory 50% participation of women in watershed committees and in handling of project funds ensured inclusion of women in decision-making and governance rather than their role as mere workers in its implementation. Social mobilization was done with the help of women motivators who were from among the village families, guided by the Multidisciplinary Team of the project. Workshops and technical trainings were organised at Divisional as well unit level

along with exposure visit to village in treated watershed project in adjoining district.

Benefits accrued (tangible & intangible)

Tangible benefits:

- Additional vegetative cover due to Napier plantation (8,40,740 running meters), 8.38 ha of homestead plantation and 1.20 ha of forest plantation.
- Additional 1905m^3 of water recharge and 236m^3 of water harvesting capacity generated.
- Increase in longevity and discharge of sources as given in point III above.
- Solar pump intervention has bought 6ha additional area (of 30 households) under assured irrigation.
- Protected cultivation of high value crops in 19 Poly houses.
- Increase in cropping intensity by 48% (118 to 166%) attributed to water harvesting structures constructed.
- Use of solar energy for irrigation saved 2.58 lacs annually incurred otherwise on diesel run pump reducing carbon emission of 6174.4kg annually or 0.36lac on electricity annually if electric pump of same capacity would have been used. (Sutra Consultancy ltd.2020).
- Increase in Water Use Efficiency (WUE) from 45%(traditional irrigation system) to 80-85%(Present).(Sutra Consultancy ltd.2020).
- Net increase in profit of 39 farmers by 283% (from initial 5.20 to 14.71 lacs)
- Reduction in women drudgery (saving of atleast 3 hrs which otherwise used in fetching water and fodder).

Intangible benefits:

- Vegetative cover and water recharge structures are contributing to Gross Environmental Benefits (GEB) like increased soil moisture regime, reduction in soil erosion.

- Mobilised and motivated community with increased awareness towards water management.
- Active inclusion of women in decision-making and governance redefined their role in society.

Scope of replication

These interventions are mainly labour oriented, the material component involved, are either locally available (stone/boulders and plant spp.) or can be locally grown/cultivated (plant species) and are well suited to the MGNREGA scheme. Interventions like dug out pond and other water recharge structures can be the integrated part under source rejuvenation of proposed water related scheme and can get funded from them; apart from it Plantation work and drainage line treatment can be executed well under programmes funded by department of forest. Roof water harvesting tank and Irrigation tank can be constructed by dove tailing with Agriculture or Irrigation department. These schemes are already in area, but needs to be converged at village level in participatory and need based manner to get desired acceptance, impact sustainability and its replicability.

Awareness generated

Creation of permanent assets by community themselves after prioritisation and participatory decision making, mechanism of Corpus fund for O&M, existing convergence with on-going schemes exhibits level of mobilization and skill up- gradation. Women are part of decision making and have also helped scientists of the National Biodiversity Board in preparing Biodiversity register of the area.

Now, ever since this small village of 45 households received recognition at national level and was awarded First Prize in the 3rd National Water Award 2022 for being the Best Village Panchayat category in North Zone, doing exemplary work in the field of water management, people are coming to see how they have changed their own lives with the help of the Uttarakhand Decentralized Watershed Development Project (Gramya). It's noteworthy that the works of this Village panchayat were also adjudged one of the best among the village panchayats nationally and awarded the "***Atmnirbhar***

Bharat Rashtriya Gramya Sashaktikaran Puruskar – 2022" on 24th April 2022 on the *Panchayat Diwas* at Hotel Pacific, Subhash road, Dehradun.

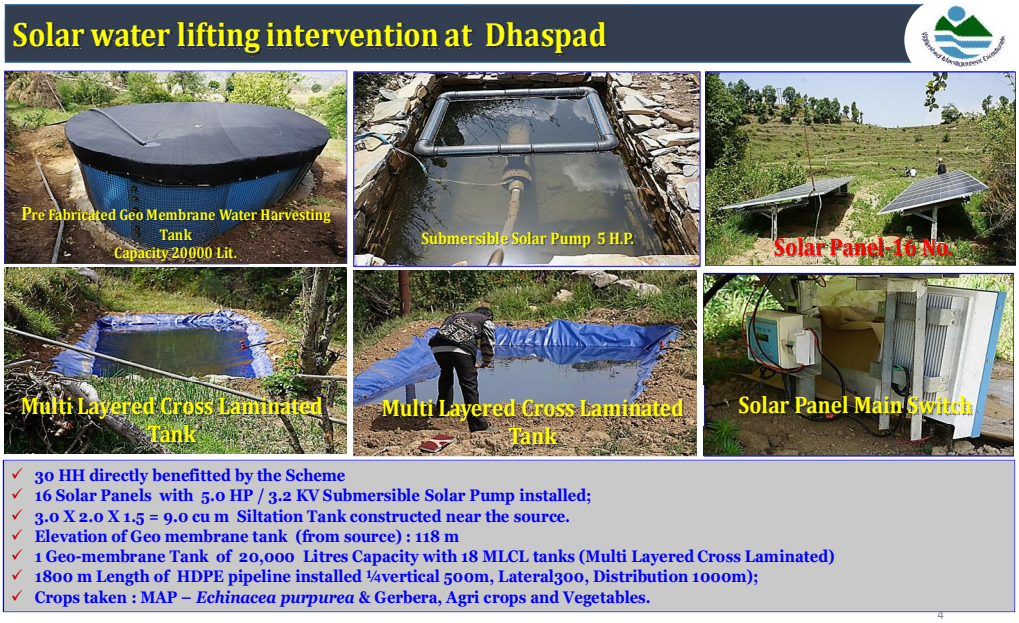

11

Kumaon Commissionery: A Peep into the Past

Professor Ajay Singh Rawat

The British annexed Kumaon and Garhwal in 1815 and after the British occupation, Garhwal was divided into two parts, British Garhwal and Tehri Garhwal State. British Garhwal became a part of Kumaon region and in Tehri Garhwal State theerst while Parmar rulers of Garhwal were reinstalled. The new enclave, British Kumaon was known as Kumaon Province and administered as a Non-Regulating Territory while a size able part of India was Regulation Province. British Kumaon was under Bengal Presidency and the office of Commissioner of British Kumaon was arguably the oldest in the entire Presidency of Bengal. The role of Commissioner Kumaon was a very special one throughout British administration in Kumaon Division. No wonder when this coveted position was discontinued the bureaucrats and civilians alike be moaned the decision of the government. By the time EastIndia Company wrested Uttarakhand in 1815 there was an acute paucity of trained covenanted civil servants. Consequently the first innovation in governance was attempted and officers from the army were appointed as civil administrators. A Non-Regulation Province was thus open to the covenanted civil servants as well as men in uniform. Its management was evidently far more beneficial as compared to Regulation districts; it was simpler and almost a personal form of government. Here, the Regulations and later the Acts in force in the Regulating provinces were not extended for quite some time. The principal officers were literally handpicked and their total numbers was also relatively very small. Unlike the Regulation districts they exercised both executive and judicial powers. This mode of administration was necessitated by the region's remoteness, strategic location and a shortage of covenanted civil servants to manage a vastly expanded territorial area.

The Province of Kumaon in the beginning was administered as a single district known as British Kumaon .In 1839 Kumaon (Resolution of 26th January 1839 passed by the Governor General) hitherto a single district was divided into two, Kumaon Proper and Garhwal. This division was to continue until 1891 when Kumaon Prope rwas again divided into Almora and Nainital districts. After 1839 each district was headed by a Senior Assistant Commissioner. This designation was later changed to Deputy Commissioner in 1891. The Kumaon Commissioner's office was in Almora in the beginning but it was transferred to Nainital in October 1855 by Henry Ramsay owing to its proximity to the plains. From May 1830 to May 1855, for 16years, the Commissioner of Kumaon shared his office with the Senior Assistant Commissioner Almora. It was during John Hallet Batten's tenure as **Commissioner of Kumaon** (1848-56) that Ousely Grove was purchased in 1855 in Nainital for the Commissioner's office and 'Kutcherry.' After the transfer of Kumaon Commissioner's Office from Almora in October 1855, Batten remained in Nainital for barely four months and departed for England on 9th February 1856. Thus the establishment and expansion of the new office of Commissioner goes to Batten's successor, Henry Ramsay .Edward Gardener was the first Commissioner of Kumaon, and on 27th April 1815, he was formally appointed Commissioner for the Affairs of Kumaon Province and Political Agent of the Governor General for political relations with Tehri Garhwal State. Although designated as Commissioner, from April 1815 onwards, the post of Commissioner for Kumaon was actually created in May 1837.

As regards the administrative history of British Kumaon it can be divided into slightly more than thirteen decades. The first two belong to Trail and the next two bear the stamp of Batten. The next three are of Ramsay and the remaining six decades account for as many as seventeen Commissioners. The British Commissioners from Gardener to Batten left behind their indelible mark in this region owing to their understanding of the mountain specificities and ruggedness of the terrain. Ramsay consolidated the gains of the preceding Commissioners and propelled British Kumaon into the mainstream of modern India. During the last six decades the administrators merely reaped the harvest of achievements of the founder fathers of British administration in Kumaon. The post of Commissioner in Kumaon was

abolished in 1933 and revived on 25th June 1957. During this period his duty was assigned to the Deputy Commissioner of Nainital. The Great Depression of 1929, which followed the First World War both victorious and the vanquished countries were forced to cut down their administrative expenses drastically and the axe fell on the institution of Commissioner in 1933 and the post of Kumaon Commissioner was discontinued.

Iconic Commissioners of British Kumaon.

Kumaon under Gardener (3rd May 1815 - 13th April 1816).

Edward Gardener entered the Company's Civil Service as a writer. Lord Moira, Governor General of India selected him as his special agent for negotiations with Nepal and management of all political affairs in Kumaon. Almora fell to the British troops on 3rd May 1815 after the Anglo-Gurkha battle; the same day Lord Moira formally appointed Edward Gardener as Commissioner for the Affairs of Kumaon and Agent of the Governor General. To win over the people he extended financial assistance to the shrines of Badrinath and Kedarnath, and improved the dak (postal) system of British Kumaon. But much of his time was spent in political settlement with Nepal and his Political Agency work was his real contribution to the foundation of British rule in Kumaon.

George William Traill (13th April 1816 - 1st December 1835).

His administration was essentially paternal, despotic and personal. It was at the same time though arbitrary, transparent, just, prudent, perspicuous and progressive. The people reposed tremendous faith on him as he was easily accessible and the province was orderly and prosperous during his tenure. He is credited to have discovered theTraill's Pass. For sometime It was beingc onsidered by the British that if a direct and short route from Almora to Johar Valley could befound, then trade from Almora to Johar and thence to Tibet would be found. With this object Traill entrusted the duty to Malak Singh Buda who succeeded in his mission. For his achievement, he was appointed as Patwari of Mulla Danpur. The post of Patwari was held in high esteem those days in the hills. His scions have the letter of appointment of Malak Singh Budaas Patwari and acommendation

certificate.

But Traill's main contribution was in the field of revenue and he is known for his revenue settlements. Traill laid the foundation of

The administration of land revenue in Kumaon and Garhwal and with the appointment of patwaris introduced the revenue police system. He carried out seven out of total 11 revenue settlements conducted in the history of British Kumaon Division. During the Gurkhaepoch, the people of Kumaon and Garhwal were dismayed by the irregularities of the revenue system and the harsh measures adopted for the collection of taxes. When the British annexed Kumaon and Garhwal, it was felt that some steps should be taken to relieve the people from the agonies of the previous system and to assess the revenue as reasonably as possible. The first revenue settlement in Kumaon and Garhwal was implemented in 1815 by Gardener. Before this settlement some interchanges were made with Garhwal villages, but owing to the destruction of records and the ravages caused by the war, Gardener could not get a reliable data for fixing the revenue.

The next settlement, which was the first of Traill was made in 1816 with the help of Padhans for their respective villages. The settlement was based on the actual produce from the land. These cond, third and fourth settlements were undertaken from 1816-17, 1818-20 and 1820-22. The first and second settlements were annual, the third and fourth were triennial and the fifth (1823-27), sixth (1828-32) and seventh (1833-37) were quinquennial in nature. Traill's revenue settlements were in sync with the peculiarities of the region. The Patwari and the revenue police system was introduced by Traill. He brought about a change in the judicial system, management of treasury, established jails in Almora (1816) and Pauri (1827) to maintain law and order and improved roads, bridges and medical care. He revived Nanda Dev worship in Almora and was the first European to visit Kedarnath.

George Thomas Lushington (30th November 1838-25th October 1848).

He is popular for determination of public holidays regarding Indian and local festivals. Road Bridge Settlement for Haridwar-Badrinath route was

an important decision taken by him as Commissioner British Kumaon. He also commenced a settlement of jhoolas (rope bridges) and ferries for different rivers and created a fund for each one of them. During the period 1829-30 to 1847-48 fourteen suspension bridges were constructed over the rivers like Suyal, Ramganga, Kosilla, Saryu, Kali etc. Funds too were sanctioned for construction of the road between Khairna and Nainital. But he is remembered most for initiating urbanization in Naintal since1841, first as a health resort and later as an educational hub and a hillstation. He approved construction of several bungalows, cottages and houses for locals. Land was also allotted for the first Protestant Church in Nainital, St. John's in the Wilderness in March 1844. St.John was one of the 12 Apostles of Jesus Christ. It is one of the most beautiful churches of Kumaon; influenced by the early English architecture it has a marvellous interior and stained glasses on the window. The legendary hunter, conservationist and writer Jim Corbett was baptized in this church.

In April 1845 he directed local authorities to constitute a Municipal Committee asprovided by Act X of 1842. It was the second Municipal Board of North WesternProvinces and the first by-laws of Nainital were based on draft rules approved by th eGovernment on 12th April 1845. The need of a Medical Officer at Nainital on the pattern of Shimla and Mussorie was also requested and an Assistant Surgeon was finally sanctioned for Nainital in October 1847. A dispensary with a Sub Assistant Surgeon was sanctioned forAlmora in March1848.

John Hallet Batten (6th November 1848 - 20th February 1856).

After Commissioner Lushington's demise in Nainital he took over as Officiating Commissioner and on 6th November 1848 he was confirmed to this post. He ended his long association of nearly two decades with Kumaon and Garhwal on 20th February 1856. His intimate and thorough knowledge of Kumaon and Garhwal is manifested in several official Settlement Reports, notes and articles, he so enthusiastically contributed himself or edited for the Asiatic Society of Bengal. His settlement reports speak of his industrious approach as Settlement Officer for these districts and his insatiable quest for knowledge and information. It is not surprising that he was consulted in

every step by the Government and it was his in fluence more than that of any other officer which gave it a stamp and character to the period which has rightly been distinguished by his name. Reforms in revenue, civil, criminal-justice, administration, Kham management of Bhabhar, road construction, health and sanitation and education, just to name a few brought about such a sea change that several landmarks of present day Kumaon are traced back to his period.

Road and bridge construction was speeded up during his period. Hitherto finances for hill roads were with the Bareilly Road Fund Committee but during his period It was transferred to Kumaon authorities in February 1851. The same year in March 1851, owing to strong protests made by hill authorities on the quality of hill roads constructed by military authorities, all roads falling in British Kumaon were transferred to hill authorities. Seven main roads that were transferred were, Almora to Bamouri, Lohaghat, Hawalbagh, Pithoragarh and Kota, Lohaghat to Pithoragarh and Lohaghat to Birmdeo. Survey works on Bamouri-Almora road via Kosilla (Kosi) commenced in September 1850, and in June 1855 Rs. 5,000 were sanctioned to complete the road between Nainital and Kosilla valley via Khairna. The same year funds were again allotted for construction of a permanent road to Nainital (Bamouri) and expenses for its maintenance were borne by the government. A new road was also constructed through Almora to want the back of the bazaar, from Tiria Khola to the lane opposite Kutcherry entrance. No public expenses were defrayed as convicts were deployed for its construction. Bridge construction activity was hastened considerably. In Garhwal the first iron suspension bridge was constructed at Srinagar at a cost of Rs, 17,078 in 1853. Money was also collected from various sources to the Ferry Fund initiated during his tenure for construction of a long wooden bridge at Karnaprayag and another over Birhiganga at Rudraprayag. Substantial funds were further provided by J. R.Colvin, the Lt. Governor of North Western Provinces for construction of Almora-Hawalbagh-Katyur-Bageshwar, Ramganga-Ganai-Bageshwar and Srinagar-Pauri-Kotdwara roads in November 1855 to promote tea cultivation and for marketing tea.

The Staging Bungalows or Dak Bungalows were under the Post Master General until 1849 were opened for the people. The same year in April, new

rules were proclaimed for North Western Provinces and Dak Bungalows were thrown open for all travellers on payment basis. In 1849 there were four Dak Bungalows in British Kumaon at Bamouri, Bhimtal, Ramgarh and Peura and they too were opened for travellers. In Almora there existed four Dak Bungalows managed by the civil authorities and one Sarai(inn). There are more than 200 Dak Bungalows in Uttarakhand today and are known as 'Relics in the Forest.' These bungalows are treasure-troves of biodiversity owing to the altitudinal variations of their locations.The lowest at Surai near Khatima is sited at an altitude of 202 metres and the highest at Har-ki-Doon and Gangotri are located at 3050 metres.

Henry Ramsay, the Uncrowned King of Kumaon (1856-1884).

Sir Henry Ramsay was one of the greatest soldier administrators of BritishIndia.Hebelonged to a Scottish family, known as the Ramsay's of Dalhousie, which hadsignificantly contributed to the consolidation of the British Empire. The progenitorof the family had shown exemplary courage and achieved great recognition in theBattle of Waterloo. Sir Henry Ramsay when he became Commissioner of Kumaon and his predecessor, John Hallett Batten were inspired by Traill's style of functioning and wanted to emulate him. He introduced potato cultivation in Britiish Kumaon and promoted horticulture and tea cultivation. On witnessing the sad plight of the leprosy patients he established the first leprosy asylum in Almora. His contribution in containing the uprising of 1857 adds a feather to his plumage of achievements. In Bareilly, Moradabad and Shanjahanpur the situation was extremely critical and the Commissioner Alexander of Bareilly and other European survivors took refuge in Naini Tal and the local people helped them because they felt relieved from the shackles of Gurkha tyranny. The same year William Butler came to Nainital and was assisted by Sir Henry Ramsay in his mission. He belonged to the Methodist Episcopal Church, of USA and came to Calcutta on September 22nd 1856. When he stepped on the Indian soil the political climate was not congenialfor missionary work. After visiting several places in India with his family he settled down in Bareilly in 1857. On 14th May on witnessing the political scene, the Commanding Officer of Bareilly advised him to go to Nainital, which was a safehaven for the British refugees. The journey to Nainital was accomplished withoutany incident.

After the outbreak of 1857 was over Butler purchased land for thechurch and the parsonage. The construction of the church in Nainital was startedin 1858 and dedicated to the people on October 1860. It is the first Methodist church of Nainital and of India; the irresistible beauty of the church is its simplicity and the ambience of quieten gender shere to look within. A visit to the church is an exhilarating experience because the mind in this blissful place does not deliberate between the domain of the past events or apprehensions of the future.The moments spent here belong to the present and are devoid of the constant struggle that ensuesin the mind of what is and what ought to be.

Henry Ramsay promoted girl education and the first Catholic institution, St.Mary's Convent in Nainital owes its foundation to Mother Salesia Reiner, the Superioress of the Institute of the Blessed Virgin Mary and Henry Ramsay. The school started in 1878 in a rented house, Belvedere, which is now owned by the Raja Sahib of Awagarh State. During the formative weeks, Mother Salesia realized the necessityof buying an estate where a convent and school could be built. Eventually her search led her to Ramsay Park, the property of Sir Henry Ramsay, the Commissioner of Kumaon. She recognized the place as the one she had seen in a dream as a child and immediately requested an interview with Sir Henry Ramsay to conclude negotiations for its purchase. Sir Ramsay had himself lived in the estate and built two houses, the bungalow which is now the convent, and a cottage, the present infirmary. There were also three small summer houses, no longer existing, which many sisters and past pupils still remember. Ramsay transferred the estate at a very low price for the school. On 4th January, 1879 the sisters moved in the newly acquired estate. Subsequently a chapel was established, but it soon proved too small, and on 2nd February, 1880 the foundation stone of the present church was laid.

Ramsay was a pioneer in the field of disaster management and after the first recorded landslide of 1867 in Nainital a 'Hill Side Safety Committee' (HSSC) was constituted and subsequent upon the diabolic landslide of 1880, in which 151 people died, 79km. length of drains were constructed in the catchment area of the lake for drainage. These structures are the life line of the town and are known as the arteries and veins of Nainital.

Ramsay was also a pioneer in the field of organized forestry in British India. According to forest historians and foresters, organized or scientific forestry was stated with the introduction of the first Forest Act in 1878. But in British Kumaon Henry Ramsay had initiated forestry much earlier. Between 1855 and 1861 due to the tremendous demand of railway sleepers, uncontrolled felling of sal (Shorearobusta) was attempted in the more accessible forests of Kumaon. Sir Henry Ramsay, the then Commissioner of Kumaon was quick to realize the gravity of the situation. He strongly objected to the felling of trees for railway sleepers. In 1860 he was appointed as the ex-officio conservator of forests and he took immediate measures to stop this wanton destruction of forests. Subsequent upon this he immediately enforced rotational working of forests and the practice of hammer marking of trees prior to their felling. Forest boundaries were also demarcated more clearly. Ramsay had to work hard and he himself visited nearly all the forests. In1865 the area sundersal were declared as reserved for ests and in1868 a regular Forest Department was formed forKumaon Commissionery.

Revenue Administration:

Early settlements in British Kumaon were more of guesswork and approximation estimates rather than based on a complete survey and measurement of land. The classification of land according to quality was also based on hearsay rather than on crop surveys. Gardener who implemented the first settlement could not get a reliable datum owing to the ravages of war and the destruction of records. The next settlement was made by Traill with the help of Padhans of each village. His mode of measurement was very sketchy. Traill's men went from village to village and wrote down the boundaries, north, the white rockwhere the vultures sit; west, the tall pine by Gopalu's shed. He was interested in knowing the number of villages in his division and demarcating the village boundaries at the earliest.

It was Batten's settlement which actually prepared the way for accurate details. He compiled a detailed revenue and rent roll, but those statements could not be relied upon totally. They were prepared by villagers whose main objective was to declare themselves as poor as possible to cut the revenue short. Then ext settlement officer was Beckett whose approach

was more scientific. A regular field measurement was conducted by him of the whole cultivated area, though he has not described in his report the actual process of measurement. He introduced an ingenious procedure to bring all the land in the village to one common standard of quality known as second quality dry land or Doyam. Pauw's settlement was however most technical. He introduced the cadastral survey and as regards assessment of revenue he adopted the same technique as that of Beckett of reducing all land to second classdryland.

Commissioner A. W. Ibbotson (1935-1939) was careful in calculating total taxliability of the farmer in an area at the time of settlement. Total income from all sources was the indicator of capacity and total liability studied with income gave him the insight into the margin to which revenue could be raised. The 1930-31 Paikh and a settlement report mentions, "It may be remembered that old land revenue ereally includes a tax on trade and animals used therein; due to incometax and forest tax on pack animals, the burden is now enhanced." On this argument, he recommended considerably lesser rate of increase in land revenue N.C. Stiffe, Commissioner Kumaon (1925-1931), had also recommended this in 1928 to avoid any probable gross in justice to assesses.

The main contribution of Traill was in the field of revenue and he is known for his revenue settlements. He carried out seven out of total 11 revenue settlements conducted in the history of British Kumaon Division. The revenue settlement of Samvat 1880 (1823 AD), popularly known as 'Assi Sala Bandobast' of Traill, was, in the eyes of the hill-men such a novelty that it was destined to remain firmly etched in the memory of the people as the 'Great Measurement of Sun Assi,' a reference point for all times to come.

Patwari System:

There was no institution of Village Patwari in Kumaon a sit existed in the plains. In 1819 Traill appointed nine Patwaris for the largest 'parganas' of Kumaon Proper. He added five more Patwaris in 1821. Subsequently in 1825 he applied for three Patwaris but received a sanction of eight. The same year 16 more posts of Patwaris was sanctioned. By 1830 their numbers had increased to 63, covering both Kumaon and Garhwal. He found their

institution very useful; as they resolved petty disputes wherever they were posted. Their duties included collection of revenue, measurement of the villages under court's instruction, preventing landlords from deserting their villages, apprehension of offenders, reporting crimes, casualties, suicides and notes of all estates through the Tehsildars. This ultimately led to the formation of revenue police in British Kumaon and continues to this day in the villages.

Legal System:

British administration exposed the people of this region to the modern world and with the British take over they felt relieved of the arbitrary system of justice started by the Gurkhas. They brought to the people of Kumaon and Garhwal the benefit of centralized courts of justice and a strong central power which had the will and the means to enforce the decisions of these courts. In the civil side the British did not interfere with the local traditions as far as possible and a necessary incident of that system was the marked influence, which the judge had in preserving and shaping the customary law. The history of the judicial administration of British Kumaon under the British rule can be roughly divided into two periods:-

The Fatherly Administration of Messrs Traill, Batten and Ramsay:

These Commissioners in the early days of British rule from 1815 to 1884 enjoyed doublepowers, as legislator and judge. Under Traill, the administration was essentially paternal, despoticand personal; though arbitrary, it was just, wise and progressive. Traill was not only an administrator but also a legislator for the region. For manyyears his was the only civil court in the region. He required plaints to be presentedon an eight annas stamp. If the plaint was not rejected in the first instance, the plaint iff was furnished with a notice to serveon the defendant. This process proved sufficient in three fourths of the cases instituted to produce a compromise. If the plaint iff failed togets atisfaction in this way, the defend ant was summoned and the case regularly adjudicated. The parties first and then, if necessary, their witnesses were called and examined. Oaths were seldom administered. For speeding up the process of dispensation of justice, no legal agents were permitted to practice. Suits seldom lasted for more than twelve

days. There was a manager working under the Commissioner, and it is probable that a few cases, if any, came to the court at all. Disputes were settled informally either by the manager or the Commissioner himself. This state of things lasted up to 1829. In that year certain changes were made. A 'munsif' was appointed for Kumaon and later seven 'kanungos' in the province were invested with the title and powers of 'munsif', while the title of 'sadar amin' was conferred on the court 'pandit' when he was invested with civil jurisdiction. These officers continued to exercise the functions of civil judges in petty cases until 1838, when their offices were a bolished. Concomitantly by the Act X of 1838, Garhwal was put under the charge of a Senior Assistant Commissioner; he combined the function of executive district officer, district magistrate, collector and district judge. As district judge he heard appeals from the decision of his assistants. They were three in number, stationed at Lansdowne, Pauriand Chamoli. The observation of fixed rules and principles and an orderly procedure were the chief characteristics of Batten's administration. In Sir Henry Ramsay's time we find these two characteristics of his predecessors blended and the popular title of the 'Uncrowned King of Kumaon,' was conferred on him by the people. The cases decided by these administrators were according to the customary law of the people. Crime was virtually non-existent. One remarkable feature of this periodwas that traditional practices in the nature of crime if any were prohibited. Court language was Hindi though Persian terminology was used. Scriptused was Devnagiri. In1864, the High Court of North Western Provinceslostits civil jurisdiction in Kumaon, and the Commissioner of Kumaon became the High Court. The system continued until April 1926 when the Kumaon division was broughtunder the direct jurisdiction of the Allahabad High Court. Certain rules for theadministration of civil and criminal justice were published in the North Western Provinces Gazette under section 6, Act XIV of the Scheduled District Act of 1874.

The second period began when officers with some experience of revenue and judicial work in the plains began to apply the canons of the Brahmanised Hindu Law, which were different to the customary law. Officers who had been long with the sehillmen and those who came fresh from the plains approached these questions from widely different points of views. While to the former many things were more or less like axioms requiring no

proof, the latter insisted upon elaborate proof for every little thing that differed from the Mitakshara. This was especially in questions of marriage, legitimacy and inheritance. The majority of the people hadnever heard of the Mitakshara and had never been guided by it; yet it was appliedto them rigorously. Legal practitioners had also contributed partially to this state of affairs by pressing forward considerations from the Hindu Law when they suited their clients, regard less of local custom. During the British period, the Criminal Law and Civil Procedurein Kumaon and Garhwal were generally the sameaselse where, but the powers of the courts and magistrates were determined under Section 6, Act XIV of the Scheduled District Act of 1874.

The Epochal Commissioners of Kumaon in Post Independent Period. Gopi Krishna Arora. (26.6.78-3.9.79)

An IAS officer of the UP cadre he wielded enormous power and influence in the 1980s. He was specialsecretary in the Prime Minister's Office (PMO) before becoming Secretary in the Information and Broadcasting Ministry. Arora was also Finance Secretary, serving the Government of India forover 35 years. He had come to be known as the engine of Rajiv Gandhi's PMO and it was often said he wielded power sbeyond the scopeofa civil servant. Gopi Arora hailed from a family of LordKrishna's devotees and his posting as Commissioner Kumaon gave wings to his devotional curiosity. He had the image of an academic and thinkeras Commissioner Kumaon and he was always seen in different seminars and workshops held inNainital, either as Chie Guest or Key Speaker. He believed in a holistic life style, which is notonly about material growth, but alsointernal growth to wards contentment and well-being, towards overcoming greed and avarice. To achieve success one has to learn from commitment and not complaint.

Om Narain Vaid (1.6.1984-20.10.1989).

Born to be a great astrologer Om Narain Vaid, a topper of the 1968 batch of IAS deliberately chose to leave the IAS in 2001 to be come aprofessional astrologer. He had three years of service left but he gave priority to his passion. His family had absolute faith in his decision and supported him to quit the job to focus on astrology asascience. The decision waspre-destined as he realized later that it was "adivine instruction", which

enabled him to under take the kind of deepmeditation that precedes the pursuit of higher astrology. His appointment as Commissioner Kumaon Division was also ordained where the indescribably beautiful and breath taking view of the Himalayas guided him to the chosen path of oneness, peace, tranquility and perennial bliss. Narain Dutt Tewari, the then Chief Minister of undivided Uttar Pradesh, was very fond of Vaidand cherished his qualities of head and heart. He was fond of intelligent, efficient and committed bureaucrats and Vaidepitomized all these qualities. Nainital has a long history of land slides; practically more than half the area of theNainital Basin is covered with debris generated by landslides and erosion. WhenVaid was Commissioner of Kumaon Division nature wreaked havoc in Nainital. Amassive landslide occurred in the Cheena Peak ridge in 1987. The first warnings came on September 1987 when following heavy rains, boulders slipped from the Cheena Peak area uprooting 100 trees. A few months later on 11th March 1988 another major landslip occurred after a heavy rainfall and the rubble reached the town. But it was the landslides of July 4th, 5th and 6th 1988 which did maximum damage. Boulders, shale and rubble slid down to the entire Brook Hill area, Swiss Hotel and Melrose Compound. When the catastropheended 6 I buildings had beendamaged affecting 450 families. In 1989 againon 21st Juneduring the summerrainsa landslide occurred on Sher-ka-Danda Ridge damaging the heritage building of CRST Intermediate College. Vaid did a commendable work during the disasters byadoptinga 'Peoples' Approach.'

B. K. Chaturvedi (21.10.89-25.7.91)

He had an academic image in Kumaon Division and as its Commissioner the true impact of his personality is incalculable. People were aware of his brilliance since his posting as SDM in Ranikhet for about a year. The clerisy, the illuminati, the elite and the intelligentsia who came in his contact when he was Commissioner hold him in high esteem and acclaim his erudition and administrative skills. Chaturvedi believed in listening to everyone, he then took a decision and stuck to it. He was atough officer with a no-nonsense approach and rose to the pinnacle of his careeras the Union Cabinet Secretary from 12th June 2004 to 12th June 2007. Chaturved also headed the National Crisis Management Committee and his tackling of the

Tsunami tragedy of 2004 and the Jammu and Kashmir earthquake 2005, vividly indicate his efficiency in Disaster Management. He served as a member in the Planning Commission after retirement and was a recipient of the Padma Bhushan award

Ajit Kumar Seth (12.8.1991-17.8.1992).

Ajit Kumar Seth, a 1974 batch IAS officer from the Uttar Pradesh cadre was a very popular Commissioner of Kumaon Division.He had a clean reputation and was like an old fashioned British bureaucrat, a team person and very meticulous about his work. His stint in Kumoan was very fruitful for the people of the Division as well as for his administrative experience. He strode like a colossus to tackle the problems and stood unexcelled owing to his integrity and honesty as reported by the locals. Kumaon Division is regarded as a treasure trove of experience for administrators owing to its geographical situation and altitude variations. It is flanked by two international boundaries and sprawls from the foothills of Tarai and Bhabhar (Outer Himalaya) to the (Trans-Himalayan) region. This vast territorial expanse initself is an administrative repository. Ajit was a nature lover owing to his schooling and college background and Kumaon Division was an ideal place for him to blossom his administrative dexterity and qualities of head and heart. During his brief stin the tried earnestly to tide over the chasm created between the administration and the people. He rose to the top most echelon of Indian bureaucracy and served as the 30th Cabinet Secretary of the Republic of India. Upon retirement from the post of Cabinet Secretary, Ajit Kumar Seth was appointed as Chairman of Public Enterprises Selection Board. He also served as First Secretary in the Permanent Commission of India at Geneva.

Dr. Raghunandan Singh Tolia (19.6.1995 to 29.2.1996).

He was one of the greatest bureaucrats of his time, a class by himself. Dr. Tolia was a many splendoured civil servant and was known for the positive influence he exerted both as a mentor and a noted academic. He was easily accessible and his home throughout his serving career was like an Ashram full of visitors from different walks of life, different segments of society as well his colleagues. His office on the other hand was a workshop

imbued with intellectual ferment where newideas and innovations were conceived in sync with developmental works towards a better future. In Uttar Pradesh (UP) he was known as a Tiger amongst his peersand by establishing Rural Development Directorate of UP he earned the moniker and reputation of a 'Dynamic Doer.'But his devoted services as Milk Commissioner and later as Secretary Dairy Development transformed the dairy sector of UP and it became a success story of the 'White Revolution.' Dr, Tolia became so popular that he acquired the so briquette of the 'Blue Eyed Boy of Dr.V.Kurien.

Dr. Raghunandan Singh Tolia served the states of Uttar Pradesh (1971-2000) and Uttarakhand (2000-2010) ending his career as Chief Secretary of Uttarakhand (2003-2005) and the founder Chief Information Commissioner (2005-2010) of Uttarakhand Information Commission. On taking charge as Uttarakhand's first Chief Commissioner he established a strong foundation for the Right to Information in the hill State. He was Commissioner of Kumaon Division for a brief spell and in this capacity he galvanized the entire administrative machinery to give momentum to the wheels of development. It was a litmus test for him to administer the Division then as the entire hill region was reeling under the Uttarakhand State hood agitation. He was successful in tackling the situation owing to his commitment to whatever charge he held and his perseverance in getting things done. The agitation for a separate hill state bore fruit and with the enactment of the U.P. Reorganization Act Uttarakhand was carved out of Uttar Pradesh on 9th November 2000. During this period he completed his PhD thesis on the 'Administrative History of the Border Districts of Uttarakhand', which gave him a peoples' perception to understand Uttarakhand .After this eventful tenure as Commissioner Kumaon Division he became Director of the Uttar Pradesh Academy of Administration .Both the incumbencies gave him a unique opportunity to combinead ministrative theory and practice that culminated in his transformation as a builder of institutions. Some of the Institutions which he established and were Centres of Excellence are Uttarakhand Organic Commodity Board, Uttarakhand Livestock Development Board, Centre for Aromatic Plants, Herbal Research Development Institute, Uttarakhand Seed Certification Board, Uttarakhand Pollution Control Board to name a few. Dr.Tolia was quint essential Mountain

Manandas Commissioner he developed a vision to look at common problems of mountain areas of the country which was brought to a triumphant conclusion in the setting up of IntegratedMountain Initiative (IMI). It embraces all the Himalayan states of the country andis engaged in the advocacy of mountain issues. It reminds the society of reducing ecological footprints and end orsesthe view that man cannot conquer nature; it will goon with or with outman. In consonance with the same objective here placed the office of Agricultural Production Commissioner in the new state with the Forest and Rural Development Commissioner (FRDC) to synergize forests, agriculture, and livelihoods with rural development in the mountains. He was instrumentalinforming the Disaster, Mitigation and Management Centre after Uttarakhand came into existence.

Jayati Chandra (October 1997 to July2000)

Mrs. Jayati Chandra, IAS officer of the UP cadre 1975 rose to the position of Secretary in the Department of Youth Affairs, Government India and later as Secretary in the Ministry of Development in the North Eastern Region. She was one of the most popular commissioners of Kumaon who inspired her colleagues as their mentor and reposed faith on them. She did not harbour any grudge or biases against any individual and provided protection to her team so that they could perform the tasks assigned to them, fearlessly, independently, and imbued with a feeling of responsibility and dedication. Her approach towards the people as Commissioner was unique as she is a judicious mix of a sensitive administrator and a true leader, who believed in 'Service before self'. She provided the public with a reliable and trustworthy forum where they were assured of help, succour and strength to leadfull and joyous lives. Above all she was easily approachable to guide and give a helping hand to the people in vexatious situations. Her working style was unique, she went to the people, worked with them, guided them and after the target was achieved, and people inculcated a penchant for work culture. As a team leader she reposed tremendous faith on her colleagues and was ready to Passover their minor omissions. Holding on to the aspirations of the people she was poised to give a better quality of life to the people of Kumaon. She has enduring memories of the hills and some of her achievements as Commissioner of Kumaon are:

a) Reducing use of plastic and polythene in Nainital with public assistance and active participation of the people. Popularized biodegradable alternatives with full support of 'Vyapar Mandal', school children and various organizations; no new law was required or coercive methods applied to discourage the use of plastics. Had she stayed in Nainital for six more months "Ban Plastic" would have become a"Peoples' Movement" and Nainital would have become plastic free.

b) There was a meteoricrise in her popularity when Nainital was lashed with heavy rains and a severe hailstorm. The roads were breached; there was no water supply and electricity in the town. But soon alternate arrangements were made especially for residential schools, hospitals and public places. There afterwith Herculean efforts she overcame all the obstacles and order was restored expeditiously.

c) She also achieved recognition for her outstanding work during the diaboliclandslide in Malpa. Tragedy had struck this tiny village in Pithoragarh district, neartheIndo-Chinaborderon 18th August 1998. A five metrehighavalanche of rock and water wiped out the settlement killing about 250 people; including 60 Kailash Mansarovar pilgrims-mostof the mintheir sleep. Reliefand rescueoperation were launched immediately and all formalities like identification of victims and posttragedy work such asissuanceof death certificates and distribution of relief/compensation was carried out without any complaints. It was a marvellous team work of district administration ITBP, the army and air force.

d) Organized regular medical camps in border villages of Pithoragarh district and the newly formed Champawat district wheret here was apaucity of medical facilities and infrastructure. The most common diseases were identified insync with comprehensive surveys and hold ingregular camps in inaccessible hamlets and village ssituated in rugged terrains.

e) Adequate supplies of essential commodities were stocked in advance in all theremote areas to grapple with the aftermath of road blocks due to monsoon rainsor heavy snow fallduring severe winters.

f) She revived the practice of inspecting district collectors' offices, sub-divisional offices and tahsils after due notice so that corrective action could be taken and pendency reduced by the offices. The motive was not fault finding or to make the people jittery through surprise inspections, but to disseminate a feeling of camaraderie and make them fee l proud of their work. She felt that there should be a role differential between the immediate superior (district collector) and the commissioner which can be reinforced through different styles of functioning and work culture, inspection beingone of them.

S. Raju. (25TH April 2007 - 16th November (2010).

A 1983 batch IAS officer S.Raju had earned the appellation, a "Peoples' Bureaucrat" as Commissioner of Kumaon Division. He was very simple, straight forward, transparent and extremely candid to the extent of being blunt at times. But the people liked his brusqueness owing to his positive attitude. Raju had a strong leaning towards environmental conservation and played an important role in preserving the Nainital Lake Region, which is almost 200 sq km and plays an important role in the aqua culture of the 'Lesser' and Sub-Himalayan region of Kumaon. The Lake Region comprises the Naini Lake as the nucleus surrounded by Khurpatal, Bhimtal, Naukuchiatal, Sat-tal, and other lakes. Naini Lake in the recent past had become highly eutrophic and the amount of dissolved oxygen in it was depleting rapidly. The lake had become opaque and nothing could be seen belowthe top most layer owing to pollution. Subsequent upon the interventions of the Hon'ble Supreme Court and the High Court as a sequel to the Public Interest Litigations, Dr. R. S. Tolia initiated to manage funds for the 'Lake Conservation Project' and money was released by the Central Government during S. Raju's tenure. He executed the project with the then 'Lake Development Authority' (LDA) and to increase the oxygen level

aeration was introduced in the lake, which is capable of moving an appropriate quantity of enriched normal air so as to keep the dissolved oxygen levels at a minimum 4 mg/ litre at all points in the lower surface of the lake and 9 mg/ litre at the surface. Within a short span the lake was revived and the transparency of the lake improved drastically. Similarly bio-manipulation was introduced in Naini Lake; it was done for the first time in India and was a big success in controlling the excess nutrient levels and nuisance of algal preponderance. In bio-manipulation fishes like Puntius species, Gambusia and Big Head Carp which were detrimental to lake ecology were removed and Mahaseerand Silver Carp fishes were introduced to improve the water quality. Similarly the other lakes are also being revived. To improve tourism in Nainital the Himalayan Botanic Garden a treasure trove of Himalayan biodiversity was established in the outskirts of Nainital and a State of Art Aquarium was setup on the island in Bhimtal Lake

महत्वपूर्ण शासनादेश

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 13 अप्रैल, 2018 ई0

चैत्र 23, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 193/XXXVI(3)/2018/27(1)/2018

देहरादून, 13 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड संवानिवृत्ति लाभ विधेयक, 2018'** पर दिनांक 12 अप्रैल, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्याः 17 वर्ष, 2018 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम, 2018

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18, वर्ष 2018)

राज्याधीन सेवाओं के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों की सेवावधि के उपरान्त सेवानिवृत्ति लाभ दिये जाने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा अधिनियमितः

भाग–एक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ तथा लागू होना

1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम, 2018 है।

(2) यह अधिनियम दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 से पूर्व राज्याधीन सेवाओं के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों पर उनके अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एवं अनिवार्य सेवानिवृत्ति की दशा में लागू होगा तथा कार्मिक की मृत्यु की दशा में ऐसे कार्मिक के आश्रितों पर लागू होगा,

परन्तु यह कि दिनांक 01.10.2005 से मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिक नई अंशदान पेंशन योजना से शासित होंगे,

परन्तु यह और कि ऐसे कार्मिक की सेवा जो–

(क) पूर्णकालिक नियोजन की न हो,

(ख) संविदा, कार्य–प्रभारित, अंशकालिक, दैनिक वेतन तदर्थ व नियत वेतन में की गई सेवा,

(ग) अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् सेवाविस्तार/पुनर्नियोजित/सत्रान्त लाभ के रूप में की गई सेवा,

(घ) एक सेवा से दूसरी सेवा के मध्य सेवा व्यवधान,

(ड़) एक पद से दूसरे पद पर हुये स्थानान्तरण के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण काल/बाध्य प्रतीक्षा काल के अतिरिक्त गैर अनुमन्य अनुपस्थिति की अवधि,

(च) बिना स्वीकृत उपभोग किये गये अवकाश अवधि,

(छ) सेवा में किसी भी प्रकार की ऐसी अनुपस्थिति जिसकी स्वीकृति हेतु अवकाश शेष न हों,

उपरोक्त खण्ड (क) से (छ) तक उल्लिखित सेवाओं के लिये पेंशन अनुमन्य नहीं होगी।

अध्यारोही प्रभाव

2 (3) यह अधिनियम इससे पूर्व बनाई गई किसी विधि में किसी अन्य बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।

परिभाषाएं

3. (4) जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में:–

(क) 'संविधान' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है,

(ख) 'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है,

(ग) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है,

(घ) 'पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी' से समय–समय पर सरकार द्वारा इस रूप में अधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है,

(ड़) 'पेंशन' में उपदान सम्मिलित है, सिवाय उस स्थिति में जब मात्र सेवा उपदान देय हो, वह पेंशन का भाग नहीं होगा।

(च) 'परिलब्धि' से ऐसा वेतन अभिप्रेत है, जो वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–दो, भाग–दो से चार में परिभाषित है।

(छ) 'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति है जो संविदा, कार्य–प्रभारित, अंशकालिक, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ व नियत वेतन में नियुक्त न हो, और जिसका चयन सेवा संबंधित सेवानियमों के अनुसार किया गया हो, अभिप्रेत है,

(ज) 'स्थायी एवं अस्थायी सेवा' से ऐसी सेवा अभिप्रेत है, जो राजकीय विभाग में स्थाई व अस्थाई पद पर मौलिक रूप से नियुक्ति के पश्चात् की गई हो,

(झ) 'सरकारी सेवक' से ऐसे सरकारी सेवक (चाहे वह किसी श्रेणी के हों) अभिप्रेत है, जो सरकार के अधीन पेंशन अर्हता पद पर मौलिक रूप से नियुक्त हो,

(ञ) 'अर्हकारी सेवा' से ऐसी सेवा अभिप्रेत है, जो राज्याधीन सेवाओं के अधीन मौलिक/नियमित रूप से की गई की सेवावधि है।

(ट) 'सेवानिवृत्ति' से अधिवर्षिता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर सरकारी सेवा से पदमुक्त अभिप्रेत है,

(ठ) 'विहित' से नियमों में विहित अभिप्रेत है।

भाग–दो

पेंशन

पेंशन हेतु अर्हता

4. 5. पेंशन के लिये सेवा निम्न शर्तों के अधीन अर्हकारी होगी–

(क) सेवा राज्य सरकार के अधीन मौलिक तथा नियमित रूप से की गई हो।

(ख) सेवा को सेवानिवृत्ति लाभों हेतु तब अर्हकारी सेवा समझा जायेगा जब संबंधित कार्मिक किसी अधिष्ठान में

स्थायी/अस्थायी रूप से सृजित किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त हो।

पेंशन की धनराशि 5 6. पेंशन की धनराशि सेवा के अन्तिम दिवस को आहरित मूल वेतन अथवा सेवानिवृत्ति तिथि से पूर्व के 10 माह की औसत वेतन, जो भी कार्मिक हेतु लाभकारी हो, के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगी,

परन्तु उक्त राशि किसी भी दशा में राज्य सरकार द्वारा विहित न्यूनतम पेंशन की धनराशि से कम नहीं होगी और विहित अधिकतम पेंशन की धनराशि से अधिक नहीं होगी।

पेंशन अनुमन्यता हेतु सेवा अवधि का निर्धारण 6 7 (क) 10 वर्ष से न्यून अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन अनुमन्य नहीं होगी। (छः माह और छः माह से अधिक अवधि का एक वर्ष माना जायेगा तथा छः माह से कम की अवधि को गणना में नहीं लिया जायेगा)।

(ख) 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन अनुमन्य होगी।

(ग) यदि अर्हकारी सेवा 10 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम हो तो, पेंशन की राशि अनुपातिक रूप से कम हो जायेगी,

परन्तु उक्त राशि किसी भी दशा में राज्य सरकार द्वारा विहित न्यूनतम पेंशन की धनराशि से कम नहीं होगी।

भाग–तीन

सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान

सेवानिवृत्ति उपदान /मृत्यु उपदान

7 (1) सेवानिवृत्ति उपदान की दर अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये मासिक परिलब्धियों के आधे के बराबर होगी जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित मासिक परिलब्धियों के तैंतीस गुने के बराबर अथवा राज्य सरकार द्वारा नियत अधिकतम सीमा तक जो भी कम हों, से अधिक नहीं होगी।

(2) मौलिक रूप से नियुक्त किसी सरकारी सेवक की मृत्यु होने पर मृत्यु उपादान की राशि निम्नवत होगीः–

अर्हकारी सेवा की अवधि	मृत्यु उपदान की राशि
01 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 02 गुना
01 वर्ष से अधिक किन्तु 05 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 06 गुना
05 वर्ष या अधिक किन्तु 11 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 12 गुना
11 वर्ष या अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 20 गुना

		20 वर्ष या उससे अधिक	अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये परिलब्धियों के आधे के बाराबर होगी जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित परिलब्धियों के तैंतीस गुने के बराबर अथवा राज्य सरकार द्वारा नियत अधिकतम सीमा तक, जो कम हों, से अधिक नहीं होगी।

भाग–चार

पारिवारिक पेंशन

पारिवारिक पेंशन

8. (1) पारिवारिक पेंशन की गणना अन्तिम आहरित मासिक वेतन के 30 प्रतिशत की दर साधारणतया की जायेगी,

परन्तु यह कि पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम एवं अधिकतम धनराशि राज्य सरकार द्वारा नियत की गई धनराशि से अधिक न हो।

(2) सरकारी सेवक/पेंशनर की मृत्यु की दशा में परिवार को मृत्यु की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक अथवा दिवंगत सरकारी सेवक/पेंशनर की आयु 67 वर्ष होने, जो भी पहले हो, तक बढ़ी दरों पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी।

पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु पात्रता

9. पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु ''परिवार'' के निम्न सदस्य पात्र होंगेः–

(1) पत्नी/पति।

(2) मृत्यु के दिन 25 वर्ष की आयु से कम के पुत्र को इस प्रतिबन्ध के साथ कि वह जीविकोपार्जन करने लगे तो जीविकोपार्जन की तिथि अथवा 25 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।

(3) मृत्यु के दिन 25 वर्ष की आयु से कम की अविवाहित पुत्री को इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि वह जीविकोपार्जन करने लगे या उसका विवाह हो जाये अथवा 25 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो। उपधारा (2) एवं (3) में उल्लिखित सन्तानों में सौतेली तथा सेवानिवृत्ति के पूर्व विधिवत गोद ली गई सन्तानें भी सम्मिलित हैं।

(4) दिव्यांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त सन्तानों पर आयु का बन्धन नहीं होगा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन पारिवारिक पेंशन पाने के पात्र

होंगे। विधवा एवं तलाकशुदा पुत्री को भी परिवार में सम्मिलित माना जायेगा। यदि मृत सरकारी सेवक के परिवार में उसकी पत्नी/पति तथा उपर्युक्त वर्णित श्रेणी की पात्र सन्तान नहीं है, तो उसके माता/पिता जो उस पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, को उसके परिवार में सम्मिलित समझा जायेगा।

(5) राजकीय कर्मचारियों/पेंशन भोगियों की अविवाहित पुत्रियों को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद भी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र बनाये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तें होंगी–

(क) अविवाहित पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति उनकी जन्म तिथि के क्रमानुसार दी जायेगी और उनमें से छोटी पुत्री तब तक पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं होगी जब तक कि उससे अगली बड़ी पुत्री पारिवारिक पेंशन के लिए अपात्र नहीं ठहराई जाती।

(ख) 25 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित पुत्रियाँ केवल तभी पारिवारिक पेंशन की पात्र होंगी, जब कि 25 वर्ष से कम आयु के अन्य पात्र बच्चे, पारिवारिक पेंशन ग्रहण करने के लिये पात्र नहीं रहें हों और यह कि परिवार में पारिवारिक पेंशन ग्रहण करने के के लिए कोई निशक्त संतान नहीं है।

पेंशन के एक भग का राशिकरण 10

80 वर्ष या उससे अधिक आयु के राजकीय पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को अनुमन्य पेंशन पर निम्नानुसार अतिरिक्त पेंशन अनुमन्य पेंशन पर निम्नानुसार अतिरिक्त पेंशन अनुमन्य होगीः–

पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की आयु	पेंशन में वृद्धि
80 वर्ष से अधिक किन्तु 58 वर्ष से अनधिक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत
85 वर्ष से अधिक किन्तु 90 वर्ष से अनधिक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत
90 वर्ष से अधिक किन्तु 95 वर्ष से अनधिक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत
95 वर्ष से अधिक किन्तु 100 वर्ष से अनधिक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत
100 वर्ष या उससे अधिक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का शत–प्रतिशत

भाग–पांच

प्रकीर्ण

प्रकीर्ण	11	(1) सेवा निवृत्त होने वाले ऐसे राज्य कर्मचारियों को जिनके विरुद्ध सेवानिवृत्ति के समय विभागीय, न्यायिक कार्यवाही अथवा प्रशासनाधिकरण में जांच चल रही हो अथवा किया जाना अपेक्षित हो में अन्तिम पेंशन एवं उपादान ऐसे अनुमन्य होगी जैसे विहित की जाये। (2) सेवा से पदच्युत व्यक्ति को पेंशन, पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं होगी।
नियम बनाने की शक्ति	12	(1) इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार नियम बना सकेगी। (2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम विधान मण्डल के समक्ष रखे जायेंगे।

आज्ञा से,

(मीना तिवारी),
प्रमुख सचिव।

प्रेषक,

डॉ. एस. एस. संधु,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

3. समस्त विभागाध्यक्ष/
कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 29 अक्टूबर, 2021

विषयः विभिन्न विभागों में दैनिक वेतन/संविदा/कार्यप्रभारित/नियत वेतन/अंशकालिक/तदर्थ एवं आउटसोर्स पर तैनात कार्मिकों के संबंध में निर्गत दिशा–निर्देशों में आंशिक संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–111/XXX(2)/2018–30(12)2018 दिनांक 27.04.2018 सपठित शासनादेश दिनांक 14.06.2018 द्वारा विभिन्न विभागों में दैनिक वेतन/संविदा/कार्प्रभारित/नियत वेतन/अंशकालिक/तदर्थ एवं आउटसोर्स पर तैनात किर्मिकों को नियोजित करने तथा पूर्व नियोजित कार्मिकों के संबंध में समयवृद्धि संबंधी प्रकरणों के निस्तारण में हो रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त शासनादेश दिनांक 27.04.2018 सपठित शासनादेश दिनांक 14.06.2018 के प्रस्तर–12(2), 12(3) तथा 12(4) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

12. (2) संरचनात्मक ढांचे में सीधी भर्ती हेतु स्वीकृत पदों के सापेक्ष संविदा/दैनिक वेतन/कार्यप्रभारित/नियत वेतन/अंशकालिक/तदर्थ नियुक्तियां बिना शासन की अनुमति के कदापि न की जाय। पदोन्नति के पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया से इतर संविदा आदि स्रोत से नियुक्ति किसी भी दशा में न की जाय। स्वीकृत पदों पर संगत नियमावली के प्राविधानों से इतर की गयी नियुक्तियां शून्य मानी जायेंगी और यदि इस प्रकार की कोई नियुक्तियां भविष्य में की गयी तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए ऐसे कार्मिक को भुगतान किए गए पारिश्रमिक की वसूली संबंधित अधिकारी के वेतन/पेंशन में की जायेगी।

12. (3) उक्त प्रस्तर 12(2) में निहित प्राविधान के बावजूद यदि विभागीय आवश्यकता के दृष्टिगत संविदा अथवा आउटसोर्स एजेंसी (यथा उपनल, पी.आर.डी. अथवा निजी सेवा प्रदाता फर्म) के माध्यम से कार्मिक नियोजित किए गए हों तो निम्नवत् कार्यवाही की जायेगीः–

(क) विभाग द्वारा सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर यथासंभव शीघ्र नियमित चयन की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु हर संभव प्रयास किया जायेगा।

(ख) विभाग द्वारा सीधी भर्ती के पदों के सापेक्ष पूर्व में यदि कर्यहित को दृष्टिगत रखते हुए पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से संविदा पर कार्मिक नियोजित किए गए हों तो पूर्व नियत संविदा की शर्तों के अनुसार संविदा अवधि का विस्तार पूर्व में दिए जा रहे अन्तराल के साथ 01 वर्ष अथवा नियमित चयन की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए विभागीय सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए किया जा सकेगा।

(ग) जिन विभागों में केन्द्र पोषित अथवा बाह्य सहायतित परियोजनाएं संचालित हैं और योजना के क्रियान्वयन हेतु गठित संरचनात्मक ढॉचे में सृजित पदों को संविदा से ही भरे जाने का प्राविधान है, उन विभागों में इस प्रकार संविदा पर नियोजित कार्मिकों की

संविदा अवधि का विस्तार परियोजना अवधि अथवा सम्यक अन्तराल के साथ संविदा अनुबन्ध में यथा निर्दिष्ट अवधि जो भी पहले हो, तक के लिए विभागीय सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए किया जा सकेगा।

परन्तु विभाग द्वारा परियोजना में सीनियर मैनेजमेंट स्तर के पदों को छोड़कर अन्य पदों पर सीधी संविदा पर नियोजित कार्मिकों को शनै–शनै आउटसोर्सिंग के माध्यम से सर्विस कांट्रैक्ट के तहत लिए जाने का प्रयास अवश्य किया जायेगा।

(घ) जिन विभागों में सीधी भर्ती के पदों पर चयन प्रक्रिया में हो रहे विलम्ब के दृष्टिगत अन्तरिम व्यवस्था के रूप में आउटसोर्स एजेंसी (यथा उपनल, पी.आर.डी. अथवा निजी सेवा प्रदाता फर्म) के माध्यम से कार्मिक नियोजित किए गए हों, विभाग द्वारा आउटसोर्स एजेंसी के साथ की गयी संविदा का विस्तार नियमित चयन अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुबन्ध अन्तर्गत नियत अवधि जो भी पहले हो तक के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किया जा सकेगा। ऐसे मामलों में आउटसोर्स एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों के साथ विभाग द्वारा न तो सीधे अनुबन्ध किया जायेगा और न ही उन्हें पारिश्रमिक का भुगतान सीधे किया जायेगा, वरन् नियत प्रक्रिया के अनुसार विभाग द्वारा आउटसोर्स एजेंसी के साथ ही अनुबन्ध करते हुए देय धनराशि का भुगतान आउटसोर्स एजेंसी को ही किया जायेगा।

12 (4) विभागीय आवश्यकतानुसार जिन सेवाओं की अधिप्राप्ति बाह्य स्रोत से किया जाना संभव/प्रस्तावित हो, उनके संबंध में आउटसोर्स एजेंसी का चयन नियत संख्या में कार्मिक उपलब्ध कराये जाने के निमित्त करने के बजाए निर्दिष्ट सेवा का अपेक्षित स्तर (Servie level) निर्धारित करते हुए अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार सेवाओं की अधिप्राप्ति विभाग के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से की जायेगी। ऐसे चयन के उपरान्त चयनित आउटसोर्स एजेंसी के साथ

सर्विस लेवल एग्रीमेंट किया जायेगा जिसमें आउटसोर्स एजेंसी द्वारा नियोजित किए जाने वाले कार्मिक का जॉब चार्ट, एजेंसी को देय पारिश्रमिक की दरें तथा सेवा अवधि आदि के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा और तदनुसार निष्पादित अनुबन्ध के प्राविधानों में कोई विचलन अनुमन्य नहीं होगा।''

12. उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 24.04.2018 सपठित शासनादेश दिनांक 14.06.2018 इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे तथा शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(डॉ. एस.एस. संधु)
मुख्य सचिव।

संख्याः 379(1)/XXX(2)/2018/30(12)/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी को मा. मुख्यमंजी जी के संज्ञानार्थ।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. प्रभारी, मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अरविन्द सिंह ह्यॉकी)
सचिव।